विषय-सूची

पृष्ठ सं.

निदेशक मंडल	3
कार्य निष्पादन विशेषताएँ	4
अध्यक्ष का संबोधन	5
निदेशक की रिपोर्ट	7
प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	20
कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	24
कॉर्पोरेट शासन पर प्रमाणपत्र	35
पुरस्कार और प्रमाणपत्र	36
वित्तीय विशेषताएं	37
तुलन पत्र	40
लाभ और हानि लेखा	41
वार्षिक लेखा अनुसूची 'क' से अनुसूची 'त'	42
लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियाँ-अनुसूची 'थ'	55
प्रकटनों सहित लेखों में टिप्पणियां -अनुसूची 'द'	59
रोकड़ प्रवाह विवरण	70
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	71
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	75
कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसरण में सहायक कंपनी (इरकॉन आईएसएल) की वार्षिक रिपोर्ट:	
इरकॉन आईएसएल के निदेशक की रिपोर्ट तथा अनुपालन प्रमाण पत्र	77
इरकॉन आईएसएल का तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता व अनुबंध तथा रोकड़ प्रवाह विवरण	83
इरकॉन आईएसएल के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	96
इरकॉन आईएसएल - नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	98
धारक कंपनियों के हितों का विवरण तथा समेकित वित्तीय विवरण:	
कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 (1)(ड.) के अनुसरण में विवरण	100
इरकॉन तथा इसकी 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, इरकॉन आईएसल के समेकित वित्तीय विवरण	101
इरकॉन आईएसएल का समेकित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता व अनुबंध तथा रोकड़ प्रवाह विवरण	102
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर समेकित वित्तीय विवरण	132

इरकॉन

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली-110017

कम्पनी सचिव

ललिता गुप्ता

सांविधिक लेखापरीक्षक

वाही एंड गुप्ता,
सनदी लेखाकार,
होटल रैक्स बिल्डिंग (ओबीसी बिल्डिंग),
5-नेताजी सुभाष मार्ग,
दरियागंज, नई दिल्ली-110002

मुख्य बैंक

- इंडियन ओवरसीज बैंक
- भारतीय स्टेट बैंक
- एचडीएफसी बैंक

स्टाक एक्सचेंज, जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं

मुम्बई स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड
फिरोज जीजीभोए टावर,
25वाँ तल, दलाल स्ट्रीट,
मुम्बई-400001

दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड,
डी एस ई हाऊस, 3/1
आसफ अली रोड़,
नई दिल्ली-110002

साकेत, नई दिल्ली में इरकॉन का निगमित कार्यालय भवन

निदेशक मंडल

(06.08.2010)

अध्यक्ष

राकेश चोपड़ा
अंशकालीन निदेशक (सरकारी)

पूर्णकालीन निदेशक

मोहन तिवारी
प्रबंध निदेशक

मदन लाल
निदेशक निर्माण

के.के. गर्ग
निदेशक वित्त

दीपक सबलोक
निदेशक परियोजना

अंशकालीन निदेशक (सरकारी)

ए.के. तिवारी
अंशकालीन निदेशक (सरकारी)

एन.पार्थासारथी
स्वतंत्र निदेशक

पांच वर्षों के दौरान निष्पादन

रूपए मिलियन में

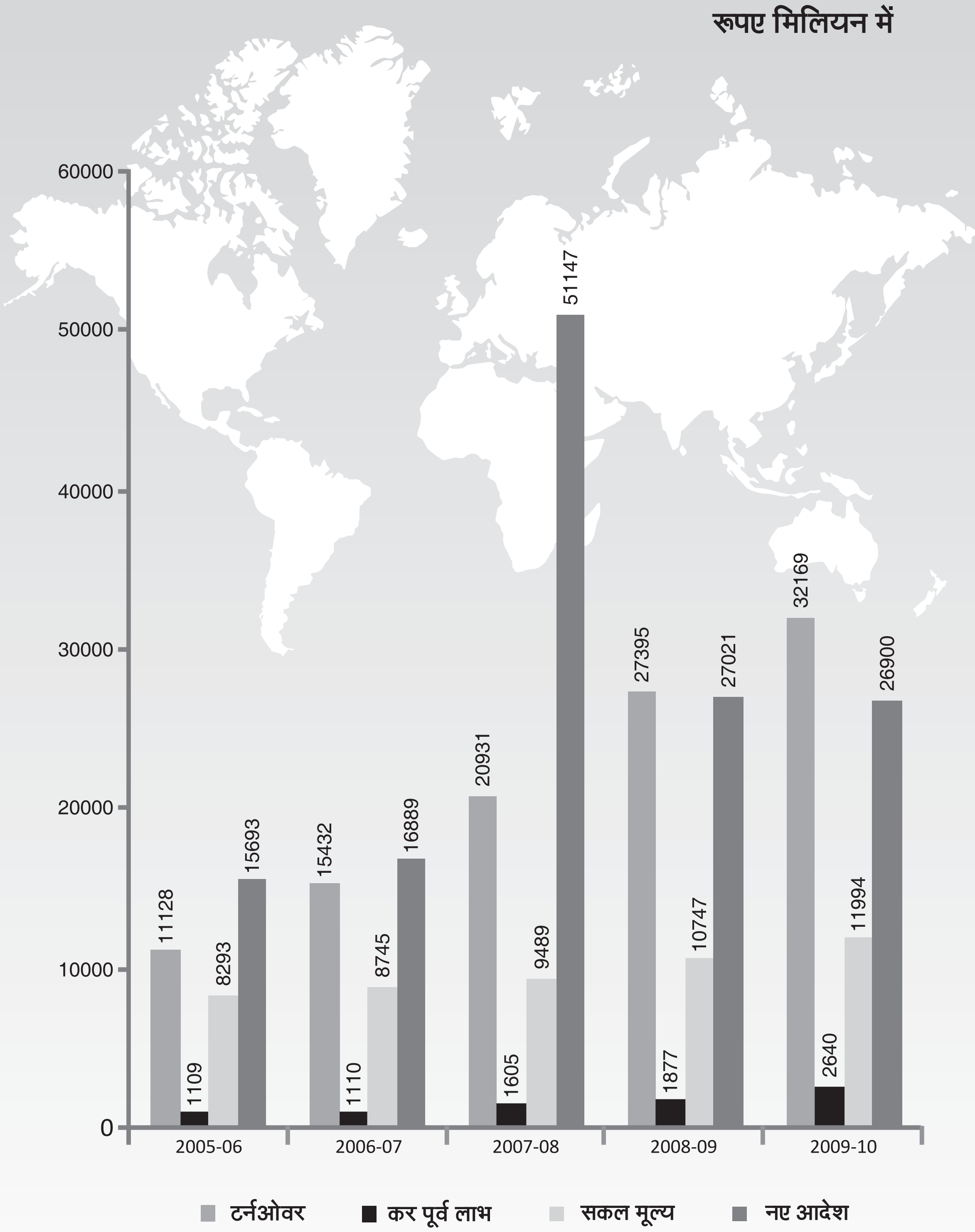

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारक मित्रों,

मैं इरकॉन की इस 34वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी कंपनी ने 32169 मिलियन रुपए के रिकार्ड टर्नओवर के साथ इस वर्ष अद्वितीय कार्य निष्पादन किया है, जैसाकि 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों और अन्य संगत रिपोर्टों में देखा जा सकता है। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि विदेशों की परियोजनाओं से राजस्व सृजन के आधार पर इंजीनियरिंग न्यूज रिकार्ड के सर्वश्रेष्ठ 225 अंतरराष्ट्रीय संविदाकारों में से इरकॉन को 171वां स्थान प्राप्त हुआ है।

नए अवसर/उद्यम

वर्ष 2009-10, इरकॉन के लिए निरंतर प्रगति का वर्ष रहा है। चूंकि इरकॉन ने अपनी प्रथम 100% सहायक कंपनी, 'इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड' (जिसे इरकॉन आईएसएल कहा जाएगा) का सृजन किया है और यह कंपनी भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) के नियोजन, अभिकल्पन तथा अवसंरचना विकास सहित अवसंरचनात्मक परियोजनाएं और अनुषंगी क्षेत्र के कार्य; और रियल इस्टेट व संबंधित क्षेत्रों के सभी कार्य करेगी।

वित्तीय विशेषता

आपकी कंपनी प्रगति की ओर निरंतर अग्रसर है और उसने अपने कुछ कीर्तिमानों को पीछे छोड़ते हुए भविष्य के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। कंपनी ने टर्नओवर की दृष्टि से वर्षों के प्रयासों के पश्चात वर्ष 2004-05 में 10000 मिलियन रुपए के लक्ष्य को पार किया है और अगले मात्र 3 वर्षों की अवधि में वर्ष 2007-08 में कंपनी ने 20000 मिलियन रुपए के लक्ष्य को पार कर लिया है और अब आपकी कंपनी ने वर्ष 2009-10 में 30000 मिलियन रुपए के लक्ष्य को पार कर लिया है। आपकी कंपनी और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-11 के समझौता ज्ञापन का उद्देश्य वर्ष 2011-12 तक 35000 मिलियन रुपए के टर्नओवर को प्राप्त करना है।

वर्ष 2003-04 तक आपकी कंपनी के लाभों में उतार-चढ़ाव देखा गया था, हालांकि कंपनी ने 1977-78 से निरंतर प्रत्येक वर्ष लाभ ही अर्जित किया है। वर्ष 2004-05 से लाभों का रुझान निरंतर ऊपर की ओर है तथा आपकी कंपनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान 2640 मिलियन रुपए के अब तक के अधिकतम लाभ को अर्जित किया है। इसी प्रकार, आपकी कंपनी 1981-82 से निरंतर प्रत्येक वर्ष विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है किन्तु इसकी मात्रा में उतार-चढ़ाव होता रहा है और 2002-03 में यह रुझान नीचे की ओर होना आरंभ हुआ था जो वर्ष 2007-08 में अति निम्न होकर 374 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। अब इस परिदृश्य में परिवर्तन हुआ है और कंपनी ने वर्ष 2009-10 में 2641 मिलियन रुपए की निवल आमदनी दर्ज की है जो कि आपकी कंपनी की वर्ष 2001-02 में प्राप्त 2840 मिलियन रुपए की अब तक की सर्वाधिक आमदनी के समीप है।

आकर्षक वित्तीय स्थिति के आधार पर निदेशक मंडल ने फरवरी, 2010 में भुगतान किए गए प्रति शेयर 21.20 रुपए के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त इस वार्षिक आम बैठक में घोषित किए जाने हेतु प्रति शेयर 15.80 रुपए के लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार वर्ष 2009-10 के लिए भुगतान की जानी वाली कुल लाभांश की राशि प्रति शेयर 37 रुपए हो गई है जो कि अब तक की अधिकतम राशि है। इस प्रकार सरकार को भुगतान किए जाने वाला लाभांश (वर्ष 1980-81 से प्रत्येक वर्ष) की राशि 2823 मिलियन रुपए हो जाएगी।

प्रचालनिक विशेषता

पिछले 5 वर्षों के दौरान आपकी कंपनी ने टर्नओवर की दृष्टि से 25.96%, कर पश्चात लाभ की दृष्टि से 19.63% तथा निवल संपत्ति की दृष्टि से 9.05% की संयोजित वृद्धि दर्ज की है।

वर्ष 2009-10 के दौरान और तत्पश्चात् अब तक कंपनी ने विदेशों में अर्थात् मोजांबिक, शारजाह, नेपाल तथा इथोपिया में 5 परियोजनाएं पूरी की हैं और भारत में 28 अक्तूबर, 2009 को जम्मू और कश्मीर राज्य में आरंभ की गई काजीगुंड-बारामुला रेल लाइन सहित 9 परियोजनाएं पूरी की हैं।

आपकी कंपनी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राजमार्ग परियोजनाएं, राष्ट्रीय समविकास योजना आदि सहित राष्ट्रीय निर्माण के विभिन्न कार्यों के अतिरिक्त मलेशिया, श्रीलंका तथा अल्जीरिया जैसे देशों में बड़ी मूल्य की रेल परियोजनाओं को भी निष्पादित किया है।

जोखिम भरे क्षेत्रों में तथा विदेशों में परियोजनाओं के निष्पादन के कार्य में जोखिम प्रबंधन शामिल होता है। आपकी कंपनी में जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को कार्यान्वित करने के लिए दो स्तरीय दल विद्यमान हैं तथा बोर्ड आवधिक रुप से जोखिम भरे क्षेत्रों में परियोजनाओं तथा विदेशी विनिमय प्रबंधन से संबंधित जोखिमों की समीक्षा करती है।

आपकी कंपनी ने रेलवे बोर्ड के पत्र के अनुसरण में अपने शेयरों के विसूचीकरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। निदेशक मंडल से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात आपकी कंपनी ने सेबी (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियमन, 2009 के विधिवत अनुपालन के लिए सभी शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने हेतु पोस्टल बैलेट के माध्यम से 20 अगस्त, 2010 को प्रस्ताव भेजा है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अपेक्षितानुसार औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

सीएसआर पहल

आपकी कंपनी अनुसरण किए जा रहे निगमित शासन नियमों, जिसका वर्णन पहले ही निदेशक रिपोर्ट में किया गया है, के अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण और सामान्य रुप से समाज संरक्षण के प्रति सकारात्मक योगदान की दृष्टि से अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाहन के प्रति संवेदनशील है। कंपनी ने हाल ही में पशुओं पर अत्याचार निवारण सोसाईटी (एसपीसीए), नोएडा के लिए एक ऑपरेशन थियेटर तथा सेनेटरी इकाई सहित 16 कैनाल के एक परिसर के निर्माण की सीएसआर परियोजना को पूरा किया है। इस इकाई को 17 अगस्त, 2010 को प्रचालनिक किया गया है।

आभारोक्ति

कंपनी का विकास व्यापक स्तर तक उसकी साख और उसमें कार्य करने वाले कार्मिकों तथा बाहरी लोगों के सहयोग से होता है। मैं रेल मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों, बैंकरों और विदेशों में भारतीय दूतावासों को कंपनी की कार्यप्रणाली में उनके मार्गदर्शन व उनके विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं निदेशक मंडल में अपने सहकर्मियों को उनके मूल्यवान सुझावों, सहयोग तथा समर्थन के लिए भी धन्यवाद देता हूं और सबसे ऊपर मैं भारत में तथा विदेशों में अपने गणमान्य ग्राहकों को कंपनी पर उनके निरंतर विश्वास के लिए तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इरकॉन अपने समर्पित तथा प्रतिबद्ध कर्मचारियों के साथ प्रगति की राह पर अपनी यात्रा को निरंतर जारी रखेगी।

मोहन तिवारी
प्रबंध निदेशक
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
एवं
बैठक के अध्यक्ष

दिनांक : 22.09.2010
स्थान : नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट

इरकॉन के विशिष्ट शेयरधारकगण

कम्पनी के निदेशकों को वित्त वर्ष 2009-10 की कम्पनी की 34वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त खुशी हो रही है।

कार्य निष्पादन

आपकी कंपनी ने 32169 मिलियन रुपए के अब तक के अपने अधिकतम टर्नओवर को प्राप्त करके वर्ष 2009-10 के दौरान कुल आय की दृष्टि से 30000 मिलियन रुपए के स्तर को पार कर लिया है तथा यह पिछले वर्ष के टर्नओवर यथा 27395 मिलियन रुपए से 17.43% अधिक है। इसके अतिरिक्त, कर पूर्व आय में पिछले वर्ष 2008-09 में 1877 मिलियन रुपए की राशि में 40% की व्यापक वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2009-10 में 2640 मिलियन रुपए कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। कर पश्चात लाभ में लगभग 30% की वृद्धि हुई है।

आपकी कंपनी तथा रेल मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अधिकतर लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है जिसके परिणामस्वरूप आपकी कम्पनी **"उत्कृष्ट समझौता ज्ञापन रेटिंग"** बनाए हुए है। 156.39 मिलियन रुपए के प्रस्तावित लाभांश सहित वर्ष 2009-10 के लिए कुल लाभांश की 366.23 मिलियन रुपए की राशि में से 209.84 मिलियन रुपए की राशि का भुगतान कंपनी ने पहले ही अंतरिम लाभांश के रूप में कर दिया है।

वित्तीय विशेषताएँ

वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 के लिए कम्पनी के वित्तीय निष्पादन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतन निम्नानुसार हैं:

वित्तीय निष्पादन संकेतन

(रुपये मिलियन में)

		2009-10	2008-09	प्रतिशत वृद्धि
1.	कुल आय/सकल बिक्री	**32169**	27395	17.43
2.	कुल प्रचालन आय*	**31529**	26543	18.78
3.	विदेशी परियोजनाओं से प्रचालन आय	**11962**	8027	49.00
4.	कर पूर्व लाभ	**2640**	1877	40.65
5.	कर पश्चात लाभ	**1822**	1402	29.96
6.	सकल उपांत	**3053**	2319	31.65
7.	निवल सम्पत्ति	**11994**	10747	11.60
8.	प्रति शेयर आमदनी	**184.06**	141.63	29.96
9.	कुल विदेशी विनिमय आमदनी (रुपए में)	**12610**	8083	56
10.	विदेशी विनिमय निर्गम	**9969**	7127	39.88
11.	निवल विदेशी विनिमय आमदनी	**2641**	956	176.26
12.	लाभांश	**366.23**	296.94	23.33

* 2009-10 में 44 मिलियन रुपए तथा 2008-09 में 39 मिलियन रुपए की गैर आबंटित प्रचालन आय शामिल है (अनुसूची-ट में लेखों के नोट के पैरा-7 का संदर्भ लें)।

घरेलू परियोजनाओं से प्रचालन आय में 5.6% की वृद्धि हुई है जो वर्ष 2008-09 में 18477 मिलियन रुपए से बढ़कर 2009-10 में 19522 मिलियन रुपए हो गई है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, प्रचालन आय में 49% की वृद्धि हुई है। निवल संपत्ति में निवल लाभ का अनुपात 13.05% से बढ़कर 15.19% हो गया है और टर्नओवर से कर पूर्व लाभ का अनुपात 6.85% से बढ़कर 8.21% हो गया है।

विदेशी मुद्रा अर्जन

निवल विदेशी मुद्रा अर्जन में 176% की व्यापक वृद्धि हुई है जो वर्ष 2008-09 में 956 मिलियन रुपए से बढ़कर 2009-10 में 2641 मिलियन रुपए हो गई है।

लाभांश

निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के लिए जनवरी, 2010 में 98.98 मिलियन रूपए की प्रदत्त शेयर पूँजी पर 21.20 रुपए प्रति शेयर की दर से (212%) 209.84 मिलियन के अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी, जिसका भुगतान शेयरधारकों को फरवरी, 2010 में किया गया था। निदेशक मंडल ने

शेयरधारकों के विचारार्थ 15.80 रुपए प्रति शेयर की दर से 156.39 मिलियन रूपए की प्रदत्त शेयर पूँजी पर 158% की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है । इस प्रकार, 2009-10 के लिए कुल लाभांश प्रत्येक 10 रुपए के शेयर के लिए 37 रुपए की दर से 366.23 मिलियन रुपए हो गया है जो 1822 मिलियन रुपए के कर पूर्व लाभ का लगभग 20.10% है। प्रस्तावित लाभांश के अनुमोदन एवं भुगतान के पश्चात 2009-10 तक शेयरधारकों को दिया गया संचित लाभांश लगभग 2830.23 मिलियन रुपए हो गया है।

विनियोजन/कर प्रावधान/आरक्षित निधि

1. आयकर अधिनियम, 1961 के खंड-80 एचएचबी के अनुसार 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लाभ हानि खाते में 250 मिलियन रुपए पुनर्विनियोजित किए गए हैं जिससे विदेशी परियोजना आरक्षित निधि अंतिम शेष 29 मिलियन रुपए हो गया है।
2. आयकर अधिनियम, 1961 के खंड-80 एचएचबीए के अनुसार 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लाभ हानि खाते में 1.5 मिलियन रुपए पुनर्विनियोजित किए गए हैं जिससे आवासीय परियोजना आरक्षित निधि अंतिम शेष 48 मिलियन रुपए हो गया है।
3. अनुसूची 'ट' में लेखों के नोट के पैरा-22 में संदर्भित अनुसार लेखांकन उपचार प्रणाली में परिवर्तन के कारण 203.70 मिलियन रुपए के विदेशी मुद्रा उच्चावचन आरक्षित निधि में शेष को विदेशी मुद्रा लाभ लेखे, तथा सामान्य आरक्षित लेखे में स्थानान्तरित किया गया है।
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115-ओ की उपधारा (1) के अनुसार प्रस्तावित लाभांश पर कर की अदायगी के लिए 26.58 मिलियन रूपए प्रभारित किये जाएंगे। वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश पर 35.66 मिलियन रूपए की राशि के कर का भुगतान किया गया।
5. उपयुक्त विनियोजन के पश्चात् 1644.86 मिलियन रूपए की राशि को कम्पनी के लाभों में से सामान्य निधि में हस्तांतरित किया गया है और इस प्रकार, 31 मार्च 2010 को कम्पनी के आरक्षित निधि तथा अधिशेष खाते में 11817.61 मिलियन रूपए हो गए हैं ।

आर्डर बुक

कंपनी को वर्ष 2009-10 के दौरान 26901 मिलियन रुपए मूल्य के कार्य प्राप्त हुए हैं। 31.03.2010 को कार्य का भार लगभग 100000 मिलियन रुपए है।

प्रचालनिक निष्पादन

क. पूरी की गई विदेशी परियोजनाएं

वर्ष 2009-10 के दौरान आपकी कंपनी ने **चार** परियोजनाएं पूरी की हैं - दो परियोजनाएं मोजांबिक में यथा 6.64 मिलियन अमरीकी डालर (312 मिलियन रुपए) मूल्य पर डोना-एना पुल का अध्ययन, अभिकल्प तथा पुनर्वासन कार्य और 21.97 मिलियन अमरीकी डालर (1032 मिलियन रुपए) मूल्य पर केपगेज के लिए पूर्वप्रबलित मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपरों की आपूर्ति; डब्ल्यू एस एटकिन्स के लिए एक सिग्नलिंग और दूरसंचार परियोजना, जिसके लिए प्रचालनिक दल शारजाह में स्थित है ताकि ब्रिटिश रेलवे की वेस्ट कोस्ट मुख्य लाइन पर रेलवे प्रणाली की पुनः सिग्नलिंग के लिए अभिकल्प सहयोग उपलब्ध कराया जा सके; और एक सड़क परियोजना 567.30 मिलियन रुपए की सम्पूर्ण लागत पर नेपाल में बेल्बारी से चौहरावा तक पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पर लगभग 130 कि.मी. लम्बे पेवमेंट के लिए है, हालांकि एक लम्बे समय से तेलंगाना क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की समस्या के कारण इस परियोजना में विलम्ब हुआ।

वर्ष की समाप्ति के पश्चात, आपकी कंपनी ने 1066.81 मिलियन रुपए के मूल्य पर इथोपिया में डेरा-मेचारा सड़क निर्माण स्तरोन्नयन निविदा-I (डेरा-मांगा) का कार्य पूरा कर लिया है। व्यापक हानियों के कारण कंपनी ने इस परियोजना पर दावा किया है।

ख. नई/चालू विदेशी परियोजनाएं :

नई परियोजनाओं सहित आठ परियोजनाएं प्रगति पर हैं - मलेशिया और श्रीलंका में दो-दो तथा इथोपिया, मोजाम्बिक, अफगानिस्तान तथा अल्जीरिया में एक-एक परियोजनाएं।

मलेशिया

1. आपकी कंपनी 259 मिलियन रुपए के वार्षिक मूल्य के लिए पट्टा एवं अनुरक्षण ठेके के रूप में वर्ष 2009-10 के दौरान मलेशियन रेलवे प्रणाली (केटीएमबी) पर 25 मीटर गेज डीजल इंजनों के प्रचालन का कार्य जारी रखे हुए है। केटीएमबी ने 201.01 मिलियन रुपए के मूल्य पर 31.12.2010 तक पट्टा-सह-अनुरक्षण ठेके को बढ़ाया है।

2. कंपनी को 40840 मिलियन रुपए (लगभग 1 बिलियन अमरीकी डालर) मूल्य पर रेल मंत्रालय, मलेशियन सरकार द्वारा दिसम्बर, 2007 में मलेशिया में एक रेल पथ-दोहरीकरण परियोजना (सभी विद्युतीकरण, सिग्नलिंग तथा संचार कार्यों सहित अभिकल्प व निर्मित आधार पर सेरेम्बन तथा गेमास के बीच 103 कि.मी. लम्बाई) प्रदान की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार जुलाई, 2008 में विस्तृत अभिकल्प के पश्चात वास्तविक कार्य आरंभ हो गया था। जून, 2010 तक 47% वास्तविक कार्य पूरा हो गया है। हालांकि कुछ स्थलों पर दायित्व मुक्त भूमि की गैर-उपलब्धता के कारण कुछ आरंभिक विलम्ब हुए, इस कार्य के अगस्त, 2012 की लक्ष्य तिथि तक पूरा होने की संभावना है।

सेतुपुल मलेशिया परियोजना

श्रीलंका

3. आपकी कंपनी ने ऋण की भारतीय तर्ज पर 78 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य पर कोलम्बो मतारा तटीय रेलवे लाइन के स्तरोन्नयन के लिए परिवहन मंत्रालय श्रीलंका के साथ एक संविदा में प्रवेश किया था। यह कार्य दो चरणों में किया जा रहा है। परियोजना का चरण-I जुलाई, 2009 में 36.24 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य पर आरंभ किया गया था जिसके दिसम्बर, 2010 तक पूरा होने का कार्यक्रम है। ऋण की तर्ज पर अनुमोदन के आधार पर भारतीय एग्जिम बैंक तथा श्रीलंका सरकार के बीच 11.03.2010 को 41.76 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के चरण-II हेतु ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चरण-II का कार्य आरंभ हो गया है और इस कार्य के मई, 2011 तक पूरा होने का कार्यक्रम है।

4. कंपनी ने 185.36 मिलियन अमरीकी डालर (8426 मिलियन रुपए) मूल्य पर श्रीलंका में ओमनथाई से पल्लई तक रेल लाईन के पुनर्स्थापन के लिए, श्रीलंका परिवहन मंत्रालय के साथ जनवरी, 2010 में एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय एग्जिम बैंक तथा श्रीलंका सरकार के बीच ऋण करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात ही संविदा प्रचालनिक होगी।

वर्ष की समाप्ति के पश्चात, आपकी कंपनी ने जून, 2010 में 149.74 मिलियन अमरीकी डालर के कुल मूल्य पर मधु रोड से तलई मन्नार तक रेल लाइन के पुनर्स्थापन के लिए श्रीलंका सरकार के साथ एक संविदा करार किया है। भारतीय एग्जिम बैंक तथा श्रीलंका सरकार के बीच ऋण करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात ही यह संविदा प्रचालन में आएगी।

भारत के प्रधानमंत्री तथा श्रीलंका के राष्ट्रपति की उपस्थिति में इरकॉन के प्रबंध निदेशक द्वारा करार पर हस्ताक्षर

इथोपिया

5. आपकी कंपनी ने 663 मिलियन रुपए के मूल्य पर इथोपियन विद्युत ऊर्जा निगम (ईईपीसीओ) के लिए उप-स्टेशन के परीक्षण व प्रचालन आरंभ होने के लिए पर्यवेक्षण व उप-स्टेशन उपकरणों की खरीद के लिए अगस्त, 2008 में एक परियोजना प्राप्त की थी। कंपनी ने मार्च, 2010 में अभिकल्प कार्य तथा उपकरणों की आपूर्ति का कार्य पूरा कर लिया है और परीक्षण व प्रचालन आरंभ होने का पर्यवेक्षण कर रही है।

मोजांबिक

6. आपकी कंपनी मोजांबिक में संयुक्त उद्यम कम्पनी डोस कमीनोस डी फिरो डा बेरा (सीसीएफबी) को परिवहन मंत्रालय (सीएफएम), मोजांबिक सरकार द्वारा प्रदान किए गए मोजांबिक में बेरा रेल रियायत परियोजना के अंतर्गत रेल पुनर्वास तथा आपूर्ति के विभिन्न कार्य कर रही है, जिसमें आपकी कंपनी की 25% की इक्विटी हिस्सेदारी है तथा राइट्स की 26% की और मोजांबिक के रेल उपक्रम, सीएफएम की 49% की इक्विटी हिस्सेदारी है।

रियायत परियोजना में समस्याओं के बावजूद व्यापक प्रगति हुई है। सेंट्रल मोजांबिक में 670 कि.मी. रेल पथ के पुनर्वास का कार्य व्यापक स्तर पर पूरा हो गया है।

मोजांबिक में डोना एना पुल का पुनर्निर्माण

इस संयुक्त उद्यम कंपनी में इरकॉन की वित्तीय प्रतिबद्धता इस प्रकार है:

	आज की तारीख को कुल निवेश (मिलियन अमरीकी डालर)
इक्विटी	1.250
शेयरधारकों का ऋण	16.685
कुल	17.935

अफगानिस्तान

7. आपकी कंपनी को 28 दिसंम्बर, 2008 में उर्जा एवं जल मंत्रालय, अफगानिस्तान में मौजूदा मजार-ए-शरीफ उपस्टेशन (220/20 कि.वा.) पर 220/20 कि.वा. के नए एबैक उपस्टेशन की आपूर्ति और संस्थापन तथा बे विस्तार का कार्य प्राप्त हुआ है। परामर्शदाता द्वारा आरेखणों/अभिकल्पों की देरी से स्वीकृति दिए जाने के कारण परियोजना की प्रगति को धक्का लगा है। इन स्वीकृतियों के पश्चात वास्तविक कार्य अप्रैल, 2010 में आरंभ हुआ। अब परियोजना का मूल्य 408 मिलियन रुपए है और इस कार्य के मार्च 2011 तक पूरा होने की संभावना है।

अल्जीरिया

8 इरकॉन-आस्का ने 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य पर नेशनल कंपनी फॉर रेल ट्रांसपोर्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्शन, अल्जीरिया से जून, 2008 में अल्जीरिया में एक दोहरी ट्रैक परियोजना प्राप्त की थी। आपकी कंपनी के कार्य का भाग 70% है जिसका मूल्य 7805 मिलियन रुपए है। इस कार्य में अक्टूबर, 2010 तक अल्जीरिया में ओयडस्ले तथा यल्लेल के बीच 93 किमी के दोहरे ट्रैक को बिछाने का कार्य शामिल है। क्लाइंट से 'कार्य आरंभ का आदेश' प्राप्त होने के पश्चात परियोजना के लिए मोबिलाइजेशन का कार्य पूरा किया गया। साथ ही साथ, क्लाइंट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कंपनी के कंसोर्टियम साझेदार को कंसोर्टियम से हटा दिया गया और यह सम्पूर्ण कार्य इरकॉन ने स्वयं ले लिया। सर्वेक्षण तथा अभिकल्प का कार्य लगभग पूरा हो गया है तथा पटरियों के पार्ट-कंसाइंटमेंट का प्रापण कर लिया गया है और स्थल पर वास्तविक कार्य भी आरंभ हो गया है। बहरहाल, अचानक क्लाइंट ने 'कार्य रोकने का आदेश' जारी कर दिया था। तत्पश्चात, क्लाइंट ने निविदा रद्दीकरण के आदेश को वापस लिया और आपकी कंपनी को सम्पूर्ण कार्य प्रदान करने के लिए 23 मई, 2010 को एक आदेश जारी किया। मोबिलाइजेशन का कार्य प्रगति पर है।

ग. सम्भावित विदेशी परियोजनाएं

ईरान, श्रीलंका, मध्य पूर्व देशों, बांग्लादेश, म्यानमार, नेपाल, वियतनाम तथा अफ्रीकी देशों में ठेके प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित उपाय किए जा रहे हैं ।

घ. भारत में पूरी की गई परियोजनाएं

वर्ष के दौरान भारत में 5 परियोजनाएं पूरी की गई , रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के लिए भोपाल और इलाहाबाद में विवाहित कार्मिक आवास की दो परियोजनाएं; पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के लिए चक सिकंदर में कंक्रीट स्लीपर संयंत्र स्थापित करने के लिए **एक** परियोजना; दिल्ली मेट्रो रेल निगम के लिए डीएमआरसी चरण-।। टनल (संयुक्त उद्यम द्वारा) कुतुबमीनार गलियारे के निर्माण तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में

काजीगुंड तथा बारामुला रेल लाइन के प्रचालन का कार्य आरंभ करने की एक परियोजना।

31 मार्च, 2010 के पश्चात चार परियोजनाएं पूरी हुईं; ये परियोजनाएं हैं :

क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-I, हरियाणा के पंछी गुजरां से पानीपत खंड के कि.मी. 66.000 से कि.मी. 86.000 को छह लेन का बनाना;

ख) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के लिए झांसी में विवाहित कार्मिक आवास परियोजना;

ग) पूर्व पश्चिम रेलवे के रेवाड़ी-अजमेर खंड पर विद्युतीय कार्य सहित आमान परिवर्तन कार्य;

घ) रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला का विस्तार।

ड. नई भारतीय परियोजनाएं

वर्ष 2009-10 के दौरान आपकी कंपनी ने भारत में अतिरिक्त निर्माण कार्यों सहित नौ नई परियोजनाएं प्राप्त की हैं। ये परियोजनाएं हैं :

क) सेलेसीह, एजवाल, मिजोरम में पशु विज्ञान कॉलेज तथा पशु अस्पताल के नियोजन, अभिकल्पन तथा निर्माण का कार्य;

ख) ओएनजीसी मंगलौर पेट्रो केमिकल लिमिटेड, मंगलौर, कर्नाटक में कार्गो सड़क निष्पादन कार्य;

ग) काली सिंध ऊर्जा परियोजना, स्तर-I, झालावार, राजस्थान में रेल साईडिंग की अभिकल्प इंजीनियरिंग, विनिर्माण, स्थल के लिए आपूर्ति, निर्माण, संस्थापन तथा कार्य आरंभ करना;

घ) नामित स्टेशनों पर भारतीय रेल के लिए बहुउद्देशीय परिसरों का निर्माण;

जम्मू कश्मीर परियोजना में डीजल मल्टिपल इकाई

ड.) बेहाला, कोलकाता में इंडोर स्टेडियम का निर्माण;

च) काजीगुंडा-श्रीनगर-बारामुला, जम्मू और कश्मीर नई बी.जी. रेल लाईन में अतिरिक्त कार्य;

छ) जम्मू और कश्मीर में लाओल-काजीगुंड खंड के चालू कार्य के अतिरिक्त धरम-लाओल खंड पर निर्माण कार्य;

ज) बिहार में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त कार्य;

झ) बिहार में राज्य सड़कों पर पड़ने वाली सड़क उपरी पुलों का निर्माण।

भारत में कुछ नई/चालू परियोजनाएं **अनुबंध-क** पर उपलब्ध हैं।

<u>संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से बीओटी परियोजना</u>

'इरकॉन-सोमा टॉलवे प्राइवेट लिमिटेड' (आईएसटीपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन 19 अप्रैल, 2005 को इरकॉन तथा सोमा इन्टरप्राइस लिमिटेड (निर्माण कंपनी) की 50% की इक्विटी साझेदारी के साथ की गई थी। यह कंपनी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए महाराष्ट्र में किमी 380 से किमी 265 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के पिंपलगांव-धूले खंड को चार लेन का बनाने की बोओटी परियोजना निष्पादित कर रही है। चंदवाड़ में टोल प्लाजा प्रचालनिक हो गया है और 25 अक्तूबर, 2009 को 99 कि.मी. के भाग के लिए कर एकत्रण आरंभ हो गया है। 19.158 कि.मी. के शेष भाग के लिए भी दिनांक 03 मार्च, 2010 को अनंतिम रुप से कार्य पूरा होने की घोषणा कर दी गई है तथा धूले प्लाजा पर कर एकत्रण का कार्य अप्रैल, 2010 से आरंभ हो गया है।

आईएसटीपीएल में निवेश का ब्यौरा निम्नानुसार है :

	आज की तारीख को कुल वितरण (रुपए मिलियन में)
इक्विटी (आईएसटीपीएल की इक्विटी में इरकॉन के 50% शेयर के अनुपात में)	638.70
असुरक्षित ऋण	100.00
निगमित गारंटी (2000 मिलियन रुपए तक प्रतिबद्ध)	-
कुल	738.70

टोल प्लाजा - धूले पिम्पलगांव परियोजना

आपकी कंपनी ने अपनी वर्तमान शेयरधारिता का वचन दिया है। आईएसटीपीएल द्वारा प्रमुख ऋणदाता बैंक, भारतीय स्टेट बैंक सहित 8 बैंकों से लिए गए 4500 मिलियन रूपए के ऋण अवधि के संबंध में इरकॉन ने आईएसटीपीएल में अपनी शेयरधारिता का वचन प्रस्तुत किया है ।

वर्ष की समाप्ति के तत्काल पश्चात, कंपनी को अप्रैल, 2010 में **दो परियोजनाएं** प्राप्त हुई हैं यथा एक परियोजना 561 मिलियन रुपए के मूल्य पर पश्चिमी रेलवे के सियालदह मंडल पर घोलसापुर (बेहाला) में एक नए इंडोर स्पोर्ट्स परिसर के निर्माण की परियोजना तथा अन्य एक परियोजना 20000 मिलियन रुपए मूल्य पर रायबरेली में रेल डिब्बा कारखाना की स्थापना की है।

च) लेखांकन उपचार का प्रकटन - बंद ईरान परियोजना के बकाया देय

आस्थगित ईराकी बकाया और उस पर ब्याज व बैक-टू-बैक आधार पर उप ठकेदारों को देय ब्याज के प्रावधान को भारत सरकार के साथ तय अंतिम निपटान दर यथा (1 अमरीकी डालर 35.802 रूपए) पर परिवर्तित किया जाता है, जैसाकि पिछले वर्ष किया गया था, एएस-11 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार तुलन पत्र की तारीख की दरों के स्थान पर । यदि एस-11 का अनुसरण किया जाता तो वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ 42.65 मिलियन रुपए अधिक होता। इसका ब्यौरा अनुसूची-ट में लेखों संबंधी नोट के पैरा-12 में दिया गया है।

प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन, समावेशन और अनुसंधान एंव विकास

आपकी कम्पनी ने प्रौद्योगिकी तथा निर्माण तकनीकों के निरन्तर स्तरोन्नयन के लिए एक "इंजीनियरिंग नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा कक्ष" स्थापित किया है, और यह उपयुक्त अभिकल्पन तथा बहुमूल्य इंजीनियरिंग के पहलुओं पर निगरानी रखता है। यह कक्ष विभिन्न प्रकार की संरचनाओं से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए अभिकल्प तथा आरेखों की समीक्षा भी करता है, तथा संरेखण अभिकल्प, भू-तकनीकी आदि क्षेत्रों में तकनीकी बैक-अप के साथ नई परियोजनाओं के विपणन प्रयासों व अवधारणीकरण में सहयोग देने के लिए अभिकल्प डाटा के मानकीकरण के साथ इंजीनियरिंग उपाय उपलब्ध कराता है। आपकी कंपनी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर रही है।

वर्ष के दौरान, कटरा-धरम-काजीगुंड खंड के संरेखण समीक्षा का कार्य सेटेलाइट इमैजनरी डाटा, फोटोग्रैमैट्री तथा एलआईडीएआर (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, भू-डाटा एकत्रण के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग) के प्रयोग द्वारा ग्राउंड टोपोग्राफी मॉडलिंग तथा ग्राउंड टोमोग्राफी के लिए सेस्मिक रिफ्रैक्शन तथा इलेक्ट्रो रजिस्टीविटी, संरेखण स्थापन के लिए डिफ्रेंशल ग्लोबल पोजिशिनिंग प्रणाली तकनीकों सहायक सेटेलाइट, तथा एमएक्स-रेल सॉफ्टवेयर का गहन प्रयोग किया गया है। इन तकनीकों के कारण अति अल्प अवधि में अत्यंत कुशलतापूर्वक रुप से भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इष्टतम संरेखण का विकास संभव हो पाया है।

विसूचीकरण

रेल मंत्रालय ने दिनांक 19.05.2010 के अपने पत्र सं0-2009/पीएल/64/3(इरकॉन) के तहत सूचित किया है कि आपकी कंपनी को अपने शेयर विसूचीकृत कराने होंगे। निदेशक मंडल ने प्रमोटरों की ओर से विसूचीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। सेबी (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियमन, 2009 के अंतर्गत अपेक्षित औपचारिकताएं प्रगति पर हैं।

कार्मिक विकास

कम्पनी में कर्मचारियों के मध्य सोहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध विद्यमान हैं। आपकी कम्पनी सुव्यवस्थित प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण के माध्यम से वर्तमान तथा भविष्य की संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निरन्तर अद्यतन बनाए रखती है । अवसंरचना विकास के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि होने के कारण अनुभवी श्रमशक्ति में असंतोष उत्पन्न हो रहा है। वर्ष के दौरान 57 तकनीकी तथा व्यावसायिक रुप से योग्य कर्मचारियों की भर्ती हुई है हालांकि 93 व्यावसायिक कर्मचारी ने कंपनी को छोड़ा है।

31 मार्च 2010 को कार्मिकों की कुल संख्या 1751 है जिनमें 148 कार्मिक प्रतिनियुक्त पर हैं तथा इनमें से अधिकतर (107) को विदेशी परियोजनाओं में लगाया गया है । 1494 नियमित कार्मिकों में से 1367 कार्मिक भारतीय परियोजनाओं पर तैनात हैं। महिला कार्मिकों की कुल संख्या 85 है, जिनमें से 39 कार्यपालक हैं। कंपनी के 940 (53.68%) कार्मिक इंजीनियर हैं।

आपकी कंपनी में कर्मचारी कल्याण की विभिन्न योजनाएं विद्यमान हैं जैसे कर्मचारियों के मेधावी बच्चों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति, व्यावसायिक डिग्री तथा डिप्लोमा पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए एक बार शैक्षिक अनुदान, शैक्षिक पुरस्कार, मृत कर्मचारियों के परिजनों को भी शैक्षणिक सहायता, समूह ग और घ कर्मचारियों की बेटियों तथा आश्रित बहनों के विवाह में सहयोग, आदि। निगमित कार्यालय में कर्मचारियों को होम्योपैथी द्वारा निःशुल्क परामर्श तथा दवाईयां उपलब्ध कराई जाती हैं। निगमित कार्यालय में पुरुष व महिला दोनों वर्ग के कर्मचारियों के लिए बैचों में लगभग छह महीने की योगा कक्षायें भी चलाई जा चुकी हैं। कंपनी का विभिन्न रिजोर्टों के साथ अनुबंध है ताकि कर्मचारियों को रियायती दरों पर रिजार्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

कंपनी महिला कर्मचारियों के लिए सहयोगपूर्ण तथा सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करा रही है। कंपनी में कार्य स्थल में महिला उत्पीड़न के निवारण के लिए एक शिकायत समिति विद्यमान है जो किसी प्रकार की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करती है, चाहे वह अनौपचारिक ही क्यों न हो ताकि समस्या को आरंभ में ही समाप्त किया जा सके।

28 अप्रैल, 2010 को 34वां वार्षिक दिवस परम्परागत उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों तथा चुनिंदा परियोजनाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना की गई व उन्हें पुरस्कृत किया गया।

अनुपालन

राष्ट्रपति का आदेश

वर्ष 2008-09 के दौरान सीडीए तथा आईडीए वेतन पैटर्नों के अंतर्गत वेतनमानों तथा महंगाई भत्ते के संशोधन को क्रमशः 1 जनवरी, 2006 तथा 1 जनवरी, 2007 से लागू करने के लिए राष्ट्रपति के निर्देश प्राप्त हुए हैं जिन्हें वर्ष 2009-10 के दौरान कार्यान्वित किया गया है।

राजभाषा

हिन्दी के प्रयोग के संबंध में आदेशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। कंपनी की द्विभाषीय वेबसाइट को नियमित रुप से अद्यतन किया जाता है। सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा उपलब्ध है। हिन्दी भाषा में समान टेम्पलेट की सुविधा प्राप्त करने के लिए यूनिकोड सहिष्णु सॉफ्टवेयर तथा फॉन्ट प्रयोग किए जा रहे हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी तिमाही बैठकें तथा कार्यशालायें आदि नियमित आधार पर आयोजित की जा रही हैं। विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी तथा एक सहायक जन-सूचना अधिकारी के साथ-साथ कंपनी के चार क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रत्येक कार्यालय के एक राज्य स्तरीय जन-सूचना अधिकारी के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना कम्पनी की वैवसाइट में डाल दी गई है । प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय सीमा के भीतर दिया जाता है।

कर्मचारियों का विवरण

2009-10 के दौरान प्रतिवर्ष 24 लाख रुपए या अधिक या प्रतिमाह दो लाख रुपए या अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के संबंध में, कंपनी (कर्मचारी विवरण) नियम, 1975 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम की धारा 217 (2क) के प्रावधानों के अनुसार सूचना **अनुबंध-क-1** पर संलग्न है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी में निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी सीएसआर दिशा-निर्देश की तर्ज पर सीएसआर नीति तथा संरचना विद्यमान है। निदेशक मंडल ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए प्रतिवर्ष कंपनी के निवल लाभ का 0.5% आवंटित किया है। वर्ष 2010-11 के लिए कंपनी तथा रेल मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत 4 सीएसआर परियोजनाएं निर्धारित की गई हैं। सीएसआर की एक परियोजना के अंतर्गत पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण सोसाईटी (एसपीसीए), नोएडा के लिए 16 कनाल की एक सूक्ष्म इकाई में एक ऑपरेशन थियेटर तथा सेनिटेशन इकाई का निर्माण किया जा रहा है। कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा हाल ही में जारी सीएसआर दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत अपनी सीएसआर नीति व संरचना में यथा अपेक्षित परिवर्तन किए हैं।

ऊर्जा संरक्षण तथा पर्यावरण महत्व

ऊर्जा संरक्षण के लिए निगमित कार्यालय भवन में विभिन्न अत्याधुनिक प्रणालियां संस्थापित की गई हैं तथा पर्यावरण सहिष्णु तकनीकों को अपनाया गया है।

वर्ष के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण नीतियों की समीक्षा, संशोधन तथा पुनः जारी किया गया है। सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली पर नियमित प्रशिक्षण तथा जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कर्मचारियों में ऊर्जा संरक्षण संबंधी जागरुकता पैदा करने के परिणामस्वरुप निगमित कार्यालय में ऊर्जा संरक्षण में निरंतर कमी आई है।

सतर्कता गतिविधियां

सतर्कता विभाग की अध्यक्षता भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए पूर्णकालीन मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ द्वारा की जाती है। सतर्कता विभाग निवारक तथा दंडात्मक दोनों कार्यों को देखते हैं।

वर्ष 2009-10 के दौरान संक्षेप में सतर्कता गतिविधियों में शामिल हैं, आंतरिक शिकायतों तथा जन साधारण, जन प्रतिनिधियों, कार्य एजेंसियों आदि द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायतों की जांच तथा निवारण; प्रणाली सुधार तथा सतर्कता दृष्टि से अनुपालन के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर विभिन्न परिपत्रों को जारी करना; दंडात्मक सतर्कता मामलों का निपटान; दंडात्मक सतर्कता की प्रक्रिया को तेज करना; सतर्कता संबंधी मामलों में जागरुकता पैदा करने के लिए कार्यपालकों तथा परियोजनाओं में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए सतर्कता प्रशिक्षण। संगठन में सतर्कता प्रणाली को उपयुक्त रुप से सुदृढ़ किया गया है ताकि उपर्युक्त कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित किया जा सके। कुछ चुने गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में अनेक उपायों को लागू किया गया है ताकि उन पर ध्यान दिया जा सके जैसे 'सतर्कता प्रशासन में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी का लिवरेजिंग', प्रणाली में सुधार तथा ई-टेंडरिंग/भुगतान आदि। निवारक सतर्कता के क्षेत्र में सतर्कता प्रणाली द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के परिणामस्वरुप दंडात्मक मामलों की संख्या में कमी हुई है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने 'शिकायत निवारण नीति' तथा 'निरस्त ठेकों को पुनः आरंभ करने पर दिशा-निर्देश' का सृजन किया है।

गुणवत्ता प्रबंधन

वर्ष 1996 से जब टीयूवी सड्यूस्चलैंड प्रा. लिमिटेड (टी यू वी) द्वारा कम्पनी को समग्र रूप से पहली बार आइएसओ 9002 के लिए प्रमाणित किया गया था, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू एम एस) को सफलतापूर्वक चलाया तथा निरंतर उन्नत किया गया है। आपकी कंपनी को टीयूवी द्वारा लेखापरीक्षा के पश्चात प्रत्येक 3 वर्षों में एक बार संशोधित कोड आई.एस.ओ 9001-2000 के अनुसार पुनः प्रमाणित किया जाता है। 2009-10 के दौरान कंपनी को अद्यतन संशोधित कोड आई.एस.ओ 9001-2000 के अनुसार पुनः प्रमाणित किया गया है। 2009-10 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य यथा 1000 मिलियन रुपए से ऊपर के मूल्य पर प्रयोगशाला की स्थापना और परियोजनाओं पर गुणवत्ता आश्वासन अभियानों को करने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण तथा निरंतर सुधार आदि संबंधी ज्ञान को बांटने के लिए वर्ष के दौरान 'इरकॉन ज्ञान ब्लॉग' की एक नई पहल की गई है।

सहायक कंपनी

आपकी कंपनी ने 30 सितम्बर, 2009 को 'इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड' (इरकॉन आईएसएल) नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया है। इरकॉन आईएसएल ने कंपनियों के रजिस्ट्रार कार्यालय से 10 नवम्बर, 2009 को व्यावसाय प्रारंभ प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इरकॉन आईएसएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 मिलियन रुपए है। 31 मार्च, 2010 को इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 4 मिलियन रुपए थी जो अब बढ़कर 49 मिलियन रुपए हो गई है।

माननीय रेल मंत्री के रेल बजट में दर्शाए अनुसार रेल प्रयोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेल प्रणाली के चिह्नित स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों के निर्माण के लिए 21 अगस्त, 2009 को कंपनी तथा रेल भूमि विकास प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इरकॉन आईएसएल के मुख्य उद्देश्य - जैसाकि कंपनी के पंजीकृत चार्टर में दर्शाया गया है, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को निष्पादित करना; निर्माण - प्रचालन - हस्तांतरण (बीओटी), निर्माण - स्वामित्व - प्रचालन - हस्तांतरण (बीओओटी), निर्माण - पट्टा - हस्तांतरण (बीएलटी), आदि या अन्यथा या कोई अन्य योजना या अवसंरचनात्मक परियोजना की संबंधित क्षेत्र में तथा अन्य अनुषंगी क्षेत्र में अवसंरचना निर्माण कार्य करना; भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुउद्देशीय परिसरों हेतु अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में नियोजन, अभिकल्पन, विकास तथा सुधार आदि कार्य करना; तथा रियल इस्टेट तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सभी मुद्दे।

अब तक आरएलडीए ने कंपनी को 24 बहुउद्देशीय परिसरों का कार्य निर्धारित किया है। सभी बहुउद्देशीय परिसरों के निर्माण का कार्य आपकी कंपनी को दिया गया है।

सूचना प्रौद्यौगिकी एवं ईआरपी का विकास

आपकी कंपनी परियोजनाओं तथा निगमित कार्यालय के बीच डाटा संप्रेषण के लिए समर्पित पट्टा लाइन सर्किट वाले एक अत्याधुनिक डाटा केन्द्र को अनुरक्षित कर रही है। यह डाटा केन्द्र सुरक्षित उच्च गति लेन तथा वेन सम्पर्कता के लिए नेटवर्क तथा इंटरनेट सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है। केन्द्रीकृत रुप से तथा सुरक्षित तौर पर प्रयोक्ता डाटा के प्रभावी प्रबंधन के लिए थिन-क्लाइंट साल्यूशन आधारित लाइनक्स का प्रयोग कर रहा है।

ऑन-लाइन प्रगति रिपोर्टिंग (ओपीआर) प्रणाली द्वारा आवधिक समीक्षा सहित परियोजनाओं की मॉनीटरिंग और कार्य की प्रगति के लिए प्राइमावेरा आधारित परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के आरेखणों तथा अभिकल्पों का निर्माण करने के लिए विशिष्टीकृत साफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है । कंपनी में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा के स्थापन का कार्य प्रगति पर है। कंपनी एसएपी/ओरेकल प्लेटफार्म के अंतर्गत एकीकृत सूचना प्रणाली आधारित ईआरपी को भी कार्यान्वित कर रही है।

आपकी कंपनी ने सीयूजी मोबाईल नेटवर्क सुविधा को लागू करके अपने कर्मचारियों के लिए संचार अवसंरचना में सुधार किया है जो भारतीय रेल तथा उसके उपक्रमों के सीयूजी नेटवर्क का एक भाग है। यह सुविधा निगमित कार्यालय के कर्मचारियों तथा परियोजनाओं के कर्मचारियों को शामिल करती है और इससे संचार में होने वाले व्यय में कमी हुई है।

पुरस्कार

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद

1. कंपनी को वर्ष 2007-08 के दौरान इंजीनियरिंग निर्यात के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद), उत्तरी क्षेत्र द्वारा 'मर्चेंट निर्यातकों के रूप में शीर्ष निर्यातक' की श्रेणी में 'शीर्ष निर्यातकों के लिए स्वर्ण ट्राफी' प्रदान की गई है।
2. कंपनी को वर्ष 2008-09 के दौरान उत्कृष्ट निर्यात निष्पादन के लिए ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद), उत्तरी क्षेत्र से 'निर्यात में अधिकतम विकास-बड़े उद्यमकर्ता' की श्रेणी में 'अखिल भारतीय निर्यात पुरस्कार' के लिए भी चुना गया है।

एकीकृत रिपोर्ट

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अपेक्षानुसार 'कार्पोरेट शासन रिपोर्ट' तथा प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट इस निदेशक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है तथा इन्हें क्रमशः इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक 'ख' तथा 'ग'** के रूप में रखा गया है।

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट कम्पनी की गतिविधियों, उसके व्यावसायिक परिवेश, लक्ष्य एंव उद्देश्यों, दृष्टिकोण, प्रचालनिक निष्पादन, उसके संसाधनों व प्रणालियों, विशेषताओं, अवसरों, सीमाओं, जोखिमों और महत्वपूर्ण पहलुओं, नीतियों, भावी सम्भावनाओं आदि का प्रारूप प्रस्तुत करती हैं ।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट, निगमित शासन के दर्शन, निदेशक मंडल तथा उसकी समिति की संरचना, उनका ब्यौरा, जिसमें वर्ष 2009-10 के दौरान कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का प्रोफाइल शामिल है और इसके अतिरिक्त, निदेशकों आदि की उपस्थिति तथा वेतन, अन्य संगत प्रकटन, सीईओ/सीएफओ प्रमाणन, शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना उपलब्ध कराती है। इसमें निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र भी शामिल होते हैं।

(i) सूचीकरण करार के खण्ड (i) (डी) (ii) के अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान सभी मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार सहिंता **(अनुलग्नक 'ग'-1 पर)** के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र; और

(ii) सूचीकरण करार के खण्ड 49 (V) के उपखण्ड (क) से (घ) तक**(अनुलग्नक 'ग'-2 पर)** के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन निदेशक तथा निदेशक वित्त से प्रमाण पत्र;

(iii) सूचीकरण करार के खण्ड 49 (Vii) के अनुसार सनदी कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित खडं 49 के प्रावधनों के अनुसार निगमित शासन **(अनुलग्नक ग-3 पर)** के अनुपालन का प्रमाण पत्र।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:-

1. वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो ।
2. ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए तथा वर्ष 2009-10 के कम्पनी के लाभ के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके ।
3. जैसा कि वार्षिक लेखा में घोषित है, परिसंपतियों की सुरक्षा करने तथा छल कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रख-रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।
4. वार्षिक लेख-सुनाम-प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया गया है ।

निदेशक मंडल

अप्रैल 2009 से मार्च, 2010 के दौरान निदेशक मंडल की सात बैठकें आयोजित हुईं थीं जिनमें से तीन बैठकें सितम्बर 2009 को समाप्त तिमाही में, दो बैठकें जून 2009 तथा एक-एक बैठक दिसम्बर 2009 व मार्च, 2010 को समाप्त तिमाहियों में आयोजित की गई थीं ।

वर्ष 2009-10 के दौरान निम्नलिखित निदेशक पदमुक्त हुए :-

1	श्री सुधीर माथुर निदेशक (वित्त)	दिनांक 30/06/2009 (अपराह्न) को अधिवर्षिता के कारण निदेशक के पद से पदमुक्त हुए । वह दिनांक 01/11/2005 (पूर्वाह्न) से 30/06/2009 (अपराह्न) तक इस पद पर रहे ।

31 मार्च 2010 के पश्चात निम्नलिखित निदेशक पदमुक्त हुए:-

1	श्री एस.एस. खुराना अंशकालीन अध्यक्ष(सरकारी)	दिनांक 31/05/2010 (अपराह्न) को अधिवर्षिता के कारण निदेशक के पद से पदमुक्त हुए । वह दिनांक 16/03/2009 (पूर्वाह्न) से 31/05/2010 (अपराह्न) तक इस पद पर रहे ।
2	श्री आर. सुब्रमणयन अंशकालीन निदेशक (गैर-सरकारी)	28/06/2010 (अपराह्न) को 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त करने के पश्चात निदेशक के पद से कार्यमुक्त हुए। वह दिनांक 29/06/2007 (पूर्वाह्न) से 28/06/2010 (अपराह्न) तक इस पद पर रहे ।

आज की तारीख को निम्नलिखित निदेशकों ने पद ग्रहण किए हुए हैं :-

1	श्री राकेश चोपड़ा,	11/06/2010 (पूर्वाह्न) से आगे अंशकालीन अध्यक्ष (सरकारी)
2	श्री मोहन तिवारी, प्रबंध निदेशक	01/02/2009 (पूर्वाह्न) से प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
3	श्री मदन लाल निदेशक (निर्माण)	23/04/2007 (पूर्वाह्न) से आगे
4	श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त	03/11/2009 (पूर्वाह्न) से आगे
5	श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना	16/04/2010 (पूर्वाह्न) से आगे
6	श्री एन. पार्थासारथी अंशकालीन निदेशक (गैर-सरकारी)	01/10/2007 (पूर्वाह्न) से आगे
7	श्री ए.के.तिवारी अंशकालीन निदेशक (सरकारी)	19/01/2009 (पूर्वाह्न) से आगे

लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2009-2010 के लिए कम्पनी के लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए हैं -

सांविधिक लेखापरीक्षक :

वाही एण्ड गुप्ता, नई दिल्ली	कम्पनी के लिए समग्र रुप से

भारत में परियोजनाओं हेतु शाखा लेखापरीक्षक:

श्री रवि वर्मा एंड कंपनी, नई दिल्ली	**उत्तरी क्षेत्र के अन्तर्गत सभी परियोजनाएं**
गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएट्स, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	**जम्मू और कश्मीर क्षेत्र और पंजाब(श्रीनगर क्षेत्र के रुप में नामित) की सभी परियोजनाओं के लिए।**
प्रकाश और संतोष, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	यूपी-01, यूपी-04, यूपी-05, इलाहबाद परियोजनाएं, ग्वालियर, एमएपी झांसी, लखनऊ, मुगलसराय (कानपुर क्षेत्र के रुप में नामित)
ए.एन. चटर्जी एण्ड कम्पनी, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत सभी परियोजनाएं
मित्तल एण्ड एसोसिएट्स, मुम्बई (महाराष्ट्र)	पश्चिमी क्षेत्र के अन्तर्गत सभी परियोजनाएं
ए.आर.विश्वनाथन एण्ड कम्पनी, बंगलौर (कर्नाटक)	दक्षिणी क्षेत्र के अन्तर्गत सभी परियोजनाएं

विदेश में परियोजनाओं हेतु शाखा लेखापरीक्षक:

वाही एण्ड गुप्ता, नई दिल्ली	मलेशिया में सभी परियोजनाएं
मैनबेरे ल्यूल एण्ड कम्पनी, इथोपिया	इथोपिया
ऑडीकोंटास, ल्डे, बेरा	मोजांबिक
एस.एन. नन्दा एण्ड कम्पनी, अफगानिस्तान	अफगानिस्तान
फिडेसियेर डी'एक्सपर्टीस कम्पटेबल फिडैक्सा	अल्जीरिया
जयासिन्हे एंड कंपनी, कोलंबो, श्रीलंका	श्रीलंका

आभारोक्ति

हम रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्यात-आयात बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, निर्यात ऋण तथा गारण्टी निगम, विभिन्न बैंकों, राजदूतावासों, आप्रवासन प्राधिकारियों, पासपोर्ट प्राधिकारी, दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा भारत और विदेश दोनों में हमारे सम्मानित ग्राहकों के प्रति कम्पनी में रूचि बनाए रखने और समर्थन के लिए सराहना करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं । इस अवसर पर हम प्रख्यात पूर्वाधिकारियों का नम्रतापूर्वक स्मरण करते हैं और उनकी भूरि-भूरि सराहना करते हैं ।

इस अवसर पर हम अपनी कम्पनी के सभी कर्मचारियों की सक्षमता तथा कृतज्ञता पर अपने विश्वास की पुनःपुष्टि करते हैं जो कंपनी के विकास तथा समृद्धि में अपने मूल्यवान योगदान के लिए कंपनी की शक्ति के स्तंभों के रुप में हैं।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

के.के. गर्ग
निदेशक वित्त

मोहन तिवारी
प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
दिनांक : 06.08. 2010

अनुबंध-क

प्रगतिरत प्रमुख भारतीय परियोजनाएं

(मिलियन रुपए में)

परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य*
रेल कार्य:	
1. जम्मू और कश्मीर में काजीगुंड-श्रीनगर-बारामुल्ला नई बी. जी रेल सम्पर्क परियोजना (ट्रैक निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा अक्तूबर, 2009 को प्रचालन के लिए खोल दिया गया है)। वर्ष के दौरान प्राप्त अतिरिक्त भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।	26030
2. जम्मू और कश्मीर में धरम- लाओल के अतिरिक्त खंड सहित धरम - काजीगुंड नई बी. जी रेल सम्पर्क परियोजना।	56000
3. पटना में गंगा नदी के ऊपर रेल-सह-सड़क पुल के इस्पात सुपरस्ट्रक्चर का निर्माण तथा अन्य अनुषंगी कार्य	11913
4. बिहार राज्य में वर्ष के दौरान प्राप्त अतिरिक्त कार्यों के अलावा सड़क उपरिपुलों का निर्माण	6608
रेलवे-आरवीएनएल (रेल विकास निगम लिमिटेड) कार्य:	
5. उत्तर प्रदेश में अलीगढ़-गाजियाबाद खण्ड (106 कि.मी.) की तीसरी लाइन के प्रावधान संबंध में रोडबैड, पुलों, सुविधाओं का निर्माण, रेलपथ का संस्थापन, विद्युतीकरण (गेम्मन डंकले एण्ड कम्पनी लि. के साथ संयुक्त उपक्रम में)	1346
सड़क/राजमार्ग परियोजनायें:	
6. बिहार राज्य में वर्ष के दौरान प्राप्त अतिरिक्त कार्यों के अलावा 8 जिलों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य को करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को लागू करना।	10653
7. बिहार में राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीआई) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास।	6080
8. उत्तर प्रदेश (यूपी-5) में पूर्व पश्चिम गलियारे पर राष्ट्रीय राजमार्ग-25 (कि.मी. 170.00 से कि. मी. 220.00) को चार लेन का बनाने वाला पुनर्वासन तथा उन्नयन कार्य।	3030
9. एन.एच.डी.पी. के चरण-II कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व-पश्चिम गलियारे पर मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग-31 को 2 लेन से 4 लेन (पश्चिम बंगाल में सिलिगुड़ी-इस्लामपुर खण्ड के कि.मी. 526.00 से किमी. 507.00 तथा 10.31 किमी. लम्बे इस्लामपुर बाईपास) को चौड़ा करना व सुदृढ़ीकरण ।	2580
10. न्यू मैंगलोर पोत सड़क सम्पर्कता परियोजना-कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग-17, राष्ट्रीय राजमार्ग-48 तथा मैंगलोर बाईपास को चार लेन का बनाना व सुदृढ़ीकरण ।	1708
11. तमिलनाडु राज्य में पहुंच मार्गों तथा पुलियाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड में सड़क उपरी पुल का निर्माण।	1528
12. उत्तरी क्षेत्र (पंजाब एवं जम्मू व कश्मीर) में सड़क उपरिपुल का निर्माण	1085
13. तमिलनाडु के राजमार्ग विभाग के लिए तमिलनाडु में नागपट्टनम से कट्टूमवदी तक सड़कों का ग्रेडोन्नयन तथा नागपट्टनम, तिट्टूथुरैपंडी तथा मुट्टुपेट में नए बायपास का निर्माण (एसएमजे, इंडोनेशिया के साथ संयुक्त उद्यम में)	1355 (इरकॉन का हिस्सा)
मेट्रो रेल निर्माण कार्य:	
14. दिल्ली एमआरटीएस परियोजना चरण-2 परियोजना (ठेका बीई-8)- जहांगीर पुरी, मुंडका, अम्बेडकर कॉलोनी, अन्तरराष्ट्रीय सहयोग हेतु जापान बैंक (जेबीआईसी) द्वारा वित्तपोषित तथा बोटेनिकल गार्डन (नोएडा) तथा सुशांतलोक (गुड़गांव) (गैर जेबीआईसी वित्तपोषित) पर प्रापण सह कर्षण सह पूरक मुख्य उपस्टेशन के लिए आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण, आरम्भ करने का कार्य ।	1460
15. चरण-।। गलियारे (केन्द्रीय सचिवालय से गुड़गांव) (ठेका बीटी-2) के रेलपथ की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण, आरम्भ करने का कार्य ।	808
16. टॉलीगंज-गरिया खंड में घर्षण तथा ऑक्सीलरी उपस्टेशन की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण तथा प्रचालन के लिए आरंभ करना।	491
विद्युतीकरण कार्य:	
17. मुगलसराय-उत्तरातिया खंड (रेल विद्युतीकरण परियोजना, लखनऊ के अंतर्गत ग्रेड 136 तथा 137) के लिए रेल विद्युतीकरण तथा संबंधित सिविल कार्य तथा सिग्नलिंग एवं दूरसंचार कार्य।	3287
18. तिरुवनंतपुरम शहर तथा कोच्ची शहर में केरल राज्य बिजली बोर्ड के लिए 11 कि.वा. वितरण नेटवर्क ।	2066

(मिलियन रुपए में)

परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य*
19. कन्कोलिम में 220 कि.वा. उपस्टेशन तथा दोहरी सर्किट लाइन का अभिकल्प, निर्माण, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण तथा प्रचालन आरंभ करने का कार्य।	747
भवन परियोजनाएं:	
20. केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान, वार्सोवा, मुम्बई (चरण-III) के लिए नए विश्वविद्यालय परिसर का कार्य	643
21. सेलेसिह, ऐजवाल, मिजोरम में पशु विज्ञान कॉलेज तथा पशु चिकित्सालय का नियोजन, अभिकल्पन तथा निर्माण	280
अन्य परियोजनाएं:	
22. बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) का निर्माण	784
23. काली सिंध ऊर्जा परियोजना, स्तर-I, झालावार, राजस्थान में रेल साईडिंग का अभिकल्प, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, स्थल के लिए आपूर्ति, निर्माण, संस्थापन तथा कार्य	1000

*परियोजना मूल्य संशोधित मूल्य हैं।

अनुबंध-क-1

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए)के अंतर्गत यथा अपेक्षित कर्मचारियों के ब्यौरे का विवरण

क. वित्त वर्ष के दौरान कार्यरत कर्मचारी

क्रम सं0	नाम	पदनाम/ ड्यूटी की प्रकृति	प्राप्त सकल पारिश्रमिक (रु.)	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	कार्यभार आरंभ की तिथि तथा प्रकृति	कर्मचारी की आयु	कंपनी में कार्यभार ग्रहण से पूर्व कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम पद
1	श्री मोहन तिवारी	प्रबंध निदेशक	28,37,538	बीई (ऑनर्स) सिविल, एम.टेक (संरचना); पीजीडीआईएम	30	25.06.1998 को इरकॉन में कार्यभार ग्रहण किया। 01.02.2009 को प्रबंध निदेशक के रुप में कार्यभार ग्रहण किया।	54	भारतीय रेल
2	श्री मदन लाल	निदेशक निर्माण	28,47,165	बीई (ऑनर्स) सिविल	32	04.02.2004 को इरकॉन में कार्यभार ग्रहण किया। 23.04.2007 को निदेशक निर्माण के रुप में कार्यभार	59	भारतीय रेल

ख. वित्त वर्ष के भाग के दौरान कार्यरत कर्मचारी

1	श्री सुधीर माथुर	निदेशक वित्त	15,57,323	अर्थशास्त्र में बी.ए. (ऑनर्स), एम.ए. (लोक प्रशासन), पीजीडीपीएम	40	01.11.2005 से 30.06.2009 को अधिवर्षिता तक पदभार पर रहे।	60	भारतीय रेल

नोट :
उपर्युक्त किसी भी कार्मिक द्वारा कोई इक्विटी शेयर धारण नहीं किया गया है।

संलग्नक "ख"

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

एक विहंगावलोकन

आपकी कंपनी टर्नकी आधार पर और अन्यथा रेलवे और राजमार्ग निर्माण कार्य की विशेषज्ञता के साथ देश में सार्वजनिक क्षेत्रक निर्माण कम्पनियों में निरन्तर क्षेत्रक अगुआ बनी हुई है। कंपनी अपनी स्थापना के दूसरे वर्ष से ही लगातार वर्ष प्रतिवर्ष लाभ अर्जित कर रही है। कंपनी ऐसे कुछ एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कम्पनियों में से एक है जो देश के लिए विदेशी विनिमय अर्जित कर रही हैं तथा सरकार को प्रत्येक वर्ष लाभांश का भुगतान कर रही है। सरकार से किसी भी प्रकार से सहायता नहीं ली गई है। रेलवे निर्माण कम्पनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने के पश्चात् सन् 1985 से इसने उत्तरोतर विविध कार्यों तथा सड़कों, भवनों, विद्युत सब-स्टेशन एवं वितरण कार्य, हवाई अड्डा निर्माण, वाणिज्यिक कॉम्लेक्स के अतिरिक्त मेट्रो निर्माण कार्य को निषादित किया है।

आपकी कंपनी ने पिछले 34 वर्षों से देश और विदेश दोनों में महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं का निष्पादन किया है। भारत में इरकॉन विशेष रूप से जोखिम भरे भूभागों और गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में कार्य निष्पादित करने के लिए जानी जाती है।

इरकॉन एक अनुसूची 'क' कम्पनी है तथा मिनिरत्न श्रेणी -I की कम्पनी है।

व्यवसाय वातावरण

वर्ष 2008-09 से विश्वभर में वैश्विक वित्तीय मंदी की पृष्ठभूमि में वर्ष 2009-10 कठिन परिस्थितियों में आरंभ हुआ। बहरहाल, भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2009-10 की दूसरी तिमाही में परिवर्तन आया और उसमें 7.4% की विकास दर प्राप्त की। सरकार की नीतियों के परिणामस्वरुप अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ। आर्थिक तथा पर्यावरणिक कारकों की वजह से रेल परिवहन में आर्थिक हितों की उत्पत्ति जारी रही।

कंपनी की घरेलू कार्यों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना जैसी राष्ट्रीय योजनाएं तथा भारतीय रेल तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए सड़क उपरी पुलों के निर्माण के कार्य शामिल हैं।

घरेलू क्षेत्र में अवसरों का कार्यक्षेत्र इस प्रकार है :

<u>रेलवे -</u> यात्री सुविधाओं का स्तरोन्नयन, बहुउद्देशीय परिसरों का विकास, नई उत्पादन इकाईयां जैसे रेल डिब्बा कारखाना, डीजल इंजन कारखाना, विद्युत इंजन कारखाना आदि।

<u>सड़क -</u> पीएमजीएसवाई, आरएसवीवाई के अंतर्गत सड़कों का विकास, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही एनएचपीडी के अंतर्गत राजमार्गों का निर्माण, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी - एनई) के अंतर्गत उन्नत सड़क संपकर्ता। सरकार द्वारा राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के लिए मास्टर प्लान पर सक्रियता के साथ विचार किया जा रहा है।

<u>मेट्रो -</u> दिल्ली, कोलकाता तथा मेट्रो रेल परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों बंगलुरु, मुम्बई, चेन्नई आदि तक बढ़ाई जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कंपनी मलेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मोजाम्बिक तथा एल्जीरिया में परियोजनायें निष्पादित कर रही है। इसके अतिरिक्त, **श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यानमार, नेपाल, वियतनाम, मध्य पूर्व के अन्य देशों तथा अफ्रीकी देशों में भी अवसर विद्यमान हैं।**

दृष्टिकोण

वर्ष 2010-11 के लिए रेल मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में उल्लिखित कम्पनी का विजन, लक्ष्य तथा उद्देश्य निम्नानुसार हैः-

विजन

आधार संरचना के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों और सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम को शामिल करते हुए इस क्षेत्र की सर्वोत्तम कम्पनियों की तुलना में विशिष्टता प्राप्त निर्माण संगठन के रूप में देश तथा विदेशों में अपनी पहचान बनाना।

लक्ष्य

1. भारत तथा विदेशों में परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य के अवसंरचनात्मक विकास की निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को प्रभावपूर्ण रूप से तैयार करना।
2. सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवता वाले उत्पाद व सेवाओं को इंजीनियरिंग तथा बेहतर कार्पोरेट शासन व ग्राहक संतुष्टि की दृष्टि से उपलब्ध कराकर विश्वव्यापी पहचान बनाना।

उद्देश्य

1. कम्पनी की व्यावसायिक गतिविधियों के आकार व मूल्य को बढ़ाना ताकि वर्ष 2011-12 तक 35000 मिलियन रुपए का टर्नओवर प्राप्त किया जा सके।
2. लगाई गई पूँजी से इष्टतम लाभ प्राप्त करना।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2009-10 में कंपनी ने अब तक की सर्वाधिक कुल आय अर्जित की है यथा 32169 मिलियन रूपए जो वर्ष 2008-09 में प्राप्त 27395 मिलियन रूपए की कुल आय से 17.43% अधिक है। विदेशी परियोजनाओं से प्रचालनिक आय में व्यापक वृद्धि की है, जो पिछले वर्ष 2008-09 के दौरान 8027 मिलियन रूपए से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 11962 मिलियन रूपए हो गई है। कर पूर्व लाभ 2008-09 में 1877 मिलियन रुपए से बढ़कर 2009-10 में 2640 मिलियन रुपए हो गई है जो 40% की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष के दौरान निवल आय में 11.6% की वृद्धि हुई है तथा सकल मार्जिन में 31.65% की वृद्धि हुई है। प्रति शेयर आमदनी 2008-09 में 141.63 मिलियन रुपए से बढ़कर 2009-10 में 184.06 मिलियन रुपए हो गई है जो कि 29.96% की वृद्धि है। कंपनी ने 2009-10 में शुद्ध विदेशी विनिमय से 2641 मिलियन रुपए अर्जित किए हैं जो कि वर्ष 2008-09 में अर्जित 956 मिलियन से अधिक है और 176% की भारी वृद्धि को दर्शाता है।

निदेशक मंडल ने 21.20 रुपए प्रति शेयर (212%) की दर से अन्तिम लाभांश फरवरी 2010 में घोषित व भुगतान किया और इसके अतिरिक्त, 15.80 प्रति शेयर (प्रदत्त शेयर पूँजी पर 158%) की दर से अन्तिम भुगतान लाभांश का प्रस्ताव किया है। वार्षिक आम बैठक की घोषणा के पश्चात देय 156.39 मिलियन रुपए का लाभांश तथा पहले से भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश (209.84 मिलियन रुपए), मिलकर वर्ष 2009-10 के लिए 366.23 मिलियन रुपए का कुल लाभांश होगा।

प्रचालनिक निष्पादन

रेलवे और राजमार्ग लाभ के मूल क्षेत्र बने हुए हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान प्रचालन आय-रेल से 57%, हाईवे से 32% तथा शेष 11% भवनों, विद्युत उप-स्टेशनों आदि से प्राप्त हुई। क्षेत्रवार तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शाई गई है। तालिका राजमार्ग निर्माण कार्यों की तुलना में रेलवे के कार्यों में पिछले दो वर्षों की तुलना में वृद्धि को दर्शाती है। रेलवे निर्माण कार्यों का अनुपात वर्ष 2007-08 में 42% से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 57% हो गया है, जबकि राजमार्ग क्षेत्र में यह अनुपात 2007-08 में 47% से घटकर 2008-09 में 35% और तत्पश्चात 2009-10 में 32% हो गया है। इस अवधि में भवन निर्माण क्षेत्र में आय का अनुपात 5% से घटकर 1% हो गया है। बहरहाल, 'अन्यों' के भाग के रूप में विद्युतीय परियोजनाओं तथा उप-स्टेशनो में पिछले दो वर्षों में लगभग 154% की वृद्धि हुई है।

(रूपए मिलियन में)

	2007-08		2008-09		2009-10	
	प्रचालन आय	**%**	**प्रचालन आय**	**%**	**प्रचालन आय**	**%**
रेलवे	8345	42	14491	55	**18006**	**57**
राजमार्ग	9252	47	9339	35	**10035**	**32**
भवन	892	5	599	2	**273**	**1**
अन्य*	1193	6	2114	8	**3215**	**10**
कुल	**19682**		**26543**		**31529**	

* विद्युतीय परियोजनाओं से आय सहित (वर्ष 2007-08 के दौरान 1121 मिलियन रूपए, 2008-09 के दौरान 1772 मिलियन रूपए तथा 2009-10 के दौरान 2847 मिलियन रूपए)

वर्ष 2009-10 के दौरान विदेशी परियोजनाओं में आय के अनुपात में वृद्धि का रुझान जारी रहा। 2009-10 के दौरान विदेशी परियोजनाओं से कुल आय का अंशदान 38% है जो कि 2007-08 में 12% तथा 2008-09 में 30% था। 2009-10 के परिणाम दर्शाते हैं कि कुल आय में भारतीय परियोजनाओं का अंशदान 61% रहा जबकि 2008-09 के दौरान यह 68% था और 2007-08 के दौरान यह 86% था।

पिछले 3 वर्षों के दौरान तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है :

(रूपए मिलियन में)

	2007-08		2008-09		2009-10	
	कुल आय	%	कुल आय	%	कुल आय	%
विदेशी	2504	12	8310	30	**12168**	**38**
घरेलू	17990	86	18665	68	**19671**	**61**
अनावंटित	437	2	420	2	**330**	**1**
जोड़	**20931**		**27395**		**32169**	

शक्तियाँ

आपकी कंपनी के पास बड़ी संख्या में अन्तरराष्ट्रीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का व्यापक अनुभव है, विशेष रुप से विकासशील देशों में। इसकी मुख्य शक्तियाँ हैं विशाल वित्त व्यवस्था (निरंतर लाभ प्रदत्ता तथा कम्पनी के तुलनपत्र से प्रदर्शित होता है) स्थापित विश्वसनीयता, सक्षम श्रमशक्ति तथा भारतीय रेल से समर्थन है। ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर तक गुणवत्तापूर्वक समय पर निष्पादन कंपनी का ट्रैक रिकार्ड रहा है।

अवसर

भारत तथा विदेशों में, विशेष रूप से रेलवे सेक्टर में पिछले दो वर्षों में अवसंरचना के क्षेत्र के विकास में पुनःजागृति होने से कम्पनी को अधिक व्यवसाय प्राप्त करने की स्थिति को बेहतर बनाने के अवसरों में बहुत वृद्धि हुई है।

बाध्यताएँ

हालांकि प्रत्येक संगठन को एक निश्चित विधिक ढ़ाँचे के भीतर काम करना पड़ता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रूप में कंपनी को उन अतिरिक्त बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है (निजी क्षेत्र की कम्पनियों पर लागू नहीं होती) जिसके परिणामस्वरूप प्रतियोगी बाजार में उन्हें असुविधा होती है। विदेशी प्रतियोगियों के पास आसान ऋण की उपलब्धता तथा निजी निवेशकों के पास प्रापण तथा प्रचालन का लचीलापन जैसे कुछ अन्य कारक हैं। सरकार के दिशा-निर्देश कंपनी की इक्विटी निवेश शक्तियों को (कंपनी कानून द्वारा प्रदान) प्रतिबंधित करता है जो कि तत्काल नए व्यावसायिक अवसरों को प्राप्त करने के मार्ग में बाधा खड़ी करता है।

रणनीति

अपने महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व बोट परियोजनाओं पर बल देकर कम्पनी कार्य प्राप्त करने की स्थिति में सुधार करने और उसे बनाए रखने के लिए रणनीति विपणन की ओर ध्यान केंद्रित कर रही है। कम्पनी की मूल सक्षमता तथा रेलवे, हाईवे, रेल विद्युतीकरण तथा वाणिज्यिक परिसरों को समेकित और उन्नत किया जा रहा है और सामरिक गठजोड़ों व सहायक कंपनियों के माध्यम से मेट्रो, तथा जल आपूर्ति व निकासी, ट्रांसमिशन लाइन, तथा हाईड्रो इलैक्ट्रिक उर्जा के उभरते और नए क्षेत्रों में सक्षमता को विकसित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। सभी व्यवसाय विकास कार्यों को शामिल करने के लिए व्यवसाय विकास कक्ष को सुदृढ़ किया गया है।

जोखिम और चिन्ता

अगस्त 2007 से एक औपचारिक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क उपलब्ध है । कम्पनी में एक जोखिम प्रबंधन समिति तथा एक त्वरित कार्यदल विद्यमान है जो इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं तथा जोखिम प्रबंधन पर एम आई एस रिपोर्टों सहित एमआईएस रिपोर्ट फार्मेट तैयार किए हैं जिनकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है ।

आपकी कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के बीएएसईएल-II मापदंडों के आधार पर वर्ष 2008-09 के दौरान क्रेडिट एनेलाइसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई) द्वारा दीर्घकालीन गैर निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए 'सीएआरई एए' रेटिंग तथा अल्पकालीन गैर निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए 'पीआर 1+' रेंटिंग प्रदान की गई है। कम्पनी ने जनवरी 2010 में सीएआरई द्वारा वार्षिक निगरानी समीक्षा में इस रेटिंग को निरन्तर बनाए रखा।

भारत में परियोजनाओं के निष्पादन में मुख्य चिन्ता का विषय दायित्वों से मुक्त भूमि की गैर उपलब्धता है जिसके कारण समय तथा लागत के बढ़ जाने का जोखिम है, जिसकी क्षतिपूर्ति अधिकतर क्लाइंट द्वारा की जाती है। यह एनएचएआई की अनेक परियोजनाओं में देखा गया है जहां कंपनी को हानियां वहन करनी पड़ी हैं।

विदेशी परियोजनाओं में कंपनी के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्यायें विशिष्ट प्रकार की होती हैं। विदेशों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य रूप से प्रचालनिक उद्देश्यों हेतु विदेशी बैंको में निधियाँ रखनी पड़ती है। इस प्रकार की निधियों का संचय, विदेशी मुद्रा पर उच्चावचन से प्रभावित होता है। इस जोखिम को न्यूनतम बनाने के लिए विदेशी मुद्रा की चाल की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है तथा स्थिर पड़ी निधियों को प्रतिस्पर्धी दरों पर विदेशी बैंकों में एफडी के रुप में रखा जाता है ताकि रोकड़ प्रवाह में आने वाली अस्थाई असमानता को पूरा किया जा सके। आवक तथा जावक विदेशी मुद्रा प्रवाह को प्राकृतिक रुप से समायोजित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। लागू कानूनों के अनुसार भारत में विदेशी परियोजनाओं के अतिरिक्त निधियों के प्रत्यावर्तन द्वारा अनुकूल मुद्रा संचलन के रूप में अवसरों का लाभ उठाया जा रहा है।

जोखिम भरे भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करने के दौरान कम्पनी के कर्मचारियों तथा परियोजनाओं को जोखिम उठाना पड़ता है और यहाँ जोखिम की सम्भावना रहती है तथा कर्मचारियों की जान, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति को खतरा बना रहता है। बहरहाल, कम्पनी राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने में गर्व का अनुभव करती है। कम्पनी ने सरकार की मदद से पर्याप्त सुरक्षा सुविधाएँ तथा ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने के

लिए बीमा आदि जैसे उपाय किए है। कंपनी में सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण नीति और प्रक्रियाओं के अभिन्न अंग के रुप में एक सुरक्षा नीति विद्यमान है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी के पास उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा विद्यमान है जो इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और परियोजना को विशिष्ट बनाने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा पुस्तिका को उचित रूप से संशोधित किया गया है और उसमें आंतरिक लेखपरीक्षकों के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त दिए गए हैं। रेल मंत्रालय ने इसकी आंतरिक लेखापरीक्षा पुस्तिका को रेलों की अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों की कम्पनियों के लिए एक मॉडल के रूप में उल्लेख किया है। इस पुस्तिका में वित्तीय मानकों तथा कोड में उत्पन्न परिवर्तनों की तर्ज के आधार पर संशोधन किया जा रहा है।

सभी परियोजनाओं को साफ्टवेयर आधारित तकनीकों पर कुशलतापूर्वक नियोजित किया जाता है, अधिकतर परियोजनाओं पर प्रमुख तारीख तथा माइलस्टोन आधारित संविदा प्रबंधन को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। प्रमुख निष्पादन सूचकांकों को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग फार्मेट के माध्यम से गहन मानीटरिंग की जाती है। मार्जिन से नीचे चल रही परियोजनाओं के निष्पादन को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी व वितीय लेखापरीक्षा व नियंत्रण की एक प्रणाली आरम्भ की गई है।

कम्पनी में एक लेखापरीक्षा समिति विद्यमान है। आंतरिक नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा प्रणाली के प्रबंधन व लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है तथा निरन्तर सुधार की प्रक्रिया के रूप में कदम उठाए जाते हैं।

मानव संसाधन

कंपनी का उद्देश्य संगठन के लिए सही आकार व सही मिश्रण का मानव संसाधन/कर्मचारी प्राप्त करना है। कंपनी सही युवा प्रतिभा को नियुक्त करने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है।

संवर्धन तथा स्तरोन्नयन के उपकरण के रुप में नए रुप से भर्ती कर्मचारियों को भर्ती प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ संगठन के भीतर व्यावसायिक विकास और व्यक्तिगत विकास मानव संसाधन प्रबंधन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है।

कर्मचारियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में तथा सूचना प्रौद्योगिकी व सॉफ्ट कौशलों में स्तरोन्नयन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नए भर्ती कर्मचारियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाती हैं। अधिकारियों को उद्योग की नवीनतम गतिविधियों से अवगत रखने के लिए उन्हें कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के लिए नमित किया जाता है।

संलग्नक - 'ग'

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

(स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खण्ड 49 के संलग्नक 1 सी के अनुसार)

1. **कार्पोरेट शासन तथा आधारभूत मूल्यों के संबंध में कंपनी के विचार।**

कंपनी का कार्पोरेट शासन कोड है **व्यावसायिक, लाभकारी एंव उत्तरदायी रहते हुए कंपनी की प्रत्येक गतिविधि के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना** निदेशक मंडल द्वारा ग्रहण किए गए कम्पनी के **आधारभूत मूल्य** हैं:-

1. रचनात्मक दृष्टिकोण
2. एक टीम के रूप में कार्यरत
3. कार्य में उत्कृष्टता
4. कार्य और लेन-देन में सत्यनिष्ठा
5. जिम्मेदार और उत्तरदायी होना

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना में सात निदेशक हैं जिनमें एक स्वतंत्र निदेशक, चार पूर्णकालीन निदेशक (प्रबंध निदेशक, निदेशक निर्माण, निदेशक वित्त तथा निदेशक परियोजना) तथा अध्यक्ष सहित दो सरकार द्वारा मनोनीत (अंशकालीन-सरकारी) निदेशक हैं।

वर्ष 1998 में मिनी रत्न बनने के पश्चात 1999 से कंपनी के निदेशक मंडल की सामान्य संख्या 10 है जिसमें 4 पूर्णकालीन निदेशक (5 साल के कार्यकाल या अधिवर्षिता तक, जो कोई भी पहले हो), प्रशासनिक मंत्रालय से 2 अंशकालीन (सरकारी) निदेशक, तथा 4 स्वतंत्र निदेशक जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। सभी 4 स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल वर्ष 2005 में पूरा हो गया है। कंपनी में अक्तूबर, 2007 से केवल 2 स्वतंत्र निदेशक थे और एक का कार्यकाल 28.06.2010 को समाप्त हो गया है। कंपनी में आज की तारीख को केवल एक स्वतंत्र निदेशक हैं जिनका कार्यकाल भी 30.09.2010 को समाप्त हो जाएगा। निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं।

2.2 पूर्णकालीन निदेशकों में परिवर्तन

श्री सुधीर माथुर की अधिवर्षिता के कारण रिक्त पद पर 3 नवम्बर, 2009 को निदेशक वित्त के पद पर श्री के.के. गर्ग ने कार्यभार ग्रहण किया।

श्री मोहन तिवारी, तत्कालीन निदेशक परियोजना की 1 फरवरी, 2009 को प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति के कारण रिक्त पद पर 16 अप्रैल, 2010 को श्री दीपक सभलोक ने निदेशक परियोजना के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

2.3 अंशकालीन (सरकारी) निदेशकों में परिवर्तन

31 मई, 2010 को अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर श्री एस.एस. खुराना द्वारा पदमुक्त किए जाने पर उनके स्थान पर दिनांक 11 जून, 2010 के सरकारी आदेश तथा उनकी सहमति पर श्री राकेश चोपड़ा, सदस्य इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

2.4 इस रिपोर्ट की तारीख को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक मंडल
(इस रिपोर्ट की तारीख तक)

निदेशक	पूर्णकालिक/ अंशकालिक सरकारी/ अंशकालिक गैर सरकारी	निजी कंपनियों में निदेशक पद को छोड़कर अन्य सरकारी कंपनियों के निदेशक मंडलों के सदस्य इरकॉन को मिलाकर	इरकॉन समेत (निजी कम्पनियों को छोड़कर) समिति सदस्यता की कुल संख्या	
			अध्यक्ष के रूप में	अध्यक्ष के अलावा सदस्य के रूप में
राकेश चोपड़ा	अध्यक्ष - अंशकालीन (सरकारी)	4	—	—
मोहन तिवारी	प्रबंध निदेशक -पूर्णकालीन	2	शून्य	1
मदन लाल	निदेशक निर्माण-पूर्णकालीन	2	शून्य	1
के.के. गर्ग	निदेशक वित्त - पूर्णकालीन	3#	शून्य	1
दीपक सभलोक	निदेशक परियोजना - पूर्णकालीन	2	शून्य	शून्य
एन. पार्थासारथी	अंशकालीन (स्वतंत्र)	1	1	शून्य
ए.के.तिवारी	अंशकालीन (सरकारी)	2	1	1

#एक विदेशी कंपनी (मलेशिया में कम्पैनिया डोज कैमिनोस डी फैरो डा बेरा(सीसीएफबी)) सहित ।

वर्ष 2009-10 के दौरान तथा तत्पश्चात पदमुक्त हुए निदेशक

निदेशक	पूर्णकालिक/ अंशकालिक सरकारी / अंशकालिक गैर सरकारी	प्राइवेट कंपनियों में निदेशक पद को छोड़कर अन्य सरकारी कंपनियों के निदेशक मंडलों के सदस्य इरकॉन को मिलाकर	इरकॉन समेत (प्राईवेट कम्पनियों को छोड़कर) समिति सदस्यता की कुल संख्या	
			अध्यक्ष के रूप में	अध्यक्ष के अलावा सदस्य के रूप में
सुधीर माथुर (01.11.2005 (पू) से 30.06.2009 (अ)तक पद पर रहे। अधिवर्षिता पर पदमुक्त हुए।)	निदेशक वित्त - पूर्णकालीन	1	शून्य	1
सुरेन्द्र सिंह खुराना (16.03.2009 (पू) से 31.05.2010 (अ) तक पद पर रहे। अधिवर्षिता पर पदमुक्त हुए।	अध्यक्ष –अंशकालीन(सरकारी)	2	शून्य	शून्य
आर. सुब्रमणयन (29.06.2007 (पू) से 28.06.2010 (अ.) तक पद पर रहे। कार्यकाल पूरा होने पर पदमुक्त हुए।	अंशकालीन (स्वतंत्र)	2	2	शून्य

टिप्पणियाँ :

1. इस रिपोर्ट में प्रयुक्त 'पूर्णकालिक निदेशक' पद का आशय प्रकार्यात्मक/कार्यपालक निदेशकों से है जैसाकि सूचीकरण करार से अपेक्षित है।
2. इस रिपोर्ट में 'अंशकालिक निदेशक' पद का आशय गैर-कार्यपालक निदेशकों से है जैसाकि सूचीकरण करार से अपेक्षित है।
3. पूर्णकालिक निदेशकों को उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को बैठक में भाग लेने की फीस हकदारी से अलग, जैसाकि इस रिपोर्ट के पैरा 4 मे दिया है, किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई भी अन्य भौतिक या आर्थिक संबंध नहीं है जिससे निर्णय की स्वतंत्रता प्रभावित होती हो।
4. निदेशकों की संख्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 275-278 में उल्लिखित पंद्रह (15) की अधिकतम सीमा के भीतर है।
5. सूचीकरण करार के खंड 49 (1) (ग) (2) के स्पष्टीकरण (2) के अनुसार समितियों का अर्थ यहाँ लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक/निदेशक शिकायत समिति से है।
6. निदेशकों की समिति सदस्यता/अध्यक्षता संख्या सूचीकरण करार के खंड 49 (1) (ग) (2) में विहित कुल 10 (दस) सदस्यता जिसमें 5 (पाँच) अध्यक्ष पद शामिल हैं कि अधिकतम सीमा के भीतर है।
7. 'सरकारी' शब्द अंशकालिक सरकारी नामित निदेशकों को दर्शाता है जिन्होंने सरकार में पदग्रहण किया हुआ है।
8. 'गैर-सरकारी' पद उन अंशकालिक निदेशकों को दर्शाता है जो सरकार में पदधारक नहीं हैं।

3. निदेशकों के संबंध में प्रकटन :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 299 के अन्तर्गत निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटनों के अनुसार निदेशकों के मध्य आपस में कोई संबंध नहीं होगा। केवल दो अंशकालीन (सरकारी) निदेशकों (अध्यक्ष सहित) में जो प्रशासनिक मंत्रालय यथा रेल मंत्रालय के अधिकारी होंगे और इस प्रकार सूचीकरण करार के खंड-49 (I)(क)(ii) के स्पष्टीकरण के अनुसार प्रमोटरों से संबंधित हैं। चूंकि अंशकालीन निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है इसलिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के खंड-255 से 257 के अनुसार निदेशक की नियुक्ति के लिए वार्षिक आम बैठक के नोटिस में मद को रखना सभंव नहीं है जो सामान्य बैठक में निदेशकों के 2/3 सदस्यों तक नियुक्ति के लिए कार्यविधि उपलब्ध कराता है।

निदेशकों की नियुक्ति सरकार करती है और वह भी निर्धारित कार्यकाल के लिए जिसके कारण प्रत्येक वर्ष रोटेशन द्वारा किसी निदेशक की वास्तविक सेवानिवृत्ति की संभावना नहीं है और इस प्रक्रिया में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 255 से 257 लागू नहीं होती है। सरकार कंपनी की 100% प्रदत्त शेयर पूंजी पर अधिकार नहीं रखती है।

कम्पनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान कोई प्रोस्पैक्टस या प्रस्ताव पत्र जारी नहीं किया है।

3.1 अंशकालीन/पूर्णकालीन निदेशक के रुप में बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का सारवृत

1. श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त, इरकॉन
(03.11.2009 (पूर्वाह्न) से)

श्री के.के. गर्ग का जन्म 15.04.1956 को हुआ। इन्होंने 1976 में पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला से बी.कॉम किया। वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएएल) के फेलो सदस्य हैं तथा उन्हें वित्त के विभिन्न क्षेत्रों में 29 वर्षों से अधिक समय का व्यापक अनुभव प्राप्त है। उन्होंने 1982 में पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड में लेखा अधिकारी के रुप में अपना कैरियर आरंभ किया। उन्होंने 11 वर्षों के लिए एनएचपीसी लिमिटेड में विभिन्न पदों पर कार्य किया। तत्पश्चात, उन्होंने दिसम्बर, 1997 में एनएचपीसी लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर इरकॉन में अपर महाप्रबंधक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया और विकास की इस गति को जारी रखते हुए फरवरी, 2006 में कार्यपालक निदेशक (वित्त) के पद पर पहुंचे और मई, 2007 तक इस पद पर बने रहे। इरकॉन में 9 वर्ष तथा 6 महीने के अपने कार्यकाल में वे निगमित लेखा, निगमित कर निर्धारण, निगमित एमआईएस तथा बजटीय नियंत्रण, वाणिज्यिक ड्यू-डेलीजेंस के प्रभारी रहे तथा भारत और विदेश में बीओटी/वार्षिक आधार पर बोली प्रक्रिया के लिए वित्तीय व्यवहार्यता विश्लेषण का कार्य, वित्तीय मॉडल तैयार करने, संवेदनशील विश्लेषण तथा कार्य प्रदान किए जाने पर वित्तीय समाप्ति का कार्य देखा। लगभग 2 वर्ष और 6 महीने के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (अब एसजेवीएन लिमिटेड) में निदेशक वित्त के पद पर कार्य करने के पश्चात वे अब 3 नवम्बर, 2009 से इरकॉन के निदेशक वित्त के पद पर कार्यरत हैं।

2. श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना, इरकॉन
(16.04.2010 (पू) से)

श्री दीपक सभलोक का जन्म 31.10.1959 को हुआ तथा वे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), भोपाल से बी.ई. (सिविल) (ऑनर्स) में स्वर्ण पदक विजेता हैं और वे भारतीय रेल इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसई) के 1982 बैच के अधिकारी हैं। भारतीय रेल में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इन्होंने 1-1/2 वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के सिविल इंजीनियरिंग स्कंध में सहायक इंजीनियर (सिविल) के पद पर कार्य किया। इन्होंने 16.06.1984 को भारतीय रेल में पदभार ग्रहण किया। इन्हें रेल निर्माण तथा संविदा प्रबंधन, तथा रेलपथ अनुरक्षण तथा अनुषंगी कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में 26 वर्षों का व्यापक अनुभव प्राप्त है। वे प्रतिष्ठित रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला के निर्माण चरण के दौरान इससे सक्रिय रुप से संबंधित थे।

इन्होंने प्रतिनियुक्ति पर इरकॉन में लगभग 5-1/2 वर्षों के लिए महाप्रबंधक (निर्माण) तथा महाप्रबंधक (विपणन) (फरवरी, 2003 से अक्तूबर, 2008 तक) के पद पर कार्य किया। इस कार्यकाल के दौरान इन्होंने इरकॉन के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों का समन्वय कार्य किया और वे घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बोली प्रक्रिया में उत्तरदायी रहे। वे निगमित कार्यालय में इरकॉन के परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली कक्ष के प्रमुख भी रहे। 16 अप्रैल, 2010 को इरकॉन में निदेशक परियोजना के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे दक्षिण पूर्वी रेल में मुख्य इंजीनियर (रेलपथ मशीन) के पद पर कार्यरत थे।

3. राकेश चोपड़ा, अध्यक्ष, इरकॉन
(11.06.2010 (पू) से)

श्री राकेश चोपड़ा का जन्म 21.09.1950 को हुआ तथा ये 1973 बैच के आईआरएसई अधिकारी हैं। इन्होंने 1971 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली से बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग); 1973 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली से एम.टेक (स्ट्रक्चर); 1992 में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से एम.फिल (सामाजिक विज्ञान); तथा 1992 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली से मास्टर डिप्लोमा (लोक प्रशासन) की शिक्षा ग्रहण की।

इन्हें भारतीय रेल में 37 वर्षों का व्यापक अनुभव प्राप्त है जिसमें न केवल इंजीनियरिंग क्षेत्र शामिल हैं बल्कि प्रशासनिक क्षेत्र भी शामिल हैं।

अप्रैल, 2009 से वर्तमान में सदस्य इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड तथा पदेन सचिव, भारत सरकार के पद पर प्रशासनिक अनुभवों में भारतीय रेल के लिए समग्र इंजीनियरिंग गतिविधियां, भूमि प्रबंधन आदि तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय परियोजनाओं साहित अन्य परियोजनाओं के अतिरिक्त कार्यक्रम निर्धारण, बजटिंग, नीति निर्धारण तथा उनके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग शामिल हैं। वे 11 जून, 2010 से इरकॉन के अंशकालीन निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

4. **निदेशकों का पारिश्रमिक**

सरकारी कंपनी होने के कारण पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमानों तथा सरकार द्वारा जारी की गई उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक मिलता है।

निदेशक मंडल के अंशकालिक सरकारी नामितियों को निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है बल्कि उन्हें सरकारी अधिकारियों के रूप में सरकार से केन्द्रीय मंहगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमानों के अधीन पारिश्रमिक मिलता है।

शेयरधारकों ने दिनांक 26 सितम्बर, 2007 को आयोजित 31वीं वार्षिक आम सभा में निदेशक मंडल को कम्पनी (केन्द्र सरकार) के सामान्य नियमों तथा फार्मों के नियम 10 बी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर सिटिंग शुल्क के रूप में अंशकालीन (गैर-सरकारी) स्वतंत्र निदेशकों के देय वेतन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत किया है। इस प्राधिकार का अनुसरण करते हुए निदेशक मंडल ने 26 अक्तूबर, 2007 को आयोजित अपनी 174वीं बैठक में निदेशक मंडल तथा उनकी किसी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए 10,000 रुपए का बैठक शुल्क निर्धारित किया है।

(रूपए में)

क्र सं0	निदेशकों के नाम	वेतन एवं भत्ते	अन्य लाभ एवं पर्क	कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन	सेवानिवृत्ति लाभ	बोनस/ कमीशन/ अनुग्रह राशि	वर्ष के दौरान स्टॉक ऑप्शन	कुल
1	**श्री मोहन तिवारी प्रबंध निदेशक (2009-10 में वर्ष भर)**	20,96,227	5,06,747	-	2,34,564	-	-	28,37,538
2	**श्री मदन लाल निदेशक निर्माण (2009-10 के वर्ष भर)**	22,51,583	3,42,991	-	2,52,591	-	-	28,47,165
3	**श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त (03.11.2009 से)**	6,46,720	70,873	-	56,963	-	-	7,74,556
4	**श्री सुधीर माथुर निदेशक वित्त (01.04.2009 - 30.06.2009)**	4,93,844	4,41,996	-	6,21,483	-	-	15,57,323

4.2 **वर्ष 2009-10 के दौरान अंशकालीन गैर सरकारी निदेशकों को किए गए भुगतान का ब्यौरा**

(रूपए में)

क्रम सं0	अंशकालीन गैर सरकारी निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क		कुल
		बोर्ड की बैठक	समिति की बैठक	
1	श्री आर. सुब्रमणयन	70000	60000	130000
2	श्री एन. पार्थासारथी	70000	70000	140000

5. **मंडल (बोर्ड) की कार्यप्रणाली**

वर्ष 2009-2010 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें और उनमें उपस्थिति :

वित्त वर्ष 2009-2010 के दौरान निदेशक मंडल ने 20 अप्रैल 2009, 24 जून 2009, 30 जुलाई, 2009, 04 सितम्बर, 2009, 30 सितम्बर, 2009, 26 अक्तूबर, 2009, 25 जनवरी 2010 को 7 बैठकों में भाग लिया।

कंम्पनी अधिनियम की धारा 283 (1) (छ) के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई थी।

वर्ष 2009-10 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :-

निदेशक	2009-10 में मंडल की बैठकों की संख्या		अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया
	(उनके कार्याकाल के दौरान)	उपस्थितियां	
एस.एस. खुराना	7	4	हां
राकेश चोपड़ा	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
मोहन तिवारी	7	7	हां
मदन लाल	7	7	हां
सुधीर माथुर	2	2	लागू नहीं
के.के. गर्ग	1	1	लागू नहीं
दीपक सभलोक	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
आर सुब्रमणयन	7	7	हां
एन पार्थासारथी	7	7	हां
ए.के. तिवारी	7	5	हां

सुश्री ललिता गुप्ता, कम्पनी सचिव ने वर्ष 2009-10 के दौरान आयोजित 7 बैठकों में से 6 बैठकों में भाग लिया।

6. **कम्पनी के बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तथा सम्पूर्ण संगठन के लिए आधारभूत मूल्य (खण्ड 491 (डी))**

कम्पनी में निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन (पूर्णकालिक निदेशकों, अपर महाप्रबंधक व ऊपर के अधिकारी तथा परियोजनाओं/विभागों के प्रमुखों) के लिए आचार संहित तथा कम्पनी के लिए समग्र रूप से आधारभूत मूल्य विद्यमान हैं । ये संहिता 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी होगी तथा इन्हें वेबसाइट www.ircon.org में भी शामिल किया गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों द्वारा आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले प्रबंध निदेशक द्वारा हस्तक्षरित घोषणा **संलग्नक सी-1** पर उपलब्ध है।

7. **लेखापरीक्षा समिति**

निदेशक मंडल के निर्धारितानुसार तथा सूत्रीकरण करार के खण्ड 49 ii घ तथा ड. में उल्लिखित भूमिका के अनुसार लेखपरीक्षा समिति के सामान्य विचारार्थ विषय निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हैं:-

1. कम्पनी की वित्तीय सूचना की प्रक्रिया और प्रकटन का पर्यवेक्षण करके लेखों की परिशुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है।
2. निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण को स्वीकृति दिए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ समीक्षा करना। विशेष रूप से-
   - क) लेखांकन नीतियों तथा पद्धतियों में परिवर्तन व इसके कारण।
   - ख) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन।
   - ग) लेखांकन मानकों तथा निदेशक की रिपोर्ट के प्रकटीकरण के अनुपालन से संबंधित मुद्दे।
   - घ) संबंधित पक्षों के संव्यवहार।
   - ड) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यता आदि।

3) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा।

4) प्रचालनों की वित्तीय स्थिति तथा परिणामों पर प्रबंधन द्वारा चर्चा व विश्लेषण।

5) बाहरी व आंतरिक, दोनों लेखापरीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण विषयों व कार्य के क्षेत्रों पर चर्चा।

6) वैधिक तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन, आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना तथा कार्यकरण सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा आंतरिक लेखपरीक्षा रिपोर्टों के संबध में प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

7) सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, प्रतिस्थापन, आदि तथा लेखापरीक्षकों द्वारा किन्हीं अन्य अनुमेय सेवाओं के लिए शुल्क की स्वीकृति सहित उनके लेखापरीक्षा शुल्क की सिफारिशों की समीक्षा करना।

8) आन्तरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति एंव पारिश्रमिक की समीक्षा।

लेखापरीक्षा समिति ने निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक लेखों की स्वीकृति दिए जाने से पूर्व खण्ड 49 ii (घ) तथा (ड.) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों सहित वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा की है।

7.2 लेखापरीक्षा समिति - वर्ष 2009-10 के दौरान गठन व उपस्थिति :

सूचीकरण करार के खंड 49 और मिनीरत्न की शर्तों के अनुसार और निदेशक मंडल के अनुमोदन से लेखापरीक्षा समिति का गठन मूलतः 28.4.2000 को कर दिया गया था जिसमें कम्पनी के चार अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक सम्मिलित हैं। जब कभी स्वतंत्र निदेशकों में परिवर्तन होता है तो इनकी पुनर्स्थापना की जाती है।

दिनांक 28.06.2010 को एक स्वतंत्र निदेशक, जो लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष भी थे, के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात केवल एक शेष स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है जिसमें सदस्य के रुप में एक अंशकालीन (सरकारी) निदेशक तथा एक पूर्णकालीन निदेशक हैं। सरकार द्वारा अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तक सूचीकरण करार के खंड-49 के पूर्ण अनुपालन में लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया जा सकता है। समिति की वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

श्री एन. पार्थासारथी, स्वतंत्र निदेशक	-	अध्यक्ष
श्री ए.के. तिवारी, अंशकालीन सरकारी निदेशक	-	सदस्य
श्री मोहन तिवारी, प्रबंध निदेशक	-	सदस्य

वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान 20 अप्रैल, 2009, 24 जून, 2009, 30 जुलाई, 2009, 26 अक्तूबर, 2009 तथा 25 जनवरी, 2010 को लेखा परीक्षा समिति की 5 बैठकें आयोजित हुईं।

वर्ष 2009-10 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:-

सदस्य	पद	आयोजित बैंठकें (इनके कार्यकाल के दौरान)	बैठकें जिनमें भाग लिया
आर. सुब्रमणयन	अध्यक्ष	5	5
एन. पार्थासारथी	सदस्य	5	5
ए.के. तिवारी	सदस्य	5	3

सुश्री ललिता गुप्ता, कम्पनी सचिव समिति की सचिव हैं। इन्होंने वर्ष 2009-10 के दौरान पांच में से चार बैठकों में भाग लिया है।

8. पारिश्रमिक समिति

वार्षिक बोनस/वैरियेबल-पे पूल तथा इसके वितरण के लिए नीति के संबंध में दूसरे वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए 26 नवम्बर, 2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुसार 20 अप्रैल, 2009 से 2 स्वतंत्र निदेशकों, एक अंशकालीन सरकारी निदेशक तथा एक पूर्णकालीन निदेशक की एक पारिश्रमिक समिति विद्यमान है। निदेशकों में परिवर्तन के कारण समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति का वर्तमान स्वरुप इस प्रकार है:

श्री एन. पार्थासारथी (स्वतंत्र निदेशक)	अध्यक्ष
श्री ए.के. तिवारी (अंशकालीन सरकारी निदेशक)	सदस्य
श्री मदन लाल, (पूर्णकालीन निदेशक)	सदस्य

(निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित मुद्दों पर
समिति के निर्णय में गैर भागीदारी सदस्य के रुप में)

वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान पारिश्रमिक समिति की 2 बैठकें 23 जून, 2009 तथा 14 जुलाई, 2009 को आयोजित की गई थीं।

वर्ष 2009-10 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें (उनके कार्यकाल के दौरान)	बैठकों में भाग लिया
एन. पार्थासारथी	अध्यक्ष	2	2
ए.के. तिवारी	सदस्य	2	2
सुधीर माथुर	सदस्य	1	1
आर.सुब्रमणयन	सदस्य	1	1
मदन लाल	सदस्य	1	1

कम्पनी सचिव सुश्री ललिता गुप्ता पारिश्रमिक समिति की सचिव हैं और उन्होंने वर्ष 2009-10 के दौरान आयोजित दोनों बैठकों में भाग लिया।

9. शेयरधारक शिकायत समिति

कम्पनी ने 6 जून 2001 को निदेशकों की एक शेयरधारक/निदेशक शिकायत समिति का गठन किया है। निदेशकों के पदों में परिवर्तन के कारण समिति का पुनर्गठन समय-समय पर किया जाता है। समिति की वर्तमान संरचना इस प्रकार है :-

श्री ए.के. तिवारी, अंशकालीन सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
श्री मदन लाल, निदेशक निर्माण	सदस्य
श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त	सदस्य

सुश्री ललिता गुप्ता, कम्पनी सचिव अनुपालन अधिकारी हैं। अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा हस्तांतरण के लिए कोई शेयर लंबित नहीं है।

10. सहायक कंपनी

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल), इरकॉन की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, का गठन 30 सितम्बर, 2009 को परियोजनाओं के नियोजन, अभिकल्पन, विकास, निर्माण, सुधार, कार्य आरंभ, प्रचालन, अनुरक्षण तथा वित्तपोषण सहित विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने तथा विपणन राजस्व एकत्रण आदि सहित तत्संबंधी विभिन्न सेवाओं के निष्पादन के लिए किया गया है। इरकॉन आईएसएल ने 10 नवम्बर, 2009 को 'व्यवसाय प्रारंभ प्रमाण पत्र' प्राप्त किया था और 18 जनवरी, 2010 के पत्र सं0-2009/पीएल/44/7 के तहत रेल मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली थी।

इरकॉन आईएसएल सूचीकरण करार के खंड-49 (III) के अनुसार एक 'सामग्रीगत गैर सूचीकृत भारतीय सहायक कंपनी है।'

इरकॉन आईएसएल द्वारा सभी महत्वपूर्ण समव्यवहारों तथा व्यवस्थाओं के विवरण सहित इरकॉन आईएसएल के निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त, अध्यक्ष द्वारा विधिवत रुप से स्वीकृत तथा हस्ताक्षरित, इरकॉन के निदेशक मंडल के समक्ष तत्काल रखा गया था।

11. वार्षिक आम बैठक

क. आयोजित की गई अंतिम 3(तीन) वार्षिक आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	वार्षिक आम बैठक की तारीख	समय	स्थान
2008-2009	14 सितम्बर 2009	5 बजे अपराह्न	कपंनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
2007-2008	17 सितम्बर 2008	5 बजे अपराह्न	कपंनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
2006-2007	26 सितम्बर 2007	5 बजे अपराह्न	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

ख. पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष संकल्प अपेक्षित या पारित नहीं किया गया है।

ग. रेल मंत्रालय ने दिनांक 19.05.2010 के पत्र सं0-2009/पीएल/64/3(इरकॉन) के तहत यह सूचित किया है कि कंपनी को अपने शेयर विसूचीकृत करने होंगे। निदेशक मंडल ने प्रमोटरों की सहायता से विसूचीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क के अनुसार पोस्टल बैलट के माध्यम से विसूचीकरण के संबंध में एक विशेष संकल्प पारित कराये जाने सहित सेबी (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियमन, 2009 के अंतर्गत अपेक्षित औपचारिकताएं प्रगति पर हैं।

12. **प्रकटन**

क. सूचीकरण करार के खण्ड 49 iv (ए) के अधीन ऐसे भौतिक प्रकृति के संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं थे, जिसका कम्पनी के हित में संभाव्य विरोध था।

ख. कम्पनी ने वित्तीय विवरणों को तैयार करके इंस्टीटयूट ऑफ एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुसरण किया है। इराक संबंधित देय राशियों पर संचित ब्याज तथा ब्याज और बैक-टू-बैक आधार पर उप ठेकेदार के ब्याज के लिए प्रावधान का संबंध है, इसे लेखांकन मानक 1 के अनुसार भारत सरकार के साथ अंतिम समायोजन दर (यथा 1 अमेरीकी डालर = 35.802 रूपए) के रूप में अनुदित किया गया है ना कि लेखांकन मानक 11 के अनुसार 31 मार्च 2010 को बन्द होने वाली मुद्रा दर पर। कम्पनी की यह परम्परागत पद्धति लम्बे समय से लम्बित देयों की उगाही के समय के संबंध में अनिश्चितता के दृष्टिगत मामले के सच्चे व सही दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। इस पर एक स्ववर्णित नोट के अन्तर्गत अनुसूची ट के पैरा 12 में लेखा नोट के भाग के रूप में तथा 'प्रचालन निष्पादन'(पैरा च) उप-शीर्षक के अन्तर्गत निदेशक रिपोर्ट में दिया गया है ।

ग. कम्पनी हर तिमाही में बोर्ड को जोखिम भरे क्षेत्रों में उनकी परियोजनाओं तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित जोखिमों के सबंध में सूचित करती है। वर्तमान प्रबंधन ढाँचे में शामिल है:-

परामर्शदाता, क्रिसिल द्वारा तैयार एक औपचारिक खोजिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (आरएमएफ) अगस्त, 2007 से विद्यमान है। जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए कंपनी में दो स्तरीय दल भी हैं-जोखिम प्रबंधन समिति जिसमें पूर्णकालीन निदेशक हैं तथा त्वरित कार्यदल (आरएजी) जिसमें कंपनी के कार्यपालक निदेशक (बोर्ड स्तर के नीचे) हैं।

त्वरित कार्यदल तथा जोखिम प्रबंधन समिति ने जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियायें तथा चुनिंदा परियोजनाओं के लिए एमआईएस रिपोर्टों सहित एमआईएस रिपोर्ट फार्मेट तैयार किए हैं। ऑडिट समिति द्वारा प्रत्येक तिमाही में इनकी समीक्षा की जाती है तथा इन्हें सुचारु बनाया जाता है। कुछ विवरण 'जोखिम तथा चिंता' शीर्षक के अंतर्गत प्रबंधन विवरण तथा विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए हैं।

(घ) लेखा परीक्षा समिति के किसी कार्मिक को सहयोग प्रदान न करने का अभी तक कोई प्रश्न नहीं उठा है।

(ड.) कम्पनी ने शेयरों का कोई पब्लिक इशु नहीं निकाला है। पूंजी बाजार से संबंधित मामलों में गैर-अनुपालन का कोई मामला नहीं है।

(च) प्रबंधन : प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट कम्पनी के उस व्यावसायिक वातावरण को स्पष्ट करती है जिसमें कम्पनी प्रचालन करती है, उसके विजन, लक्ष्य एवं उद्देश्य, प्रचालन निष्पादन, शक्तियाँ व अवसर बाधाएं, जोखिम, नीति, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, मानव संसाधन को निदेशक की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

13. **सीईओ/सीएफओ प्रमाणन**

प्रबन्ध निदेशक तथा वित्त विभाग के कार्यकारी प्रमुख द्वारा खण्ड-49(V) के उप खण्ड (क) से (घ) के अनुपालन को लिखित रूप में प्रमाणित करते हैं जिसे निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है (यह रिपोर्ट में **संलग्नक-सी-2** पर उपलब्ध है)

14. **शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना**

सम्प्रेषण के माध्यम

- त्रैमासिक परिणाम प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों यथा-हिन्दुस्तान टाइम्स/एक्सप्रेस ग्रुप (अंग्रेजी) तथा हिन्दुस्तान/जनसत्ता (हिन्दी) में प्रकाशित किए जाते है। खंड-49 iv जी (ii) के अनुसार लेखापरीक्षित वार्षिक परिणामों के साथ-साथ अलेखापरीक्षित तिमाही परिणामों को कंपनी के वेबसाइट www.ircon.org पर भी उपलब्ध कराया जाता है।
- कम्पनी के शेयरधारण पैटर्न को भी कम्पनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।
- खण्ड 47 (च) के अनुसार अनुपालन अधिकारी का ई-मेल आई डी वेबसाइट में 'इन्वेस्टर कार्नर' शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है, जिसे विशिष्ट रूप से निवेशकों को अपनी शिकायतें पंजीकृत करने के लिए बनाया गया है ताकि निवेशकों में जागरूकता लाई जा सके।

<u>34वीं वार्षिक आम बैठक</u>

तारीख	:	22 सितम्बर, 2010
समय	:	शाम 5.00 बजे
स्थान	:	कम्पनी के सम्मेलन कक्ष, पंजीकृत कार्यालयः प्लाट संख्या सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110007

वित्त वर्ष 2009-10 से संबंधित विषयों के अनुमोदन के लिए वास्तविक कैलेंडर :

पहली तिमाही के लिए वित्तीय रिपोर्ट (अलेखापरीक्षित)	30 जुलाई 2009
दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय रिपोर्ट (अलेखापरीक्षित)	26 अक्टूबर 2009
तीसरी तिमाही के लिए वित्तीय रिपोर्ट (अलेखापरीक्षित)	25 जनवरी 2010
चौथी तिमाही तथा वर्ष के लिए वित्तीय रिपोर्ट (अलेखापरीक्षित)	30 अप्रैल 2010
निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन	06 अगस्त 2010
शेयरधारकों द्वारा वार्षिक लेखाओं को स्वीकार करना	22 सितम्बर 2010

सामान्य रूप में वित्तीय कैलेंडर :

पहली तिमाही के लिए वित्तीय रिपोर्ट (अलेखापरीक्षित)	31 जुलाई तक या उससे पूर्व
दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय रिपोर्ट (अलेखापरीक्षित)	31 अक्टूबर तक या उससे पूर्व
तीसरी तिमाही के लिए वित्तीय रिपोर्ट (अलेखापरीक्षित)	31 जनवरी तक या उससे पूर्व
चौथी तिमाही तथा वर्ष के लिए रिपोर्ट (अलेखापरीक्षित)	30 अप्रैल तक या उससे पूर्व
निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट (अलेखापरीक्षित)	15 अगस्त तक या उससे पूर्व
शेयरधारकों द्वारा लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं को स्वीकार करना	30 सितम्बर तक या उससे पूर्व

बही बंद करने की तारीखें

सदस्यों का रजिस्टर तथा स्थानांतरण बही 21.09.2010 से 22.09.2010 तक बंद रहेगी।

लाभांश अदायगी की तारीख

सामान्यतः घोषित किए जाने के बाद लाभांश का भुगतान 5 दिनों के भीतर कर दिया जाता है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान कम्पनी ने अपने शेयरधारकों को 98.98 मिलियन रूपए (10 रुपए प्रति के 98,98,000 इक्विटी शेयर) की प्रदत्त शेयर पूंजी के 21.20 रुपए प्रति शेयर की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया था। 15.80 प्रति शेयर की दर से निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत वर्ष 2009-10 के लिए अंतिम लाभांश का भुगतान 22 सितम्बर, 2010 को होने वाली वार्षिक आम सभा में घोषित किए जाने पर की जाने की आशा है। वर्ष के लिए कुल लाभांश 10 रुपए के प्रति शेयर के लिए 37 रुपए की दर से है।

शेयर बाजारों पर सूचीकरण

1. मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,
   फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुम्बई-400001
2. दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोशिएशन लिमिटेड
   डीएसई हाउस, 3/1, आसफ अली रोड़, नई दिल्ली -110002.

शेयरों को न तो उद्धत किया गया और न ही उनका लेन-देन किया गया। अद्यतन सूचीकरण फीस अदा कर दी गई है।

कम्पनी का स्टॉक कूट (कोड)

शेयर बाजार	**स्टॉक कूट**
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज	523596
दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड	09048

शेयरधारण का वितरण (इस रिपोर्ट की तारीख को)

वर्ग	**धारित शेयरों की संख्या**	**शेयरधारण का प्रतिशत**
भारत के राष्ट्रपति व सरकारी नामितों के नाम पर केन्द्र सरकार को	98,71,200	99.729%
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	24,400	0.247%
बैंक आफ इंडिया	2,400	0.024%
कुल	**98,98,000**	**100.000%**

पदधारियों को बदले जाने के परिणामस्वरूप किसी सरकारी नामिती शेयरधारक से दूसरे शेयरधारकों को शेयरों का अंतरण करना सामान्यतः एक तकनीकी कार्य है क्योंकि 99.729% शेयर सरकार के होते हैं। इन शेयरों का अंतरण करने के लिए कंपनी सचिव एक प्राधिकृत अधिकारी है और कोई अंतरण बाकी नहीं हैं।

संयंत्र अवस्थिति / प्रचालनिक इकाईयां

कम्पनी के पास संयंत्र स्थल नहीं है किन्तु देश के 15 से अधिक राज्यों तथा 10 देशों में इनकी प्रचालनिक इकाइयां विद्यमान हैं। इन इकाइयों की सूची कम्पनी की बेवसाइट www.ircon.org पर उपलब्ध है।

<u>**पंजीकृत कार्यालय (इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल निगमित शासन मामलों के संबंध में) के साथ पत्राचार का पता निम्न है :**</u>

कम्पनी सचिव,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
प्लाट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
साकेत, नई दिल्ली-110007
टेलीफोन : 91-11-26545265/26530456
फैक्स : 91-11-26522000/26854000
ई-मेल : cosecy@ircon.org/lalitha.gupta@ircon.org

15. गैर-आज्ञापक अपेक्षाएं-सूचीकरण करार का अनुलग्नक 1 डी

1. **बोर्ड :-** निदेशकों का कार्यकाल एवं पूर्णकालिक निदेशकों का वेतनमान सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। कम्पनी का अंशकालीन अध्यक्ष एक सरकारी अधिकारी होता है। बहरहाल, कंपनी के पास अंशकालीन अध्यक्ष के प्रयोग हेतु एक अध्यक्ष कक्ष होता है।

2. **शेयरधारकों को सूचना :-** वार्षिक आम बैठक से पूर्व शेयर धारकों को वार्षिक रिपोर्ट आदि भेजने के अतिरिक्त पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय कार्य निष्पादन के लक्ष्यों सहित कम्पनी की परियोजनाओं की प्रगति पर आवधिक रिर्पोट प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार (कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी की 99.79% की शेयरधारक) को भेजी जाती हैं।

3. **अपात्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट:-** कंपनी अपात्र वित्तीय विवरणों के कार्यकाल की ओर बढ़ रही है। 2004-05 से लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं हुई है।

4. **बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण :-** सामान्य पद्धति के अनुसार निदेशक के बोर्ड में शामिल होने पर उन्हें दस्तावेजों/बुकलेट का एक सेट उपलब्ध कराया जाता है। इसमें कम्पनी का ब्रॉशर, वार्षिक रिपोर्ट, अद्यतन अलेखापरीक्षित वितीय परिणाम तथा एम ओ यू लक्ष्य व उपलब्धियां, सहयोग ज्ञापन, सहयोग अनुच्छेद, सूचीकरण करार के खण्ड 49 सहित कॉर्पोरेट शासन प्रावधान 'मूल्य व शासन पर एक पत्र (सीवीसी द्वारा परिदृश्य) 'निदेशकों के कर्तव्य, अधिकार, भूमिका दायित्वों पर बुकलेट सहित कंपनी के संबंध में आंकडे उपलब्ध होते हैं। जब स्वतंत्र निदेशकों के सभी रिक्त पद भर जायेंगे तब निदेशकों के लिए औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव है।

5. <u>**बोर्ड के सदस्यों का मूल्यांकन:**</u> बोर्ड के सभी स्वतंत्र निदेशकों द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने तक अंशकालीन निदेशकों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की कार्यविधि को स्थगित रखा गया है।

6. <u>**विसिल ब्लोवर नीति:**</u> कंपनी ने अभी तक ऐसी नीति नहीं बनाई है।

7. <u>**पारिश्रमिक समिति:**</u>

   इसका ब्यौरा इस रिपोर्ट के पैरा-8 पर उपलब्ध है।

16. अनुपालन प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुसार कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में उजगार किए गए आंकड़ों के सबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है। इसमें खण्ड 49 के संलग्नक 1 सी में विनिर्दिष्ट रूप में सुझाई गई मदें शामिल हैं। गैर-आज्ञापक, जैसा कि खण्ड 49 के संलग्नक 1 डी में विनिर्दिष्ट किया है, को भी उस स्तर तक रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जिस स्तर तक इसे कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया है। खण्ड 49 द्वारा अपेक्षितानुसार विभिन्न मुद्दों पर सूचना निदेशक मंडल के समक्ष हर तिमाही में रखी जाती है। खण्ड 49 में निर्धारितानुसार कार्पोरेट शासन आवश्यकताओं सहित अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही के अंत से 15 दिन के भीतर स्टाक एक्सचेंज को भेज दी जाती है।

सूचीकरण करार के खण्ड 49 (vii) में अनुबंधित कार्पेरेट शासन की शर्तों का अनुपालन संबंधी प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र **इस रिपोर्ट के संलग्नक सी-3 पर उपलब्ध है।**

संलग्नक - सी 1

वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रबन्ध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, मोहन तिवारी, प्रबन्ध निदेशक, इरकॉन अंतर्राष्ट्रीय लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबन्धन दल द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन की अभिपुष्टि की गई है।

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.08.2010

संलग्नक - सी 2

प्रबन्ध निदेशक तथा वित्त प्रमुख प्रमाणन

हमने वर्ष 2009-10 के लिए वित्तीय विवरणों एवं रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ की है:-

1. इन विवरणों में किसी प्रकार का सामग्रीगत असत्य विवरण नहीं है या किसी तथ्यात्मक तथ्य को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।
2. ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा नियमनों के अनुपालन में है।
3. हमारी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाघड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लघंन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।
4. हम आतंरिक नियत्रंण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उतरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियत्रंण प्रणाली तैयार की है। हमने लेखापरीक्षकों तथा लखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियत्रंणों के अभिकल्प और प्रचालन में खामियों के बारे में बताया है जिनके बारे में हमें जानकारी है तथा उन खामियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदम या प्रस्तावित उपायों के संबंध में भी बताया है।
5. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति के साथ इन विषयों पर विचार विमर्श किया:
   (क) वर्ष के दौरान आंतरिक नियंत्रण पर महत्वपूर्ण परिवर्तन/संभावित परिवर्तन:
   (ख) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में भी प्रकट किया गया है।
6. हमारी जानकारी में किसी बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

के.के. गर्ग
निदेशक वित्त

मोहन तिवारी
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.08.2010

<u>अनुलग्न -सी 3</u>

एम. बांगिया एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

टेली : 91-11-4162 5462
टेली फैक्स : 91-11-2644 9882
मोबाइल : 98102-26246
ई-मेल : m_bangia@hotmail.com
बी-152, दयानन्द कालोनी, लाजपत नगर-IV
नई दिल्ली-110 024

सूचीकरण करार के खंड 49 के अंतर्गत कार्पोरेट शासन की शर्तों सहित
अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र

सेवा में,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्य,
नई दिल्ली,

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबध में दिल्ली तथा मुम्बई शेयर बाजारों के साथ उक्त कंपनी के सूचीकरण करार के खण्ड 49 में निर्धारितानुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में :

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिर्पोट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा बनाए गए तथा इस संबंध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए संगत रिकार्डों एंव दस्तावेजों की भी जांच की है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते है कि कंपनी ने तथ्यात्मक दृष्टि से उपर्युक्त सूचीकरण करार के खण्ड 49 में अनुबंधित कार्पोरेट शासन की सभी शर्तों का अनुपालन किया है तथा कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है, जो हमारी समझ से सरकार द्वारा की गई है तथा जो खण्ड 49 की आवश्यकताओं के अनुरूप व मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुरूप प्रगति पर है। 29 जून 2010 से केवल एक स्वतंत्र निदेशक कार्यरत हैं।

कृते एम. बांगिया एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

मनोज बांगिया
प्रोपराइटर
सीपी सं0-3655

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 06.08.2010

पुरस्कार और प्रमाणपत्र		
संस्थान/प्राधिकरण से	**पुरस्कार की प्रकृति**	**वर्ष**
वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग	राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार *(भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त किया गया) 'उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार' अग्रणीय कम्पनी अंतरराष्ट्रीय रेल एवं सड़क निर्माण कंपनी के रुप में निष्पादन हेतु	1982-83, 1983-84 1990-91 तथा 1992-93* 1987-88
पूर्व में ईईपीसी इंडिया इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी)(प्रारम्भ से कुल 22 पुरस्कार)	1. निर्यात में उत्कृष्टता के लिए अखिल भारतीय सर्वोच्च निर्यातक शील्ड	1985-86 से 1992-93, 1994-95 तथा 1995-96
	2. क्षेत्रीय सर्वोच्च निर्यातक शील्ड सिविल इंजीनियरी संविदाकर्ता	1993-94, 1996-97
	3. निर्यात के क्षेत्र में अखिल भारतीय विशेष शील्ड	1996-97
	4. अधिकतम निर्यातों के लिए अखिल भारतीय ट्राफी (टर्नकी औद्योगिक परियोजना निर्यातक गैर-एसएसआई)	1997-98
	5. 'शीर्ष निर्यातकों' की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्यातक के लिए अखिल भारतीय शील्ड	1998-99 से 2001-02, 2003-04 व 2006-07
	6. परियोजना निर्यात के क्षेत्र में बड़े उद्यमी के रुप में उत्कृष्ट निष्पादक के लिए अखिल भारतीय शील्ड	2004-05
	7. इंजीनियरिंग निर्यात में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्यम स्तर के उद्यमों में सर्वश्रेष्ठ निर्यातकों के लिए रजत ट्रॉफी	2005-06
	8. 'मर्चेंट निर्यातकों के रुप में शीर्ष निर्यातकों' की श्रेणी में शीर्ष निर्यातकों के लिए स्वर्ण ट्रॉफी	2007-08
	9. अखिल भारतीय निर्यातक पुरस्कार	2008-09
भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद् (पीईपीसी) (पूर्वतः भारतीय समुद्रपार निर्यात परिषद्) (ओसीसीआई) के नाम से प्रसिद्ध (प्रारम्भ से कुल 45 पुरस्कार)	1. विदेशों में निर्माण ठेकों में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन व भारत में प्रत्यावर्तन	1984-85, 1988-89 से 1992-93, 1994-95, 1996-97, 1999-2000, 2001-02 तथा 2003-04
	2. विदेशों में निर्माण ठेकों से द्वितीय सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन व भारत में प्रत्यावर्तन	1993-94, 2000-01, 2002-03 और 2004-05
	3. विदेशों में निर्माण परियोजनाओं से सर्वाधिक टर्नओवर	1984-85 से 1988-89, 1991-92 से 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2000-01 और 2001-02
	4. विदेशी परियोजनाओं से लाभ अर्जन में द्वितीय सर्वश्रेष्ठ निष्पादन	1989-90, 1990-91, 1994-95 और 1999-2000
	5. निर्माण ठेकों के नए क्षेत्रों में सर्वाधिक विदेशी निर्माण कार्य प्राप्त करने हेतु	1994-95, 1995-96, 1999-2000 तथा 2000-01
	6. सर्वाधिक विदेशी व्यापार के प्रयास	1994-95 से 1997-98, 2001-02 तथा 2003-04
	7. विदेशों में सेवा ठेकों से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन व भारत में प्रत्यावर्तन	2000-01 तथा 2002-03
	8. विदेशों में निर्माण व इंजीनियरिंग ठेकों से द्वितीय सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन व भारत में प्रत्यावर्तन	2005-06 तथा 2006-07
कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड	'भारत की सर्वाधिक उत्कृष्ट निर्माण कंपनियों में से एक'	2008-09
एस्सार स्टील एवं ई-18 तथा सीएनबीसी टीवी-18	रेलवे श्रेणी में 'अवसंरचना उत्कृष्टता पुरस्कार'	2008-09
टीयूवी प्रबंधन सेवा जीएमबीएच, म्यूनिख, जर्मनी	रेलवे ट्रैक, राजमार्ग, पुलों, सुरंगों, कारखानों, विमान हैंगर, एमएस भवन, रेल विद्युतीकरण, एस एंड टी, निर्माण व परियोजना प्रबंधन व सेवा के लिए इरकॉन की गुणवत्ता प्रणाली के लिए आई एस ओ 9001:2001 प्रमाणन	2008-11

वित्तीय विशेषताएँ

(रूपए मिलियन में)

क्र सं0	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	कुल आय (अन्य आय सहित)	8110.54	9235.48	8094.05	7922.38	10143.98	11127.90	15432.14	20931.12	27394.65	32169.10
2	व्यय (स्टाक में कमी/ वृद्धि सहित)	7001.83	7562.46	6775.53	7016.92	8924.95	9818.55	14079.81	18914.83	25076.12	29116.34
3	प्रचालन मार्जिन	1108.71	1673.02	1318.52	905.46	1219.03	1309.35	1352.33	2016.29	2318.53	3052.76
4	ब्याज व्यय	16.60	32.10	1.93	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	मूल्यह्रास	108.20	400.88	160.21	117.98	141.45	200.50	242.40	411.65	441.87	412.67
6	करपूर्व लाभ	1000.51	1272.14	1158.31	787.48	1077.58	1108.85	1109.93	1604.64	1876.66	2640.09
7	करपश्चात् लाभ	656.05	1036.97	870.55	616.05	888.31	806.62	756.93	1137.98	1401.82	1821.83
8	लाभांश	148.47	173.22	188.06	188.06	202.91	257.35	257.35	296.94	296.94	366.23
9	विदेशी परियोजना निधि	1509.75	665.75	605.75	575.75	444.75	442.75	331.00	304.00	279.00	29.00
10	सामान्य आरक्षित निधि	3390.54	5329.28	6042.67	6474.58	7211.45	7677.14	8243.34	9031.83	10116.24	11817.61
11	अन्य आरक्षित निधि	—	17.00	22 .00	23.50	71.50	74.12	71.50	54.50	253.20	48.00
12	आरक्षित तथा अधिशेष	4900.29	6012.03	6670.42	7073.83	7727.70	8194.01	8645.84	9390.33	10648.44	11894.61
13	निवल स्थिर परिसंपत्तियाँ	740.07	602.01	622.46	1234.25	1359.63	1601.02	2602.17	2794.57	2600.48	2361.93
14	माल सूचियाँ	594.60	735.99	665.98	589.37	413.73	423.48	894.28	1590.13	4305.20	3733.59
15	विदेशी मुद्रा आय	1539.19	2840.03	1898.83	1137.16	727.87	559.68	510.54	373.51	955.79	2641.40
16	शेयर पूंजी	49.49	49.49	49.49	49.49	49.49	98.98	98.98	98.98	98.98	98.98
17	प्रयुक्त पूँजी	5184.04	6312.01	6719.91	7123.32	7781.67	8295.27	8756.80	9510.54	10780.45	12046.50
18	सरकारी निवेश (इरकॉन द्वारा)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	निवल सम्पति	4949.78	6061.52	6719.91	7123.32	7777.19	8292.98	8744.82	9489.31	10747.42	11993.59
20	प्रयुक्त पूंजी पर कर पूर्व लाभ *	19.29	20.15	17.24	11.05	13.85	13.37	12.68	16.87	17.41	21.92
21	प्रयुक्त पूंजी पर प्रचालन मार्जिन *	21.39	26.51	19.62	12.71	15.67	15.78	15.44	21.20	21.51	25.34
22	शेयर पूंजी पर कर पश्चात् लाभ *	1325.62	2095.31	1759.04	1244.80	1794.93	814.93	764.73	1149.71	1416.27	1840.60
23	आय पर व्यय*	86.33	81.88	83.71	88.57	87.98	88.23	91.24	90.37	91.54	90.51
24	कर्मचारियों की संख्या **	1808	1797	1553	1609	1652	1723	1830	1978	1964	1751
25	प्रति कर्मचारी आय	4.49	5.14	5.15	4.92	6.14	6.46	8.43	10.58	13.95	18.37
26	प्रति कर्मचारी विदेशी विनिमय आय	0.85	1.58	1.22	0.71	0.44	0.32	0.28	0.19	0.49	1.51
27	वर्तमान अनुपात **	1.58	1.75	1.94	1.79	1.54	1.41	1.25	1.21	1.24	1.31
28	ऋण/इक्विटी अनुपात**	0.05	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—
29	निवेश	657.28	657.28	655.78	1224.11	2001.11	2132.86	2343.80	2455.69	2344.98	1299.37

टिप्पणी ***20 से 23 प्रतिशत में**

****24, 27 और 28 रूपए में नहीं हैं।**

वार्षिक लेखे
2009-10

तुलन पत्र

31 मार्च 2010 को

(रूपए मिलियन में)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 को	
निधियों का स्रोत					
शेयरधारकों की निधियां:					
शेयर पूंजी	क	**98.98**		98.98	
आरक्षित निधियां और अधिशेष	ख	**11,894.61**	**11,993.59**	10,648.44	10,747.42
ऋण निधि:					
संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई में ऋण निधि में कंपनी का हिस्सा			**52.91**		33.03
कुल			**12,046.50**		10,780.45
निधियों का उपयोग					
स्थिर परिसंपतियां:					
सकल ब्लाक	ग	**4,841.47**		4,826.21	
घटाएं: मूल्यह्रास अब तक		**2,567.56**		2,255.94	
निवल ब्लाक		**2,273.91**		2,570.27	
पूंजीगत चालू कार्य	ड.	**15.55**		6.56	
मार्गस्थ मशीनरी		**52.88**		-	
संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई में कंपनी का शेयर		**19.59**		23.65	
			2,361.93		2,600.48
निवेश	च		**1,299.37**		2,344.98
आस्थगित कर (निवल)	ढ़-1व 2		**873.87**		612.60
चालू परिसंपतियां, ऋण एवं अग्रिम:					
माल सूचियां	छ	**3,733.59**		4,305.20	
विविध देनदार	ज	**4,707.16**		3,864.75	
रोकड़ और बैंक शेष	झ	**13,137.03**		9,838.67	
अन्य चालू परिसंपतियां	ट	**873.78**		708.15	
ऋण एवं अग्रिम	ठ	**8,619.52**		7,584.89	
संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई में कपनीं का अनुपातिक शेयर		**465.69**		540.15	
		31,536.77		26,841.81	
घटाएं - चालू देयताएं प्रावधान:					
देयताएं	ड	**17,678.30**		17,030.02	
प्रावधान	ढ़	**5,976.37**		4,193.03	
संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई में कम्पनी का आनुपातिक शेयर		**370.77**		396.37	
		24,025.44		21,619.42	
निवल चालू परिसंपत्तियां			**7,511.33**		5,222.39
कुल			**12,046.50**		10,780.45
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	त		-		
लेखाओं पर टिप्पणियां	थ		-		
अनुसूची 'क' से 'थ' लेखाओं के अंग हैं।					

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 2263एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

वाई.के. गुप्ता
भागीदार
स.सं.16020

ललिता गुप्ता
कंपनी सचिव

के.के. गर्ग
निदेशक/वित

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06 अगस्त 2010

लाभ और हानि लेखा

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(रूपए मिलियन में)

विवरण	अनुसूची	2009-10	2008-09
व्यय :			
प्रचालन व्यय	ण	**31,398.29**	26,276.38
निवल संयुक्त रूप से नियंत्रिक इकाई हेतु निर्माण कार्य में कंपनी का शेयर		**130.55**	266.74
कुल प्रचालन व्यय		**31,528.84**	26,543.12
अन्य आय	ण	**640.26**	851.53
कुल आय		**32,169.10**	27,394.65
व्यय :			
प्रचालन व्यय	त	**27,640.16**	23,823.18
प्रशासनिक और अन्य व्यय	त	**597.91**	508.17
मूल्यह्रास	ग	**412.67**	441.87
प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	ड	**799.06**	511.37
निवल संयुक्त रूप से नियंत्रिक इकाई हेतु निर्माण कार्य में कंपनी का शेयर		**107.86**	193.80
कुल व्यय		**29,557.66**	25,478.39
पूर्व अवधि समायोजन/असाधारण मदों के पूर्व लाभ		**2,611.44**	1,916.26
पूर्व अवधि समायोजन और असाधारण मदें	थ	**28.65**	(39.60)
कर-पूर्व लाभ		**2,640.09**	1,876.66
कर के लिए प्रावधान			
वर्तमान कर			
- वर्ष के लिए		**1,087.02**	728.86
- पिछले वर्षों के लिए (निवल)		**(7.49)**	-
फ्रिंज लाभ कर			
वर्षों के लिए		**-**	8.31
आस्थगित कर (निवल)	ढ-1 व 2	**(261.27)**	(262.33)
		818.26	474.84
कर पश्चात् लाभ		**1,821.83**	1,401.82
जोड़े : आवासीय परियोजनाएं आरक्षित पश्चलिखित		**1.50**	5.00
जोड़े : पश्चलिखित विदेशी परियोजना आरक्षित		**250.00**	25.00
निधि विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		**2,073.33**	1,431.82
विनियोजन			
अंतरिम लाभांश		**209.84**	200.93
अंतरिम लाभांश पर कर		**35.66**	34.15
प्रस्तावित अंतिम लाभांश		**156.39**	96.01
प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर		**26.58**	16.32
सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित शेष		**1,644.86**	1,084.41
आमदनियां प्रति शेयर-आधार व विलेचित (रूपए में)		**184.06**	141.63

अनुसूची क से प लेखों का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 2263एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

वाई.के. गुप्ता
भागीदार
स.सं.16020

ललिता गुप्ता
कंपनी सचिव

के.के. गर्ग
निदेशक/वित

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06 अगस्त 2010

अनुसूची 'क'

शेयर पूंजी

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को	31 मार्च 2009 को
प्राधिकृत **25,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु.**	**250.00**	250.00
निगमित, अभिदत्त और प्रदत्त **98,98,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु.पूर्णत प्रदत्त**	**98.98**	98.98
कुल	**98.98**	98.98

अनुसूची 'ख'

आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(रूपए मिलयन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 को	
सामान्य आरक्षित निधि :				
अधिशेष	**10,116.24**		9,031.83	
जोड़े : लाभ और हानि लेखे से अंतरित	**1,644.86**		1,084.41	
जोड़े : विदेशी मुद्र उच्चावचन आरक्षित निधि से अंतरित	**56.51**		-	
		11,817.61		10,116.24
विदेशी विनिमय उच्चावन आरक्षित निधि*				
अधिशेष	**203.70**		-	
वर्ष के दौरान जोड़	**-**		203.70	
घटाएँ : सामान्य आरक्षित निधि से अंतरित	**56.51**		-	
शेष विनियोजन लाभ में अंतरित**	**147.19**	**-**	-	203.70
विदेशी परियोजना आरक्षित निधि :				
अधिशेष	**279.00**		304.00	
घटाएँ : लाभ और हानि लेखे से अंतरित	**250.00**		25.00	
		29.00		279.00
आवास परियोजना आरक्षित निधि :				
अधिशेष	**49.50**		54.50	
घटाएँ : लाभ और हानि लेखे से अंतरित	**1.50**		5.00	
		48.00		49.50
कुल		**11,894.61**		10,648.44

*लेखांकन नीति 3(घ)(iii)(अनुसूची- फ)के अनुसार

** अनुसूची फ के नोट सं 22 का संदर्भ लें

अनुसूची 'ग'

31 मार्च, 2010 को स्थिर परिसंपत्तियाँ

(रूपए मिलियन में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1.04.2009 को	जमा	बिक्री/ समायोजन	31.03.2010 को	31.03.2009 तक	वर्ष के लिए (नोट-4)	बिक्री/ समायोजन	31.03.2010 तक	31.03.2010 को	31.03.2009 को
पूर्ण स्वामित्व भूमि	34.46	-	-	**34.46**	-	-	-	**-**	34.46	34.46
पट्टे की भूमि (1 व 6)	363.95	-	-	**363.95**	1.22	0.14	-	**1.36**	362.59	362.73
पट्टे के भवन (5)	413.47	-	-	**413.47**	25.84	7.88	-	**33.72**	379.75	387.63
पूर्णस्वामित्व भवन/ फ्लैट आवासीय	131.64	-	(38.69)	**92.95**	25.28	2.15		**27.43**	65.52	106.36
पूर्णस्वामित्व भवन/ फ्लैट गैर आवासीय	67.28	0.58	38.51	**106.37**	1.52	1.10	-	**2.62**	103.75	65.76
संयंत्र और मशीनरी (2 व 3)	3,235.89	68.37	(56.21)	**3,248.05**	1,777.78	317.48	(53.01)	**2,042.25**	1,205.80	1,458.11
सर्वेक्षण संयंत्र	45.02	2.07	(0.35)	**46.74**	35.86	3.59	(0.33)	**39.12**	7.62	9.16
कम्प्यूटर	114.95	20.75	(18.57)	**117.13**	91.12	19.86	(18.24)	**92.74**	24.39	23.83
कार्यालय उपस्कर	84.43	5.32	(11.52)	**78.23**	63.95	9.82	(12.06)	**61.71**	16.52	20.48
फर्नीचर, जुड़नार और फर्निशिंग	89.84	2.73	(10.01)	**82.56**	63.48	14.04	(9.86)	**67.66**	14.90	26.36
कैरबन, कैम्प और उपस्थायी शैड	73.55	4.12	(0.68)	**76.99**	73.52	4.17	(0.76)	**76.93**	0.06	0.03
वाहन	171.73	13.67	(4.83)	**180.57**	96.37	29.67	(4.02)	**122.02**	58.55	75.36
चालू वर्ष का जोड़	**4,826.21**	**117.61**	**(102.35)**	**4,841.47**	**2,255.94**	**409.90**	**(98.28)**	**2,567.56**	**2,273.91**	**2,570.27**
पिछले वर्ष के आंकड़े	4,720.84	258.98	(153.61)	**4,826.21**	1,965.82	443.64	(153.52)	**2,255.94**	2,570.27	2,755.02

टिप्पणियाँ :-

1. कस्बा-कोलकाता में पट्टाधारित भूमि के संबंध में पंजीकरण जिनके लिए सकल ब्लाक 2.42 मिलियन रूपए (2.42 मिलियन रूपए) तथा निबल ब्लाक 2.26 मिलियन रूपए (2.29 मिलियन रू) लंबित है। अनन्तिम आधार पर 0.24 मिलियन रुपए के पंजीकरण प्रभार सहित लागत पर मूल्यह्रास का आकलन किया जाता है।
2. मरम्मत न किए जाने योग्य व बिकने के लिए तैयार निम्नलिखित परिस्थितियों सहित नियत परिसम्पतियाँ (वास्तविक व बुक मूल्य से कम पर) :-

(रूपए मिलियन में)

परिसंपति ब्लाक	**31/03/2010 को**		31/03/2009 को	
	सकल ब्लाक	**निवल ब्लाक**	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक
संयंत्र मशीनरी	**8.30**	**-**	Nil	Nil
कार्यालय उपकरण	**-**	**-**	1.49	0.04
कम्प्यूटर	**-**	**-**	12.20	0.15
कुल	**8.30**	**-**	13.69	0.19

3. अल्प पट्टा व स्टेंडबाय पर इंजन सहित
4. वर्ष के लिए मूल्यह्रास का आवंटन निम्नानुसार है:-

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**2009-10**	2008-09
लाभ और खाता		
चालू	412.67	441.87
पिछली अवधि	(2.77)	1.77
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	-	-
कुल	**409.90**	**443.64**

5. 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेल भूमि पर (सकल मूल्य 33.79 मिलियन रुपए) जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।
6. पट्टा स्वामित्व भूमि में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास (जी एन आई डी. ए.) की भूमि शामिल है, जिस पर कम्पनी द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय कक्ष (सी आई सी) का निर्माण किया जाएगा (सकल मूल्य 8.01 मिलियन रूपए)। भवन के निर्माण के लिए समयावधि को बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध किया गया है।

इरकॉन

अनुसूची 'घ'

पूंजीगत चालू कार्य*

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को	31 मार्च 2009 को
अधिशेष	**6.56**	1.27
वर्ष के दौरान जमा	**-**	
- कार्य संबंधी व्यय	**8.99**	5.29
घटाः वर्ष के दौरान पूंजीकृत	**-**	-
कुल	**15.55**	6.56

***प्रगतिरत पूंजीगत कार्य का विवरण**

केंद्रीय निरीक्षण कक्ष (सीआईसी, नोएडा)	**15.55**	6.56

अनुसूची 'ड'

निवेश

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को			31 मार्च 2009 को		
	संख्या		राशि	संख्या		राशि
दीर्घकालिक निवेश :						
कोट किया गया (व्यापार से इतर):						
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 6.6% कर मुक्त						
ए.आर.एस.बांड	**16,008,489**	**1,600.94**		16,008,489	1,617.37	
घटाएं: निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम		**0.10**			16.43	
		1,600.84				1,600.94
घटाः यूटीआई एआरएस बॉंड रिडीम व पूर्ण प्राप्त		**1,600.84**	**-**			
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनी के 6.85% कर मुक्त बांड	**1,000**	**101.39**		500	50.00	
घटाएं: निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम		**0.06**	**101.33**			50.00
6.00% भारतीय रेल वित्त कम्पनी लि. के कर मुक्त बांड	**5,000**	**500.00**				
			500.00			
कोट नहीं किया गया (व्यापार निवेश):						
एकीकृत संयुक्त उपक्रम में निवेश						
सी.सी. एफ. बी. मोजांबिक(1)						
मैटीशियस 24000 प्रत्येक के 1,250,000 इक्विटी	**1,250,000**	**55.34**		1,250,000	55.34	
शयेर (2)						
इरकॉन सोमा टोलवे प्रा. लि (2 क व ख)	**63,870,000**	**638.70**		63,870,000	638.70	
10 रू. प्रत्यके के पूर्णत प्रदत्त 63,878,000 इक्विटी शेयर						
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसिस लि.(3)	**400,000**	**4.00**	**698.04**	-	-	**694.04**
10 रू. प्रत्यके के पूर्णत प्रदत्त 400,000 इक्विटी शेयर						
कुल			**1,299.37**			2,344.98

कोट किए/बिना कोट किए निवेशों का प्रकटनः -

कोट नहीं किए गए निवेश का पूर्ण योग	- खाता मूल्य	**698.04**	694.04
कोट किए गए निवेश का पूर्ण योग	- खाता मूल्य	**601.33**	1,650.94
	- बाजार मूल्य	**602.12**	1,650.85

1 सीसीएफबी के संगम अनुच्छेद के अनुसार कंसेशन की तारीख यथा 9/10 दिसंबर 2005 से 3 वर्षों की अवधि के लिए इन शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध हैं।

2. मैटीशियस 24000 का एक इक्विटी शेयर 44.27 रुपए के बराबर है ।

2 (क) उन आठ बैंकों के कसोर्टियम के साथ प्रतिबद्धता, जिनसे आई एस टी पी एल ने 4500 मिलियन रूपए का ऋण लिया है।

2 (ख) आई एस टी पी एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद-5) के अनुसार एन एच ए आर्द के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, तथा उसके पश्चात् तीन वर्षों के दौरान आई एस टी पी एल में कसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51% से अधिक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के मद्देनजर शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे। अन्य शेयर धारकों के प्रीएम्पशन-अधिकार के मद्देनजर तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26% तक कम किया जा सकता है। 4500 मिलियन रूपए के लिए ऋणदाता के साथ दिनांक 7 अगस्त 2006 को आइ एफ टी पी एल के चरण करार में ग्रहण के पुनर्भुगतान तक यथा 30.9.2018 तक 51% की शेयरधारिता का प्रावधान है।

3. इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लि., पंजीकृत कार्यालयः दूसरा तल प्लाट सी-4, साकेत, डिस्ट्रक्ट सेंटर, नई दिल्ली इरकॉन इंटरनेशलन लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली कपनी है।

अनुसूची 'च'

मालसूचियाँ

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 को	
सामग्री एंव भंडार:				
- हाथ में	**981.25**		1,457.86	
- तृतीय पक्षों के पास	**93.79**		192.83	
- मार्गस्थ	**350.38**		282.81	
		1,425.42		1,933.50
संविदागत चालू कार्य				
- लागत पर		**807.84**		916.57
- वसूलनीय मूल्य पर		**1,500.33**		1,455.13
कुल		**3,733.59**		4,305.20

अनुसूची 'छ'

विविध देनदार

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 को	
अनारक्षित :				
छह महीने से अधिक समय से बकाया ऋण				
- वसूली योग्य	**181.29**		82.41	
- संदिग्ध समझे गए व प्रावधान किया गया	**89.39**		83.57	
		270.68		165.98
छह महीने से कम समय के बकाया ऋण				
- अन्य, वसूली योग्य	**4,525.87**		3,782.34	
		4,525.87		3,782.34
		4,796.55		3,948.32
घटाएँ, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**89.39**		83.57
कुल		**4,707.16**		3,864.75

अनुसूची 'ज'

रोकड़ और बैंक शेष

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 को	
हाथ रोकड़ (1)		**2.80**		3.19
हाथ में चैक/ड्राफ्ट		**5.13**		3.11
अनुसूचित बैंकों में शेष				
चालू खातों में	**1,028.60**		796.18	
फ्लैक्सी खातों में	**1,326.59**		2,618.29	
जमा खातों में (2), (3) और (4)	**8,659.78**		3,307.49	
		11,014.97		6,721.96
पारगमन में प्रेषण		**8.98**		
अन्य बैंकों में शेष (5)				
चालू खातों में	**143.03**		72.26	
मियादी खातों में			0.36	
फिक्स डिपाजिट में (6)	**1,962.12**		3,037.79	
		2,105.15		3,110.41
कुल		**13,137.03**		9,838.67

(1) **0.01 मिलियन रूपए** (0.005 मिलियन रूपए) के स्टैम्प-इन-हैंड शामिल हैं।

(2) **262.31** (220.51 मिनियन रुपए) के इएमडी के प्रति ठेकेदारों से प्राप्त एफडीआर।

(3) एफडीआर के अन्तर्गत **शून्य रुपए** (50.19 मिलियन रुपए) शामिल है।

(4) एफडीआर में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के 2485.52 मिलियन रुपए (2194.63 मिलियन रुपए) मार्जिन मनी/अंडरलियन सम्मिलित हैं।

(5) विवरण अनुसूची "ज-1".

(6) **722.50 मिलियन रूपए** (13.76 मिलियन रूपए) मार्जिन मनी/अंडरलियन सम्मिलित हैं।

अनुसूची 'ज-1'

अन्य बैंकों के साथ शेष का विवरण

(रूपए मिलियन में)

बैंकों का नाम	शेष		अधिकतम शेष	
	31-03-2010	31-03-2009	2009-10	2008-09
चालू खाते				
रशीद बैंक, बगदाद, इराक	**0.001**	0.01	**0.01**	0.03
कामर्शियल बैंक आफ कुवेत	**0.02**	0.03	**0.03**	0.03
नेपाल अरब बैंक लि. काठमांडु		-		0.02
रफीदियन बैंक, इराक	**0.05**	0.05	**0.05**	0.05
बैंक नर्जारा इंडोनेशिया यू एस डी खाता	**-**	0.09	**0.09**	0.10
बैंक नर्जारा इंडोनेशिया	**-**	0.16	**0.16**	0.16
सी आई एम बी बैंक, बेरहाद, मलेशिया	**1.98**	2.53	**20.20**	13.63
सी आई एम बी बैंक, बेरहाद, मलेशिया	**1.81**	0.66	**21.11**	1,220.24
इ ओ एन बैंक, बरहाद, मलेशिया	**0.98**	2.86	**1,175.91**	76.41
स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मलेशिया	**0.12**	0.11	**0.12**	54.78
एच एस बी सी, डर्बी		0.01	**0.01**	0.02
कॉमर्शियल बैंक आफ इथोपिया	**6.84**	12.57	**23.17**	18.82
नेपाल एस बी आई बैंक लि., धरान	**0.56**	0.24	**0.55**	0.71
नेपाल एस बी आई बैंक लि., काठमांडु	**18.65**	0.06	**40.49**	8.60
नेपाल बैंक लि., इताहरी	**1.39**	0.55	**4.06**	5.01
नेपाल बैंक लि., लाहान	**0.07**	0.47	**1.02**	0.56
बी आई एम (मोजांबीक)	**9.97**	5.66	**94.71**	22.21
बी सी आई, फोमैटो, मोजांबीक	**34.31**	46.20	**102.07**	80.06
बीएनपी पारीबस, एल्जीरिया	**63.20**	-	**70.98**	-
बीएनए एल्जीरिया	**0.06**	-	**0.25**	-
काबुल बैंक, मजर-ए-शरीफ	**0.14**	-	**0.14**	-
पीपल्स बैंक, गल्ले	**2.88**	-	**22.73**	-
कुल	**143.03**	72.26		
फ्लैक्सी खाता				
नेशनल बैंक सिलहट, बांग्लादेश		-		6.78
नेशनल बैंक सिलहट, बांग्लादेश		0.36		0.79
कुल	**-**	0.36		
जमा खाते				
नेशनल बैंक सिलहट, बांग्लादेश				7.89
सी आई एम बी, बरहाद, मलेशिया	**76.09**	45.54	**76.09**	57.98
इ ओ एन बैंक, बरहाद, मलेशिया	**1751.08**	2919.67	**5,225.22**	2,919.67
इ ओ एन बैंक, बरहाद, मलेशिया	**12.57**	8.60	**12.57**	8.60
इ ओ एन बैंक, बरहाद, मलेशिया	**23.54**	5.16	**84.41**	5.16
सी आई एम बी बरहाद, मलेशिया	**-**	57.61	**57.61**	114.27
नेपाल एस बी आई बैंक लि., धरान		0.04	**0.04**	0.23
नेपाल एस बी आई बैंक लि., काठमांडु		1.17	**1.17**	8.77
बी सी आई फोमैटो, मोजांबीक	**15.92**	-	**15.92**	59.28
बैनको इंटरनेशनल, मोजांबीक	**78.57**	-	**78.57**	15.87
पीपल्स बैंक, गल्ले	**4.35**	-	**24.02**	-
कुल	**1962.12**	3037.79		

अनुसूची 'ण'

अन्य चालू परिसम्पतियाँ

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 को	
निम्न पर प्रोदभूत ब्याज:				
कार्मिकों को ऋण (रक्षित)		**13.47**		13.21
स्टाफ ऋण और अग्रिम (अरक्षित)		**3.43**		4.30
स्थगित देयताएँ (इराक परियोजनाएँ)		**318.21**		318.21
भारतीय रेल कल्याण संगठन को ऋण		**10.10**		9.87
निम्न पर जमा व अग्रिम :				
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता एवं अन्य		**394.67**		287.59
अनुसूचित बैंकों में जमा	**131.00**		19.53	
गैर-अनुसूचित बैंकों में जमा	**0.17**		1.97	
		131.17		21.50
बांड		**2.73**		53.47
कुल		**873.78**		708.15

अनुसूची 'झ'

ऋण और अग्रिम

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 को	
रक्षित (वसूली योग्य):				
कर्मचारियों को ऋण	25.90		23.67	
सामग्री और मशीनरी के लिए ठेकेदारों को अग्रिम	648.35		1,089.34	
		674.25		1,113.01
आरक्षित:				
ब्याज धरित ऋण :				
भारतीय रेल कल्याण संगठन	2.00		4.00	
संयुक्त उद्यमः				
सी. सी. एफ. एन.	749.16		893.63	
आईएसपीएल	100.00			
		851.16		897.63
प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए रोकड़ पर प्रकार में वसूलनीय:				
कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट तथा अन्य प्राधिकरणों में जमा :				
- बिक्री कर	131.44		12.20	
- सीमा शुल्क विभाग तथा अन्य	98.63		96.12	
		230.07		108.32
जमा एंव प्रतिधारण राशि		1,709.75		1,525.39
संयुक्त उद्यमों से वसूल की जाने वाली राशि :				
सीसीएफबी	15.64		14.53	
इरकॉन सोमा टोलवे प्रा. लि.से वसूलनीय राशि	0.08		0.56	
		15.72		15.09
अग्रिम :				
- ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता तथा अन्य	1,434.95		1,064.38	
- स्टाफ	18.95		21.48	
- बिक्रीकर (टीडीएस सहित)	399.09		421.52	
- मूल्य संवर्धित कर (शुद्ध)	207.70		92.91	
- आयकर (टीडीएस सहित)	3,017.41		2,225.11	
1.16 मि. रु. (1.15 मि. रु. के सम्पति कर सहित)		5,078.10		3,825.40
पूर्ववत व्यय		225.36		181.49
कुल		8,784.41		7,666.33
रक्षित वसूली योग्य		674.25		1,113.01
अरक्षित वसूली योग्य		7,945.27		6,471.88
अरक्षित वसूली योग्य		164.89		81.44
		8,784.41		7,666.33
घटाएंः संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान		164.89		81.44
कुल		8,619.52		7,584.89

निदेशकों से देय राशि का विवरण

चालू वर्ष		गत वर्ष	
वर्ष के अंत में शेष	वर्ष के दौरान शेष	वर्ष के अंत में शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष
शून्य	**0.32**	शून्य	0.88

अनुसूची 'ट'

वर्तमान देयताएँ

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को	31 मार्च 2009 को
विविध लेनदार		
-लघु उद्योग व मध्यम उपक्रम	**-**	-
-अन्य (1)	**5,100.99**	4,702.11
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम (2)	**9,364.94**	6,679.59
प्राप्त अग्रिम कार्य	**175.31**	2,725.17
जमा व प्रतिधारण राशि (3)	**2,589.00**	2,410.37
रिकॉन को देय राशि	**34.81**	4.89
अन्य देयताएं	**413.25**	507.89
कुल	**17,678.30**	**17,030.02**

1. इसमें **11.91 मिलियन रूपए** (67.04 मिलियन रुपए) का खाता ओवरड्रफ्ट शामिल हैं।
2. ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज के **619.78 मिलियन रुपए** (552.66 मिलियन रुपए) शामिल हैं
3. इसमें **262.31 मिलियन रुपए** (220.51 मिलियन रुपए) के ईमडी के प्रति ठेकेदारों से प्राप्त एफडीआर शामिल हैं ।

टिप्पणी : लघु व मध्यम उपक्रमों को तीस दिन से अधिक दिनों के लिए कोई राशि देय नहीं है। (देखें अनुसूची 'ध' टिप्पणी, संख्या 18(ii))

अनुसूची 'ठ'

प्रावधान

(रूपए मिलियन में)

विवरण	1.4.2009 को अधिशेष	वर्ष 2009-10 के दौरान योग	पश्च-लिखित	उपयोग	31.3.2010 को अंत शेष
प्रावधान :					
उपदान	295.65	97.74	-	16.78	**376.61**
घटा : एल आई सी उपदान के दावे	37.77	-	-	-	**41.08**
	257.88	97.74	-	16.78	**335.53**
छुट्टी वेतन के लिए	298.03	101.42	-	17.64	**381.81**
सेवानिवृति पर भुगतान भत्तों के लिए	25.34	-	12.42	-	**12.92**
संदिग्ध ऋण के लिए	83.57	34.12	28.30	-	**89.39**
संदिग्ध अग्रिम के लिए	81.44	87.93	4.45	0.03	**164.89**
विसंग्रहण के लिए	56.83	44.60	2.63	2.69	**96.11**
अनुरक्षण के लिए	148.43	96.78	7.97	16.60	**220.64**
भावी आकस्मिकताओं के लिए (संविदा)	130.77	240.50	33.94	38.25	**299.08**
देयताएं (विधि मामले)	188.07	82.71	16.17	9.75	**244.86**
अन्य व्यय	708.31	337.49	31.61	192.27	**821.92**
अन्य कर, फ्रिंज लाभों व सम्पति कर के लिए*	2,267.04	1,155.11*	7.49	34.13	**3,380.53**
प्रस्तावित व अन्तिम लाभांश के लिए	96.01	366.23	-	305.85	**156.39**
प्रस्तवित व अन्तिम लभांश पर कर के लिए	16.32	62.24	-	51.98	**26.58**
कुल (क)	**4,358.04**	**2,706.87**	**144.98**	**685.97**	**6,230.65**
समयोजन:					
अनुसूची 'छ' में विचारित संदिग्ध ऋण के लिए	83.57				**89.39**
अनुसूची 'झ' में विचारित संदिग्ध अग्रिम के लिए	81.44				**164.89**
कर्मचारी पारिश्रमिक और हितलाभ सहित छुट्टी वेतन, उपदान, निपटान भत्ते अनुसूची ठ		199.16	12.42	34.42	
आयकर के लिए अलग से प्रदत्त/विचारित लाभांश *		1,155.11	7.49	34.13	
अलग से प्रदत्त/विचारित लाभाशं		366.23	-	305.85	
अलग से प्रदत्त/विचारित लाभाशं पर निगमित कर		62.24	-	51.98	
कुल (ख)	**165.01**	**1,782.74**	**19.91**	**426.38**	**254.28**
निवल : चालू वर्ष (क-ख)	**4,193.03**	**924.13**	**125.07**	**259.59**	**5,976.37**
पूर्व वर्ष	3,202.23	596.00	84.63	237.13	4,193.03

नोट:

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सकल प्रावधान(जमा/पश्चलिखित)लाभ व हानि लेखे में शामिल किये गए	**799.06**	511.37
प्रावधान(उपयोग) अनुसूची ठ के अन्तर्गत सेवानिवृति लाभ	**152.32**	218.44
अनुसूची ठ से लिए गए प्रावधान (उपयोग)	**259.59**	237.13

*1087.02 मिलियन रुपए के चलू वर्ष के प्रावधान सहित जमा और पूर्ववर्ती वर्ष के 68.09 मिलियन रुपए का आशोधन

अनुसूची 'ड-1'

आस्थगित कर परिसम्पतियां

(रूपए मिलियन में)

विवरण	01-04-2009 को	2009-10 के दौरान योग (लोप)	31-03-2010 को
	कुल	कुल	**कुल**
परिसम्पतियाँ			
प्रावधान :			
- अनुरक्षण और विसंग्रहण के लिए	43.71	32.45	76.16
- भावी हानियां	44.45	54.90	99.35
- संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए	48.72	32.27	80.99
- उपदान के लिए	87.66	37.45	125.11
- विधिक मामलों के लिए	29.42	21.10	50.52
- अन्य आकस्मिकताओं के लिए	212.20	60.83	273.03
व्यय			
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर	1.42	(0.30)	1.12
- कर प्रयोजन के लिए अनुमत, जब प्रदत्त हो	109.91	28.04	137.95
- कर प्रयोजन के लिए पूंजीगत	25.48	(25.46)	0.02
- निवेशों पर हानि पर	-	-	-
जोड़	**602.97**	**241.28**	**844.25**
पिछले वर्ष	353.74	249.24	602.97

अनुसूची 'ड-2'

आस्थगित कर देयताएं

(रूपए मिलियन में)

विवरण	01-04-2009 को	2009-10 के दौरान योग (लोप)	31-03-2010 को
	कुल	कुल	**कुल**
मूल्यह्रास	(9.63)	(19.99)	(29.62)
कुल	**(9.63)**	**(19.99)**	**(29.62)**
पिछले वर्ष	3.46	(13.09)	(9.63)
आस्थगित कर(सकल)		**(261.27)**	**873.87**

अनुसूची 'ढ'

आय

(रूपए मिलियन में)

विवरण		2009-10			2008-09	
प्रचालन आय						
संविदा प्राप्तियाँ		**31,095.10**			26,027.27	
लोको पट्टा		**236.55**			214.32	
मशीनरी किराया प्रभार		**66.64**			34.79	
			31,398.29			26,276.38
अन्य आय						
बांडों पर ब्याज (सकल) (दीर्घकालीन) (1)		**5.99**			109.36	
बैंक ब्याज सकल (2)	**477.85**			544.67		
घटाः ग्राहकों को वापस किया गया ब्याज	**180.66**	**297.19**		400.86	143.81	
आयकर की प्राप्त वापसी पर ब्याज		**9.62**			-	
अग्रिमों पर ब्याज		**99.12**			171.49	
अग्रिमों पर ब्याज		**3.41**			4.27	
विनिमय उच्चावचन लाभ	**-**			201.39		
घटाः विनिमय उच्चावचन हानि	**-**			80.53		
निवल विनिमय उच्चावचन लाभ		**-**			120.86	
परिसम्पतियों की बिक्री से लाभ		**5.03**			6.48	
विविध प्राप्तियाँ (3)		**219.90**			295.26	
			640.26			851.53
कुल			**32,038.55**			27,127.91

(1) स्त्रोत पर काटा गया **0.01मिलियन रूपए** (पिछले वर्ष शून्य रूपए शामिल हैं।)

(2) स्त्रोत पर काटा गया **50.76 मिलियन रूपए** (पिछले वर्ष 86.12 रूपए शामिल है।)

(3) दावा न किए गए बटटा खाते के **13.20 मिलियन रूपए** (18.59 मिलियन रुपए) शामिल हैं।

अनुसूची 'ढ'

व्यय

(रूपए मिलियन में)

विवरण		प्रचालनिक व्यय		प्रशासनिक व्यय	
		2009-10	2008-09	**2009-10**	2008-09
1 **व्यय:**					
कार्य व्यय		**18,038.69**	15,223.16	**-**	-
कार्य व्यय का योग		**18,038.69**	15,223.16	**-**	-
2 **प्रगतिरत कार्य में कमी/(वृद्धि)**		**108.73**	(467.57)	**-**	-
3 उपयोग की गई सामग्री व भंडार**:**					
आरम्भिक शेष		**1,650.69**	619.58	**-**	-
जोड़े : वर्ष के दौरान खरीदे		**5,882.27**	7,404.51	**-**	-
		7,532.96	8,024.09	**-**	-
घटाएं : रोकड़ बाकी		**1,075.04**	1,650.69	**-**	-
सामग्री व भंडार उपयोग का जोड़		**6,457.92**	6,373.40	**-**	-
4 **कर्मचारियों का पारिश्रमिक और हितलाभ** (1)					
वेतन, मजदूरी, बोनस एवं भते		**919.78**	795.18	**275.25**	158.81
भविष्य व अन्य निधियों में अंशदान		**68.63**	37.79	**24.27**	12.68
विदेश सेवा अंशदान		**5.18**	1.78	**5.34**	0.45
सेवानिवृत्ति लाभ		**152.32**	218.44	**-**	-
वी आर एस व्यय		**-**	-	**0.96**	1.05
स्टाफ कल्याण		**28.16**	33.61	**5.51**	5.31
कर्मचारी पारिश्रमिक और हितलाभ का जोड़		**1,174.07**	1,086.80	**311.33**	178.30
5 **अन्य व्यय :**					
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार		**619.99**	355.51	**-**	-
निरीक्षण, भू तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		**15.51**	26.27	**-**	-
विनिमय उच्चावचन हानि	523.27		-	-	
घटा :विनिमय उच्चावचन लाभ	216.06		-		
निवल विनिमय उच्चावचन हानि		**307.21**	-	**-**	
किराया-गैर आवासीय		**30.72**	38.68	**2.21**	0.07
दर एवं कर		**181.00**	256.97	**1.91**	4.69
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		**163.65**	167.98	**7.09**	7.89
मरम्मत और रखरखाव					
- मशीन		**227.33**	374.47	**-**	-
- भवन		**3.21**	5.39	**3.87**	1.89
- कार्यालय व अन्य		**34.26**	30.83	**15.11**	14.90
बिजली, विद्युत व जल प्रसार		**24.18**	26.12	**10.32**	11.07
मशीनरी का किराया प्रभार		**150.29**	233.72	**-**	-
बीमा		**88.58**	97.58	**0.22**	0.86
यात्रा और वाहन		**85.16**	90.85	**24.36**	28.95
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		**21.66**	23.48	**10.48**	7.92
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स		**26.49**	27.03	**6.22**	6.72
विधिक और व्यावसायिक प्रसार		**35.56**	36.70	**23.80**	15.33
सुरक्षा सेवाएं		**34.25**	23.61	**2.10**	1.88
व्यवसाय संवर्द्धन		**6.38**	4.75	**2.36**	2.00
बट्टे खाते डाले गए :					
- अशोध्य ऋण		**-**	6.22	**-**	-
- अशोध्य अग्रिम		**0.03**	1.34	**-**	-
- अशोध्य परिसंम्पति		**0.15**	0.11	**-**	-
परिसम्पतियों की बिक्री से हानि		**-**	-	**0.12**	0.68
निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम का परिशोधन		**-**	-	**0.16**	16.89
बैंक और अन्य वित प्रभाव		**-**	-	**124.26**	88.71
लेखापरीक्षकों की फीस		**-**	-	**0.27**	0.22
चंदा		**-**	-	**1.52**	51.90
लेखापरीक्षकों की फीस (2)		**-**	-	**4.24**	4.28
विज्ञापन और प्रसार		**-**	-	**34.38**	43.80
प्रशिक्षण और भर्ती		**-**	-	**1.73**	5.94
विवित व्यय		**64.73**	16.91	**9.85**	13.28
		2,120.34	1,844.52	**286.58**	329.87
घटाएं-उपयोग किए गए प्रावधान (3)		**259.59**	237.13	**-**	-
अन्य व्यय का जोड़		**1,860.75**	1,607.39	**286.58**	329.87
कुल		**27,640.16**	23,823.18	**597.91**	508.17

(1) 4.19 मिलियन रूपए (3.52) मिलियन रूपए अनुलब्धियों पर आयकर शामिल है।

(2)

सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी	**2009-10**	2008-09
(i) लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	**1.93**	1.79
(ii) कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	**0.50**	0.49
(iii) प्रमाणीकरण फीस	**0.56**	0.45
(iv) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
- स्थानीय	**0.74**	1.00
- विदेशी	**0.51**	0.55
जोड़	**4.24**	4.28

(3) अनुसूची ण में विवरण दिया गया है।

अनुसूची 'त'

पूर्व अवधि समायोजन और असाधारण मदें

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**2009-10**	2008-09	**2009-10**	2008-09
अवधि मदें :				
आय :				
कार्य प्राप्तियाँ	**(1.59)**		(5.53)	
जमा/ऋण पर ब्याज आय	**41.44**		0.02	
विविध प्राप्तियाँ	**0.45**		3.07	
		40.30		(2.44)
व्यय:				
कार्य व्यय	**1.79**		(5.22)	
प्रशासनिक व्यय	**0.47**		0.01	
मूल्यह्रास	**(2.77)**		1.77	
अन्य	**12.16**		40.60	
		11.65		37.16
कुल		**28.65**		(39.60)

अनुसूची 'थ'

2009-10 के लेखों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. **तैयार करने के आधार**

   क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर प्रोद्‌भवन आधार पर तथा निरन्तर तथा वस्तुता के आधारभूत लेखाकरण सिद्धान्तों की तर्ज पर तैयार किए जाते हैं।

   ख) वित्तीय विवरण भारतीय रूपए में दर्शाए जाते हैं तथा सभी मूल्य मिलियन के निकटवर्ती रूप में होते हैं बशर्ते अन्यथा दर्शाया गया हो।

2. **अनुपालन विवरण**

   वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण नियमों तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

3. **विदेशी मुद्रा सौदे**

   क) देश के भीतर सौदे

   देश के भीतर मुद्रा सौदों का रूपान्तरण निम्न रीति से किया जाता हैः

   1) समस्त विदेशी मुद्रा सौदों का भारतीय मुद्रा रूपांतरण सौदे की तारीख पर प्रचलित तार अंतरण (टीटी) क्रय दर पर किया जाता है।

   2) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपतियों के मूल्य परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

   3) मौद्रिक मदों और आकस्मिक देयताओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य के परिवर्तन प्रचलित बंद तार अंतरण क्रय दर पर किया जाता है।

   4) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर अंतरण मूल्य दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

   ख) <u>एकीकृत विदेशी प्रचालनों में संव्यवहार</u>

   विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता हैः

   1) राजस्व मदों को भारतीय मुद्रा में प्रारम्भिक और अंतिम तार अंतरण क्रय दर की मासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।

   2) मालसूचियों को प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को तार क्रय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

   3) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों का मूल्य परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है, जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

   4) मुद्रित मदें तथा आकस्मिक देयताएं अंतिम क्रय का उपयागे करके परिवतिर्त की जाती हैं।

   5) स्थिर परिसम्पत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर क्रय का उपयोग करके परिवतिर्त किया जाता है।

   ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर रूपान्तरणों के परिणामस्वरूप निवल विनिमय अंतरों को वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में लिया गया है।

   घ) **<u>गैर एकीकृत विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार</u>**

   गैर-एकीकृत विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया जाता हैं -

   1) परिसम्पत्तियों तथा दायित्व, मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों को अंतिम तार अंतरण क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।

   2) आय और व्यय मदों को आरंभिक व अंतिम तार अंतरण क्रय दर के औसत पर रूपांतरित किया जाता है।

   3) सभी परिणामी विनियम अंतर को शुद्ध निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि में एकत्र किया जाता है तथा इसे उसी अवधि में आय या व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें निपटान पर लाभ या हानि को पहुंचाया गया है।

4. **स्थिर परिसम्पत्तियाँ**

   क) स्थिर परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

   ख) मशीनरी स्पेयर्स जो केवल स्थिर परिसंपत्तियों के मद के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग अधिनियमित होने की प्रत्याक्षी है, उन्हें पूंजीगत किया जाता है।

   ग) वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख तक किए गए निर्माण अवधि के दौरान प्रासांगिक व्यय को पूंजीगत किया जाता है।

5. **निवेश**

क. दीर्घकालिक निवेशों का मूल्यांकन लागत पर मूल्य में स्थायी गिरावट के लिए प्रावधान को घटाकर किया जाता है।

ख. चालू निवेशों को लागत पर या उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, आंका जाता है।

6. **मालसूचियाँ**

क) **प्रगतिरत निर्माण कार्य**

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) **अन्य**

i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं है उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रुप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त ठेकों के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रभारित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

7. **रोकड़ एवं रोकड़ समान**

तुलन पत्र में रोकड़ एंव बैंक शेष में बैंक में नकद, उपलब्ध मांग जमा शामिल होते हैं।
रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

8. **प्रावधान**

क) अनुरक्षण के लिए प्रावधान

i) लागत और नियत लाभ ठेकों के मामलों में अनुरक्षण करने की आवश्यकता है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में खराबी/सुधार के लिए कम्पनी का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान मे रखा जाता है।

iii) अनुरक्षण अवधि के पश्चात् डिजाइन गांरटियों के लिए प्रत्येक ऐसे ठेके के लिए 10 लाख रूपए का सांकेतिक (टोकन) प्रावधान रखा जाता है।

ख) **विनियोजन के लिए प्रावधान**

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) **संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों के लिए प्रावधान**

संदिग्ध ऋणों व अग्रिमौं के लिए प्रावधान किया जाता है, जब देयों की अवधि को ध्यान में रखे बिना इनकी वसूली अनिश्चित हो । तीन वर्षो से अधिक अवधि के बकायों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है बशर्ते यह राशि वसूलनीय समझी जाय। ऋणों/ अग्रिमों को बट्टे खाते डाल दिया जाता है, जब उनकी अनिश्चितता स्थापित हो जाए।

घ) **अन्य**

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

1) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में कम्पनी का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

2) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और

3) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है।

प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

9. संविदा राजस्व का लेखांकन

"संविदा राजस्व" का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है।

(क) लागत और नियत लाभ ठेकों की प्राप्तियों का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदें और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।

(ख) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है । पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रूप में किया जाता है ।

इस अवधि में किसी भी हानि के लिए पूर्ण प्रावधान होता है ।

प्राप्तियों की बिक्रीकर आदि, जैसे लागू हो, सम्मिलित है।

10. संयुक्त उद्यम के अधीन निष्पादित ठेके :

संयुक्त उद्यम के अधीन निषादित ठेके

1. संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों में ठेकों को स्वतंत्र ठेके के रूप में लेखाकरण किया जाता है।
2. संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के द्वारा निषादित ठेकों के मामलों में संयुक्त उद्यम में हुए लाभ/हानि को उनके निर्धारण के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

11. पट्टे

1. प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों की पट्टा अदायगी अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि लेखा विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।
2. प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पट्टा आय को पट्टा अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।

12. निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

1) वास्तविक रूप से प्रदत्त/वसूले गये निर्णीत हर्जाने को संविदा राजस्व/संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाएगा । संविदागत बाध्यता से उत्पन्न निर्णीत हर्जाने लेकिन वार्ता अधीन और अदा करने योग्य नहीं और ग्राहक से वसूला नहीं गया, को प्रासंगिक देयता के रूप में माना जाता है।

2) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

13. अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान और विकास व्यय आय को प्रभारित किए जाते हैं।

14. संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रूप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा ।

15. मूल्यह्रास

i) भारत में स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी लाइन विधि (एसएलएम) से कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XVi में विहित रीति और विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है सिवाय निम्न मामलों में जिनके लिए उपर्युक्त अनुसूची में विहित दरों से अधिक दरें प्रदान की गई हैं :-

क.	सामान्य निर्माण उपस्कर	19.00%
ख.	कार्यालय उपस्कर	19.00%
ग.	यूपीएस और इनवर्टर सहित कम्प्यूटर	31.67%
घ.	वाहन (भारी वाहनों सहित)	23.75%
ड.	फर्नीचर और जुड़नार	23.75%
च.	स्पीड बोट्स	19.00%

ii) विदेशों में स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक काल परियोजना की अवधि आदि को ध्यान में रखकर सीधी लाइन विधि पर किया गया है। तथापि मूल्यह्रास की अपनाई गई दर भारत मे स्थिर परिसम्पतियों के लिए अनुसूची xiv में विनिर्दिष्ट दर से कम नहीं है(जैसा कि उपर्युक्त पैरा 15(i)मे बताया गया है)। परियोजना के बंद होने पर परिसम्पत्तियां वास्तविक मूल्य के 5% तक कम हो जाती हैं तथा शेष को वर्ष की समाप्ति में प्रभारित और/या अन्य परियोजना/संयंत्र मशीनरी विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

iii) 25 लाख रूपए से अधिक प्रत्येक साफ्टवेयर लागत को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा करके साफ्टवेयर को सफलतापूर्वक शुरू करने की तारीख से सीधी लाइन विधि आधार पर 36 माह की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

iv) पट्टे की भूमि के संबंध में मूल्यह्रास पट्टे की अवधि के अनुपात में प्रदान किया जाता है।

v) वर्ष के दौरान अधिग्रहित 5000 रू. तक की लागत वाली परिसम्पत्तियों तथा वर्ष के आरंभ में 5000 रू. तक हासिल मूल्य की परिसम्पत्तियों और वर्ष के दौरान उपार्जित कैंपों/करवेनों/अस्थायी शेडों/साजोसामान, चाहे मूल्य कुछ भी हो, को वर्ष में पूर्णतः हासिल किया जाता है।

16. उधार लागतें

i) सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रूप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।

ii) पूँजीगत परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उतरदायी उधार लागतों को पूंजीगत किया जाता है।

17. सेवानिवृति लाभ

i) छुट्टी नकदीकरण, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है।

ii) भविष्य निधि अंशदान को पीएफ न्यास में प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।

18. पूर्व अवधि समायोजन और अन्य मदें

i) आय/व्यय से संबंधित पूर्व अवधि और पूर्वदत व्यय जो प्रत्येक मामले में 5000 रू से अधिक न हों, उन्हें चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित व्ययों को व्यय-भार के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

19. कर

i) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त करों या दायित्वों, यदि कोई हो, जैसे ही और जब निर्धारण पूरा होता है, उनका प्रबन्ध/अदायगी कर दी जाती है।

ii) आस्थगित आयकर का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख तक बनाई गई या वास्तविक रूप से बनाई गई कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

20. खण्ड रिपोर्टिंग

कंपनी ने परियोजना की भौगोलिक अवस्थिति यथा, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दो प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्डों की और निर्माण व्यवसाय और परिसम्पत्तियों को पट्टे पर देने और इसके प्रचालनों (पट्टा व प्रचालन) को पट्टे पर और प्रचालन के आधार पर दो द्वितीयक रिपोर्टिंग खंडों की पहचान की है।

21. आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

1. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या
2. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो; या
3. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

(घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

अनुसूची 'द'

प्रकटनों सहित लेखाओं के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. प्रासंगिक देयताएं जिनका प्रावधान नहीं किया गया है :

   क) कम्पनी के विरूद्ध वे दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है 2736.49 मिलियन रूपए (4603.43 मिलियन रूपए) हैं। इसके विपरीत, कम्पनी ने 1014.16 मिलियन रूपए (889.64 मि. रू.) का प्रति दावा किया है। यदि कम्पनी के विरूद्ध दावे कार्यान्वित होते हैं तो 1028.93 मिलियन रूपए (3224.66 मिलियन रूपए) की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की जाएगी। निश्चित न किए जाने वाले दावों पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा।

   ख) कम्पनी के विरूद्ध अदालत में कर्मचारियों/अन्यों से सबंधित कुछ मामले लम्बित हैं, जिसकी देयता निश्चित नहीं है।

   ग) विवादास्पद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है 1320.26 मिलियन रूपए (937.04 मिलियन रूपए) हैं। जिनमें से 314.44 मिलियन रूपए (252.40 मिलियन रूपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की जानी है और शून्य रूपए (शून्य रूपए) उप-ठेकेदारों से वसूल किए जाने हैं।

   घ. ग्राहकों द्वारा समय बढ़ाने हेतु आवेदन के लम्बित मामलों के निपटान के लिए कंपनी 61.10 मिलियन रूपए (8.81 मिलियन रूपए) के स्तर तक निर्णीत व्यक्तियों को भुगतान किए जाने के लिए आकस्मिक रूप से बाध्य है।

   ड) फ्लैटों के लिए सी आई डी सी ओ को बकाया बैंक गारण्टी के 1.45 मिलियन रूपए (1.45 मिलियन रूपए) है।

   च) भविष्य निधि आयुक्त, जम्मू और कश्मीर द्वारा 17.55 मिलियन रुपए (17.55 मिलियन रुपए) के दावे।

   छ) 6060.40 मिलियन रूपए (6060.40 मिलियन रुपए) की अनुमानित लागत पर निर्माण, प्रचालन व हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर महाराष्ट्र राज्य में 20 वर्ष की अवधि (3 वर्ष निर्माण के लिए तथा 17 वर्ष टोल एकत्रण हेतु) राष्ट्रीय राजमार्ग-3 (पिंपलगांव-धुले खण्ड) पर मौजूदा 2 लेन वाली सड़क को सुधारने, प्रचालन तथा अनुरक्षण, पुनर्वासन सुदृढ़िकरण व उसे 4 लेन का बनाने के लिए दिनांक 28 सिंतबर 2005 को एन एच ए आई तथा आई एस टी पी एल के मध्य रियायत करार की शर्तों के अनुसार एन एच ए आई द्वारा आई एस टी पी एल (उसके निगमित होने के पश्चात्)को राजमार्ग परियोजना के निष्पादन के लिए दिनांक 19-04-2005 को इरकॉन इंटरनेशनल लि. कम्पनी तथा सोमा इंटरप्राइजेज लि., प्रत्येक की 50% शेयरधारिता सहित, संयुक्त उद्यम साझेदार ने इरकॉन-सोमा टालवे प्राइवेट लि. आई. एस. टी. पी. एल नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी का गठन किया।

   आईएसटीपीएल में कम्पनी का इक्विटी निवेश 638.70 मिलियन रूपए (638.70 मिलियन रूपए) है। परियोजना के ऋण भाग के वित्तपोषण के लिए आईएसटीपीएल ने भारतीय स्टेट बैंक के प्रमुख ऋणदाता बैंक सहित आठ बैंको के कंसोर्टियम से 4500 मिलियन रूपए का अवधि ऋण लिया है। इस ऋण को प्राप्त करने के लिए अपने संयुक्त उद्यम साझेदार सहित कम्पनी ने प्रमोटरों के सहयोग के माध्यम से दिनांक 07 अगस्त 2006 को भारतीय स्टेट बैंक (सुरक्षा ट्रस्टी तथा ऋणदाता एजेंट) के पक्ष में एक स्पांसर स्पोर्ट अंडरटेकिंग तथा एक करार सहमति निषादित किये हैं जिसमें दोनों ही साझेदारों ने संयुक्त व पृथक रूप से शपथ ली है कि वे किसी प्रकार की लागत में वृद्धि सहमत ऋण सेवा अनुपात में कमी, अनुदान की प्राप्ति में विलम्ब के कारण अस्थायी कमी तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के भुगतान के स्थगन के लिए अतिरिक्त इक्विटी उपलब्ध कराएंगे। चालू वर्ष में कंपनी तथा सोमा ने बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए ऋण के रूप में प्रत्येक ने 100 मिलियन रुपए का अंशदान किया है। 25 अक्तूबर, 2009 को चंदवार में स्थित 99 कि.मी. लम्बे टोल प्लाजा को प्रचालनिक कर दिया गया है और टोल एकत्रण आरंभ हो गया है। शेष 19.158 कि.मी. के भाग को अनंतिम रुप से 30 मार्च, 2010 को पूरा घोषित कर दिया गया है तथा धूले प्लाजा पर टोल एकत्रण का कार्य भी 19 अप्रैल, 2010 को आरंभ हो गया है।

2. अग्रिमों के शुद्ध पूंजी लेखे में शामिल किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि 5.66 मिलियन रूपए (254.70 मिलियन रूपए) है।

3. प्रति शेयर मूल्य आय का परिकलन कर पश्चात आय 1821.83 मिलियन रूपए (1401.82 मिलियन रूपए) को पूर्णत प्रदत प्रत्येक 10/-रू के 98,98,000 इक्विटी शेयरों से विभाजित करके किया गया है। प्रति शेयर अवमिश्रित आय लागू नहीं है, क्योंकि इसमें अवमिश्रण शामिल नहीं हैं।

4. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों तथा सामग्री के अन्तर्गत तीसरे पक्षों के साथ दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टिकरण/समायोजन के मद्देनजर हैं। कम्पनी ऊपर शामिल कम्पनियों की पुष्टि के लिए पत्र भेज रही है।

   ख) प्रबन्धन के मतानुसार वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होना चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

5. क. विदेशी मुद्रा में आय :

(रूपए मिलियन में)

विवरण	2009-10	2008-09
कार्य प्राप्तियाँ और लोको पट्टा	**12255.88**	7702.48
बैंक ब्याज	**101.34**	68.63
अन्य ब्याज	**0.71**	67.55
विदेशी मुद्रा घट/बढ़ लाभ	**216.06**	201.39
अन्य	**36.36**	43.06
कुल	**12610.35**	8083.11

ख. विदेशी मुद्रा में आय :

(रूपए मिलियन में)

विवरण	2009-10	2008-09
प्रचालन व्यय	**7820.72**	6405.55
परामर्शदात्री प्रभार	**149.38**	101.42
विदेशी मुद्रा उच्चावचन हानि	**523.27**	80.53
प्रशासनिक और अन्य व्यय	**1475.58**	539.82
कुल	**9968.95**	7127.32

ग. आयातों का सीआईएफ मूल्य :

(रूपए मिलियन में)

विवरण	2009-10	2008-09
पूंजीगत माल	-	3.28
सामग्री	**117.56**	91.26
उपभोज्य, अवयव तथा पुर्जे	-	-
कुल	**117.56**	94.54

6. **पट्टे संबंधित प्रकटन**

1. <u>इंजनों के लिए प्रचालन पट्टे</u>

क. कंपनी इंजनों को पट्टे पर देने का कार्य कर रही है। 31.03.2010 को विदेशी क्लाइंट को 25 इंजनों को पट्टे पर दिया गया है। पट्टा वैधता को 31.12.2010 तक बढ़ाया गया है।

ख. निम्नलिखित अवधियों के दौरान प्रचालन पट्टा के अधीन भावी निम्नतम पट्टा किराया देय/प्राप्य निम्न प्रकार है :-

(रूपए मिलियन में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
प्राप्य	130 (**119.20**)	**शून्य** (शून्य)	**शून्य** (शून्य)
देय	**शून्य** (शून्य)	**शून्य** (शून्य)	**शून्य** (शून्य)

ग. वर्ष के दौरान प्राप्त पट्टा व्यवसाय परिसम्पति पर मूल्यह्रास का प्रकटन :-

(रूपए मिलियन में)

परिसंपतियों का विवरण	31.03.2010 को	31.03.2009 को
परिसंपतियों की सकल राशि	**248.17**	248.09
संचित मूल्यह्रास	**63.96**	51.32

(रूपए मिलियन में)

विवरण	2009-10	2008-09
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	**12.64**	8.91

2. **हल्के वाहनों के लिए प्रचालन पट्टा**

कम्पनी ने पांच (सात) हल्के वाहनों को प्रयोग के लिए पट्टादाता से खरीदने के दायित्व के बिना प्रचालन पट्टे पर लिए हैं। भावी न्यूनतम पट्टा किराया देय निम्नानुसार हैः

(रूपए मिलियन में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक से पांच वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
देय	**0.72**(0.72)	**0.98** (1.67)	**(शून्य)** (शून्य)

3. **परिसरों के लिए प्रचालन पट्टे**

कम्पनी की पट्टा व्यवस्थाएं कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, गैस्ट हाउस तथा ट्रांजिट कैपों के लिए परिसरों के प्रचालन पट्टों के संबंध में है। ये पट्टा व्यवस्थाएं, जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है, एक वर्ष के लिए है तथा समान्यतः आपसी सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसरों के संबंध मे शुद्व पट्टा भुगतानों के प्रति कर्मचारी वेतन एवं लाभों के अन्तर्गत व्यय अनुसूची में 63.10 मिलियन रुपए(77.60 मिलियर रुपए) शामिल हैं। कार्यालय परिसरों, गेस्ट हाऊसों, ट्रांजिट कैम्पों के संबंध में पट्टा भुगतान 32.93 मिलियन रुपए (38.75 मिलियन रुपए) को अनुसूची 'ठ' में दर्शाया गया है।

7. **खण्ड रिपोर्टिंग :**

प्राथमिक खण्ड सूचना (भौगोलिक)

(रूपए मिलियन में)

	अंतर्राष्ट्रीय		घरेलू		**अन्य***		**कुल**	
	09-10	08-09	**09-10**	08-09	**09-10**	08-09	**09-10**	08-09
क. आवर्त्त								
प्रचालन आय	**11962.47**	8027.02	**19522.55**	18476.77	**43.82**	39.33	**31528.84**	26543.12
अन्य आय	**205.56**	283.02	**148.20**	187.87	**286.50**	380.64	**640.26**	851.53
अंत खण्ड								
कुल राजस्व	**12168.03**	8310.04	**19670.75**	18664.64	**330.32**	419.97	**32169.10**	27394.65
ख. परिणाम								
प्रावधान मूल्यह्वास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	**2400.23**	924.13	**1196.27**	1678.29	**255.32**	227.48	**3851.82**	2829.90
घटाएँ-प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	**89.32**	65.16	**536.07**	141.24	**173.67**	304.97	**799.06**	511.37
वर्ष के लिए मूल्यह्वास	**168.16**	196.71	**195.14**	202.23	**49.37**	42.93	**412.67**	441.87
ब्याज	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
कर पूर्व लाभ	**2142.75**	662.26	**465.06**	1334.82	**32.28**	(120.42)	**2640.09**	1876.66
कर के प्रावधान	**574.50**	244.30	**227.95**	253.42	**15.81**	(22.88)	**818.26**	474.84
कर पश्चात् लाभ	**1568.25**	417.96	**237.11**	1081.40	**16.47**	(97.54)	**1821.83**	1401.82
ग. अन्य सूचना								
परिसंपत्तियां	**11581.38**	8992.59	**10211.63**	11738.21	**14278.93**	11669.07	**36071.94**	32399.87
स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं (निवल ब्लाक)	**658.75**	751.39	**852.70**	976.73	**850.48**	872.36	**2361.93**	2600.48
देयताएं	**9738.70**	7971.76	**9587.41**	10250.41	**4699.33**	3397.25	**24025.44**	21619.42
पूंजीगत व्यय : स्थिर परिसंपत्तियों में बढ़ौतरी	**33.92**	220.64	**65.01**	35.17	**18.68**	3.18	**117.61**	258.99

*अन्यों में गैर-आवंटित राजस्व, व्यय, परिसम्पतियां तथा देयताएं शामिल हैं।

गौण खण्ड सूचना (व्यवसाय):

(रूपए मिलियन में)

	प्रचालन आय		खण्ड परिसम्पतियां		स्थिर परिसंपतियों में बढ़ैतरी	
	2009-10	2008-09	**2009-10**	2008-09	**2009-10**	2008-09
निर्माण आदि	**31292.29**	26328.80	**35649.31**	31896.02	**115.07**	171.54
पट्टा और प्रचालन	**236.55**	214.32	**422.63**	503.85	**2.54**	87.44
जोड़	**31528.84**	26543.12	**36071.94**	32399.87	**117.61**	258.98

8. **संबंधित पक्ष प्रकटन**

क. उद्यम जहां नियंत्रण विद्यमान है :

गैरनिगमित संयुक्त उद्यम : इरकॉन- कोबरा-ईएलआईओपी, इरकॉन, लॉयन पैसेफिक, एसडीएन, बीएचडी, इरकान-श्री भवानी बिल्डर, इरकॉन-गन्नौन डंकरली, इरकॉन- आरसीएस-फ्लीडरर, इरकॉन- एसएसजे परियोजना, एसएमजे-इरकॉन, इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर (आईएमसीसी), मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एसटीजी, रीकॉन (इरकॉन व राइट्स का कंसोर्टियम), रिकॉन-सीटा एसएआरएल।

संयुक्त उद्यम कम्पनियां-इरकॉन, राइट्स तथा सी एफ एम (मोजांबीक रेलवे) की सी सी एफ बी (कॉम्पनिया डोस कैमीनोस डी फेरो डा बइरा एस ए आर एल) नामक कम्पनी तथा इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी।

ख. प्रमुख प्रबन्ध निदेशकः
निदेशक : सर्वश्री मोहन तिवारी, मदन लाल, के.के. गर्ग तथा दीपक सभलोक।

ग. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देनों का प्रकटीकरण

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**लेन-देन**		**बकाया राशि**	
	2009-10	2008-09	**31-3-2010 को**	31-3-2009 को
प्रमुख प्रबंधक कार्मिकों को परिश्रमिक (उपर्युक्त 'ख')तथा अन्य स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क	नोट सं0-9 के अनुसार		**शून्य**	शून्य
उन उद्यमों से सेवाएं जहां निदेशकों का हित विद्यमान है	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
सीसीएफबी/आईएसटीपीएल/आईआईएसएल में निवेश	**4.00**	127.70	**698.04**	694.04
सीसीएफबी/आईएसटीपीएल को ऋण	**(44.47)**	311.30	**849.16**	893.63
सीसीएफबी/आईआईएसएल/आईएसटीपीएल/ रिकॉन से वसूली जाने वाली अग्रिम राशि	**3.36**	(7.91)	**19.56**	15.09
रिकॉन को देय राशि	**29.92**	4.89	**34.81**	4.89
सीसीएफबी/रिकॉन/आईएसटीपीएल/ आईआईएसएल से आय	**763.80**	1262.38	**589.54**	277.32

9. **निदेशकों का पारिश्रमिक निम्न प्रकार है :-**

(रूपए मिलियन में)

क्र. सं.	**विवरण**	**2009-10**	2008-09
I	वेतन और भत्ते	**5.34**	4.54
II	भविष्य निधि और अंशदान	**0.62**	0.36
III	सेवानिवृति सहित अधिवार्षिता लाभ	**3.36**	1.38
IV	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.15**	0.63
V	बैठक फीस	**0.27**	0.22
VI	अन्य हित लाभ	**1.36**	0.17
	जोड़	**11.1**	7.30

निदेशकों को कंपनी की ओर से आवास और कार भी प्रदान की गई है जिसकी वसूली लागू नियमानुसार की गई है।

10) संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटन

क) संयुक्त उद्यमों की सूची

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2010	2009
1	इरकॉन कोबरा- इलियोप#	इरकॉन, भारत कोबरा, स्पेन इलियोप, स्पेन	**61.22** **34.35** **4.43**	61.22 34.35 4.43
2	इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स ##	इरकॉन, भारत श्री भवानी बिल्डर्स, भारत	**24.21** **75.79**	24.21 75.79
3	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कंट्रेक्टर (आइएमसीसी)###	दाईविदेग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पेरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
4	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एम टी जी)	दाईविदेग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि., भारत सेमसंग कार्पेरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
5	रीकॉन	इरकॉन, भारत राइटस, भारत	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
6	एसएमजे-इरकॉन@	इरकॉन, भारत संबर मित्रा जाया,इंडोनेशिया	**25.00** **75.00**	25.00 75.00
7	इरकॉन-गन्नौन डंकर्ली	इरकॉन, भारत गन्नौन डंकर्ली	**55.70** **44.30**	55.70 44.30
8	इरकॉन आरसीएस- फ्लीडरर	इरकॉन, भारत रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर प्रा. लि., भारत फ्लीडरर इनफ्रास्ट्रकचर टैकनीकजी एम बी एच एण्ड क., जर्मनी	**65.08** **21.87** **13.05**	65.08 21.87 13.05
9	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम	इरकॉन भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	**55.00** **45.00**	55.00 45.00
10	रीकॉन-सीटा एस ए आर एल@@	रीकान, भारत सी इ टी ए, मोजांबिक	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
11	इरकॉन-आस्का कंसार्टियम@@@	इरकॉन, भारत एस ए आर एल आरका, अल्जीरिया एएसकेए, टर्की	**100.00** - -	70.00 15.00 15.00

ख) संयुक्त उद्यमों की सूची

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को स्वामित्व हित का अनुपात प्रतिशत	
			2010 को	2009 को
1	सीसीएफबी (कम्पनिया डोस कैमिनोस डे फैरा डा बेरा एस एआरएल) मोजाम्बिक	इरकॉन, भारत राइट्स, भारत सीएफएम, मोजाम्बिक	25.00 26.00 49.00	25.00 26.00 49.00
2	इरकॉन-सोना टोलवे प्रा. लि.	इरकॉन, भारत सोना इंटरप्राइजेज़ लि., भारत	50.00 50.00	50.00 50.00

 # 15.6.2007 को कार्य समाप्त ।

##परियोजना बन्द, भुगतान अभी प्राप्त किया जाना है।

###5.3.2006 को कार्य पूरा हो गया ।

@परियोजना बन्द, अभी अन्तिम निपटान बाकी है।

@@दिनांक 01.05.2008 से संयुक्त उद्यम साझेदारों ने संयुक्त उद्यम प्रचालन की प्रकृति में परिवर्तन किया है जिसके अनुसार शेष कार्य के स्कोप को पूर्ववर्ती संयुक्त नियंत्रण के विपरीत आपस मे विघटित कर लिया गया है। इसके परिणामस्वरुप संयुक्त उद्यम की प्रकृति संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई (जेईसी) से परिवर्तित होकर अब संयुक्त नियंत्रित प्रचालन (जेसीओ) हो गई है। लेखाकरण नीति संख्या 10(ii) के अनुसार 30.04.2008 तक अनुपातिक समेकन पद्धति का अनुसरण किया गया है और तत्पश्चात जेसीओ के संबंध में कंपनी की अनुसूची फ के लेखाकरण नीति संख्या 10 (ii) के अनुसार स्वतंत्र ठेकों के रुप में लेखांकित किया गया है।

@@@क्लाइंट के निर्देशों के अनुसार इरकॉन ने अन्य दो साझेदारों सर्ल आस्का, एल्जीरिया (15%) तथा आस्का, तुर्की (15%) को कंसोर्टियम से अलग कर दिया है। क्लाइंट ने बाद में ठेके को बंद करने के लिए कार्य रोकने का आदेश जारी किया था। चूंकि क्लाइंट ने संविदा बंद करने के आदेश को वापस ले लिये हैं और 23.05.2010 को यह परियोजना इरकॉन के नाम से पुन: आरंभ हुई है।

ग) जेसीई के आय, व्यय, लाभ, परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	रिकॉन-सीटा-एसएआरएल		रिकॉन		आईएमसीसी		एमटीजी		कुल	
		2009-10	2008-09	**2009-10**	2008-09	**2009-10**	2008-09	**2009-10**	2008-09	**2009-10**	2008-09
1	आय	**-**	7.24	**39.98**	39.33	**0.24**	2.19	**90.33**	217.98	**130.55**	266.74
2	व्यय	**-**	(45.64)	**22.66**	19.46	**0.19**	5.27	**85.01**	214.71	**107.86**	193.8
3	नियत परिसंपत्तियां	**17.92**	17.92	**-**	-	**-**	-	**1.67**	5.73	**19.59**	23.65
4	चालू परिसंपत्तियां	**229.79**	288.82	**124.35**	83.56	**46.07**	45.89	**65.48**	121.88	**465.69**	540.15
5	चालू देयताएं	**247.71**	253.86	**54.12**	30.65	**13.95**	14.02	**54.99**	97.84	**370.77**	396.37
6	ऋण निधि	**-**	-	**52.91**	33.03	**-**	-	**-**	-	**52.91**	33.03

घ) 31.3.2010 को आई एम सी सी के मामले में आकस्मिक दयेता के प्रति बैंक गारंटी में कम्पनी का शेयर शून्य रूपए (21.18 मिलियन रूपए) है।

ड.) 31.3.2010 को आई एम सी सी के मामले में बिक्री कर देयता का समानुपातिक शेयर 42.52 मिलियन रूपए (42.52 मिलियन रूपए) है।

च) 31.3.2010 को एम टी जी के मामले में बैंक गारन्टी के कम्पनी के भाग के प्रति आकस्मिक देयता 46.91 मिलियन रूपए (46.71 रूपए) है।

छ) 31.3.2010 को एम टी जी के मामले में सेंट्रल एक्साइज को निगमित गारन्टी के भाग के प्रति आकस्मिक देयता 15.36 मिलियन रुपए (15.36 मिलियन रुपए) है ।

ज) 31.03.2010 को इरकॉन- आरसीएस-पीफ्लिडेरर के मामले में बैक गारंटी के कम्पनी के शेयर के प्रति आकस्मिक देयता 9.10 मिलियन रुपए (9.10 मिलियन रुपए) है।

झ) कम्पनी ने ब्रिज वित्तपोषण के रुप में सी सी एफ बी में 10 मिलियन अमरीकी डालर तक के शर्तशुदा शेयरधारक ऋण की प्रतिबद्धता की है, किन्तु केवल 7.5 मिलियन अमरीकी डालरों के लिए शेयरधारक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। 7.5 मिलियन अमरीकी डालरों में से कंपनी ने 2008-09 के दौरान एक मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान किया था और 2009-10 के दौरान एक मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान किया था। कंपनी को सीसीएफबी से 2.00 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की संपूर्ण राशि 29.01.2010 को वापस प्राप्त हो गई थी। बहरहाल, 2 मिलियन अमरीकी डालर की राशि पर 0.17 मिलियन अमरीकी डालर के ब्याज की राशि सीसीएफबी से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

ट) वर्ष के दौरान कंपनी ने आईएसटीपीएल संयुक्त उद्यम को 100 मिलियन रुपए का ऋण प्रदान किया है।

ठ) 0.98 मिलियन (शून्य) की मांग करने के लिए वर्ष के दौरान सेवा कर आयुक्त ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आईएमसीसी ने मांग का विरोध किया है और यह मामला न्यायाधीन है।

ड) वित्त वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के लिए राजस्व प्राधिकारियों द्वारा आकलन के परिणामस्वरुप दिनांक 31.03.2010 को 32.49 मिलियन (शून्य) की सकल मांग उत्पन्न हुई है। आईएमसीसी ने इस आकलन का विरोध किया है तथा विभिन्न स्तरों पर अपील दायर की है, जो न्यायाधीन है।

11) कंपनी ने इंस्टीटयूट आफॅ चार्टेर्ड एकाउंटेंटस् आफ इंडिया द्वारा जारी एएस 28 परियोजना के अनुसार वर्ष के दौरान उगाई की जाने वाली शुद्ध राशि या लागत से कम के आधार पर वसूल की जाने वाली राशि के आंकलन द्वारा वैयक्तिक परिसपंत्तियों के ह्रास का अनुमान निकाला है। कोई ह्रास हानि (शून्य रुपए) नहीं हुई है।

12 क) खाड़ी युद्ध के कारण जब क्लाइंटों (इराक में निष्पादित समावा तथा अल-मुथाना परियोजनाओं सहित) से भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा था। उस समय भारत सरकार ने आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकॉल (डीपीए) के अंतर्गत इरकॉन सहित ईरान में निर्यातकों की परियोजनाओं को बेलआउट किया था।

आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकाल के तहत सितम्बर, 1995 तक सेंट्रल बैंक और इराक द्वारा प्रमाणितानुसार एक्जिम बैंक को देय बकाया शेष राशियों का निपटान भारत सरकार द्वारा 2 चरणों में बांड जारी करके किया गया था। दूसरे चरण के परिणामस्वरूप सेंट्रल बैंक ऑफ इराक ने इक्जिम बैंक को 8.89 मिलियन रुपए (एक अमरीकी डालर = 35.802 रुपए की अंतिम सहमत दर पर परिवर्तित 318.21 मिलियन रुपए के बराबर) की राशि को प्रमाणित (मई, 2000 में एक्जिम बैक द्वारा पुष्ट) किया था, तथा भारत सरकार द्वारा इसका निपटान प्रतीक्षाधीन है, जिसके लिए कंपनी ने दिनांक 26.05.2005 के अपने पत्र के तहत रेल मंत्रालय को अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। इन देयों के परिणामस्वरूप बैक-टू-बैक आधार पर उप ठेकेदारों को देय 4.20 अमरीकी डालर (एक अमरीकी डालर = 35.802 रुपए की अंतिम सहमत दर पर परिवर्तित 150.37 मिलियन रुपए के बराबर) की ब्याज की राशि का प्रावधान लेखा बहियों में किया गया है।

ख) आस्थगित इराकी बकाया और उस पर ब्याज व बैक-टू-बैक आधार पर उप ठेकेदारों को देय ब्याज के प्रावधान (आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकॉल) को भारत सरकार के साथ तय अंतिम निपटान दर यथा 1 अमरीकी डालर = 35.802 रूपए पर परिवर्तित किया जाता है। यदि बकायों को एस-11 के अनुसार 31.3.2010 को बंद होने वाली विनिमय दर से रूपांतरित किया जाता है तो अन्य चालू परिसम्पत्तियां 954.64 मिलियन रूपए (80.86 मिलियन रूपए की वृद्धि) तथा प्रावधान 6014.58 (38.21 मिलियन रुपए की वृद्धि) और कर पूर्व लाभ 2682.74 मिलियन रूपए (42.65 मिलियन रूपए की वृद्धि) होती ।

13) कंपनी ने स्वैच्छिक कल्याण उपाय के रूप में कंपनी से अधिवर्षिता प्राप्त/नौकरी के दौरान मृत्यु प्राप्त तथा वित्त वर्ष 2000-01 के दौरान उक्त ट्रस्ट में 120 मिलियन रूपए का अंशदान किया था, उन पात्र कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक स्थायी ट्रस्ट की स्थापना की है । यह ट्रस्ट आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अंतर्गत स्थापित की गई है । ट्रस्ट की आय, ट्रस्ट डीड में निधारित लाभों को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त हैं। बहरहाल, कम्पनी अपने कर्मचारियों को इस प्रकार के लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है ।

14) कंपनी ने सामूहिक उपदान योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा (एल आई सी) से एक पॉलिसी ली थी तथा एक उपदान ट्रस्ट की स्थापना की थी। भारतीय जीवन बीमा को वित्त वर्ष 2003-04 तक अंशदान किया गया था। तत्पश्चात अंशदान नहीं किया जा सका था, क्योंकि एल आई सी की मांग पर निर्णय नहीं लिया जा सका था। भारतीय जीवन बीमा द्वारा दिनांक 31.3.2010 को निर्धारित 41.07 मिलियन रूपए (37.77 मिलियन रूपए) की निधि के ब्याज सहित समेकित शेष को एल आई सी से वसूली जाने वाली राशि के रूप में चालू सम्पतियों के अंतर्गत दर्शाया गया है । लेखंाकन नीति सं 17 (i) अनुसूची-ठ की शर्तों के अनुसार उपदान के लिए कंपनी के दायित्व और पूर्ण प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया गया था।

15 क) कम्पनी ने अपने आयकर रिटर्न में आकलन वर्ष 2000-2001 से पात्र निर्णय परियोजनाओं के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 801 ए के अन्तर्गत छूट का दावा किया है । चूंकि कुछ दावों को सी आई टी (अपीन) स्तर पर नामंजूर कर दिया गया है, छूट के बिना कर प्रदान किया गया है । बहरहाल, सीआईटी (ए) आकलन वर्ष 2004-05 के लिए हमारे दावे पर विचार किया है, किन्तु विभाग सीआईटी (ए) के आदेशों के विरुद्ध अधिकरण में गया। आकलन वर्ष 2009-2010 तक कटौती 4434.44 मिलियन रुपए (3220.53 मिलियन रुपए) है । यह मामला अधिकरण के समक्ष लम्बित है ।

ख) कम्पनी ने अपने आयकर रिटर्न में आकलन वर्ष 2007-2008 से आवासीय परियोजनाओं के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की घारा 80 आईबी के अन्तर्गत छूट का दावा किया है । बिना कटौती कर प्रदान किया गया है । आकलन वर्ष 2009-10 तक अनुमानित कटौती 13.28 मिलियन रुपए (68.46 मिलियन रुपए) है ।

16) एएस-15 के अंतर्गत प्रकटन

भविष्य निधि

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है, इसलिए किसी और प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

उपदान

प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है वह अधिवर्षिता, त्यागपत्र, निलंबन, अपंगता या मृत्यु पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक उसकी सेवाकाल के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन का उपदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

यह दायित्व वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा

कंपनी में सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है जिसके अंतर्गत कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए कंपनी ने एक चिकित्सा ट्रस्ट निधि का सृजन किया है। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी के दायित्व से अधिक है, इसलिए इसके लिए आगे और प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

छुट्टी नगदीकरण

कंपनी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्द्धवेतन, छुट्टी प्रदान करता है जो वार्षिक अधार पर क्रमशः 30 दिन तथा 20 दिन है। सेवा के दौरान 50% अर्जित अवकाशों का नगदीकरण किया जा सकता है तथा अधिवर्षिता पर अधिकतम 300 दिनों का नगदीकरण किया जा सकता है। कंपनी के नियमों के अनुसार अर्द्धवेतन अवकाश का नगदीकरण केवल अधिवर्षिता पर ही किया जा सकता है तथा अधिकतम 240 दिनों का ही नगदीकरण किया जा सकता है। यह देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ही मान्य है।

i) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रुपए मिलियन में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
अवधि के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	295.66 (162.60)	298.03 (216.35)	101.96 (68.43)
ब्याज लागत	22.17 (13.01)	22.35 (17.31)	7.65 (5.47)
चालू सेवा लागत	23.07 (20.60)	33.73 (27.49)	7.24 (5.96)
पूर्व सेवा लागत	- (63.21)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	(17.05) ((6.09))	(16.17) ((10.43))	(2.16) ((1.03))
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	52.76 (42.32)	43.87 (47.30)	54.93 (23.13)
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	376.61 (295.65)	381.81 (298.03)	169.62 (101.96)

ii) योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ*
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	37.77 (35.17)	- (-)	236.98 (-)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	3.30 (3.08)	- (-)	20.74 (-)
अंशदान	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	- ((0.44))	- (-)	- (-)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	- ((0.03))	- (-)	18.81 (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	41.07 (37.77)	- (-)	238.91 (-)

iii) योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ*
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	37.77 (35.17)	- (-)	236.98 (-)
योजना परिसम्पतियों पर वास्तविक लाभ	3.30 (3.04)	- (-)	1.93 (-)
प्रदत्त लाभ	- ((0.44))	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	41.07 (37.77)	- (-)	238.91 (-)
वित्तपोषित स्थिति	(335.53) ((257.88))	(381.81) ((298.03))	69.29 ((101.96))
योजना परिसम्पतियों पर सम्भावित लाभ की तुलना में वास्तविक अधिक	- ((0.03))	- (-)	(18.81) (-)

*इरकॉन चिकित्सा ट्रस्ट की समेकित निधि 238.91 मिलियन रुपए है।

iv) अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि-दायित्व	(52.76) ((42.32))	(43.87) ((47.30))	(54.93) ((23.13))
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि योजना परिसंपत्ति	- (0.03)	- (-)	(18.81) (-)
अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	52.76 (42.35)	43.87 (47.30)	73.74 (23.13)
अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि	52.76 (42.35)	43.87 (47.30)	73.74 (23.13)

v) तुलन पत्र में मान्य राशि

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	376.61 (295.66)	381.81 (298.03)	169.62 (101.96)
31.03.2010 को योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	41.07 (37.77)	- (-)	238.91 (-)
वित्तपोषण स्थिति	(335.53) ((257.88))	(381.81) ((298.03))	69.29 ((101.96))
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता	335.53 (257.88)	381.81 (298.03)	69.29 (101.96)

vi) लाभ हानि खाते में मान्य व्यय

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
चालू सेवा लागत	23.07 (20.60)	33.73 (27.49)	7.24 (5.96)
विगत सेवा लागत	- (63.21)	- (-)	- (-)
ब्याज लागत	22.17 (13.01)	22.35 (17.31)	7.65 (5.47)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	(3.31) ((3.08))	- (-)	(20.74) (-)
वर्ष में निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	52.76 (42.35)	43.87 (47.30)	73.74 (23.13)
लाभ हानि खाते में मान्य व्यय	94.70 (136.10)	99.95 (92.10)	67.89 (34.56)

vii) चालू अवधि के लिए राशि

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	376.61 (295.66)	381.81 (298.03)	169.62 (101.96)
योजना परिसम्पतियां	41.07 (37.77)	- (-)	238.91 (-)
सरप्लस (डैफिसेट)	(335.53) ((257.88))	(381.81) ((298.03))	69.29 ((101.96))
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	(52.76) (69.82)	(43.87) ((42.97))	(54.93) ((17.26))
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	- ((0.03))	- (-)	(18.81) (-)

viii) वास्तविक अनुमान

i)	प्रयुक्त पद्धति	प्रत्याशित इकाई ऋण पद्धति
ii)	रियायत दर	7.50%
iii)	उपभोग स्तर मे वृद्धि की दर	7.50%
iv)	योजना परिसम्पत्तियों पर लाभ की दर-उपदान	8.75%
v)	सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की औसत उत्कृष्ट सेवा	16 वर्ष
vi)	लाभ दायित्वों की अनुमानित अवधि	16 वर्ष

17) **प्रगतिरत संविदा के संबंध में प्रकटन***

(रुपए मिलियन में)

विवरण		**31.3.10 तक**
क	लगाई गई लागत व निर्धारित लाभों की सम्पूर्ण राशि (घटाः निर्धारित हानियां)	84169.98
		31.3.10 को
ख	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	8239.37
ग	धारण की राशि (ग्राहकों द्वारा)	1488.55

*31.3.2010 तक पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर।

18 (i) कम्पनी का 31.3.2010 को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006(एमएसएमईडी अधिमियम) के अधीन आपूर्तिकर्ताओं के प्रति देय राशि शून्य रुपए (शून्य) है ।

(ii) कम्पनी को अपने किसी भी आपूर्तिकर्ता से इस आशय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वह लघु औद्योगिक इकाई भी है । इस सूचना के आधार पर 31 मार्च 2010 को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए लघु औद्योगिक इकाई उपक्रम के प्रति देय राशि शून्य रुपए (शून्य) है ।

19) कम्पनी कार्य विभाग पत्र सं. 46/298/2001 सीएल-3 तारीख 13.3.02 के अनुमोदन से तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा और अन्य अनुसूचियों में आंकड़े मिलियन रूपयों में दर्शाए गए हैं ।

20) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है जिसके अंतर्गत राजस्व मदों पर विदेशी मुद्रा का अंतरण वार्षिक औसत के स्थान पर मासिक औसत रुप में किया गया है। इस परिवर्तन के कारण विदेशी मुद्रा हानि (निवल) में 52.98 मिलियन रुपए की वृद्धि हुई है। अन्य आय में 1.78 मिलियन रुपए की कमी, प्रचालन आय में 73.03 मिलियन रुपए की कमी तथा कुल व्यय (विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को छोड़कर) में 127.79 मिलियन की कमी हुई है। बहरहाल, कंपनी पर लाभ/हानि का निवल प्रभाव शून्य है।

21) कंपनी ने 30 सितम्बर, 2009 को इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल) नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया है और 30 जुलाई, 2009 को 184वें निदेशक मंडल की स्वीकृति से शेयरधारक इक्विटी के रूप में 4 मिलियन रुपए (इरकॉन के नामिति के माध्यम से 0.006 मिलियन रुपए सहित) निवेश किए हैं। 10 नवम्बर, 2009 को आरओसी द्वारा व्यवसाय आरंभ प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

22) वर्ष के दौरान कंपनी ने सीसीएफबी, मोजाम्बिक को दिए गए लेखांकन उपचार में परिवर्तन किया है जिसके अंतर्गत इसे गैर एकीकृत प्रचालन के स्थान पर एकीकृत विदेशी प्रचालन माना गया है। इसके परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती वर्षों में सृजित विदेशी मुद्रा उच्चावचन आरक्षित निधि समायोजित की गई है। इससे विनिमय उतार-चढ़ाव लाभ में 35.08 मिलियन रुपए की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ 35.08 मिलियन रुपए अधिक हो गया है।

23) पिछले वर्ष के आंकड़ों को उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरुप करने के लिए, जहाँ कहीं आवश्यक है, उन्हें पुनः वर्गीकृत तथा पुनः निर्मित किया गया है ।

24) तुलन पत्र सार और कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

I पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या	8171	राज्य कोड	55
तुलन पत्र तारीख	31-03-2010		

(रूपये मिलियन में)

II वर्ष के दौरान एकत्र की गई पूंजी :

पब्लिक इशु	शून्य	राइट इशु	शून्य
बोनस इशु	शून्य	निजी स्थानन	शून्य

III निधियों के जुटाव और उपयोग की स्थिति :

कुल देयताएं	36071.94	कुल परिसंपतियाँ	36071.94
निधियों के स्त्रोत :			
प्रदत्त पूंजी	98.98	रिजर्व और अधिशेष	11894.61
रक्षित ऋण	शून्य	गैर आरक्षित ऋण	52.91
		अस्थगित कर देयता	शून्य
निधियों का उपयोग :			
निवल स्थिर परिसंपतियाँ	2361.93	निवेश	1299.37
निवल चालू परिसंपत्तियां	7511.33	आस्थगित कर परिसंपतियाँ	873.87
विविध व्यय	शून्य	संचित हानियां	शून्य

IV कंपनी का निष्पादन

आवर्त्त	32169.10	कुल व्यय	29557.66
कर पूर्व लाभ	2640.09	कर पश्चात् लाभ	1821.83
प्रति शेयर आय रू.	184.06	लाभांश दर	370%

V कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों के जातिवाचक नाम (मौद्रिक रूप में)

उत्पाद विवरण अन्य परियोजनाएं : टर्नकी निर्माण

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 2263एन

वाई.के. गुप्ता **भागीदार** **स.सं.16020**	**ललिता गुप्ता** **कंपनी सचिव**	**के.के. गर्ग** **निदेशक/वित**	**मोहन तिवारी** **प्रबन्ध निदेशक**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06 अगस्त 2010

रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए

(मिलियन रूपयों में)

		2009-10		2008-09	
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		2,611.44		1,916.26	
निम्न के लिए समायोजन:					
मूल्यह्रास		409.90		443.64	
निवेश की किश्तों पर छूट		0.16		16.89	
परिसपंत्तियों (निवल) की बिक्री पर हानि/(लाभ)		(4.91)		(5.80)	
ब्याज आय		(415.33)		(428.93)	
प्रावधान - जमा (पश्चलिखित) निवल		799.06		511.37	
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		307.21		(120.86)	
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(1)	**3,707.53**		**2,332.57**	
निम्न के लिए समायोजनः					
व्यापार प्राप्यों/ऋण और अग्रिम में कमी		(1,877.04)		(1,127.50)	
मालसूचियों में वृद्धि		571.61		(2,715.07)	
विविध देनदारों में वृद्धि		482.39		1,969.83	
जेसीई चालू परिसम्पतियों में कमी/(वृद्धि)		74.46		(179.70)	
जेसीई चालू देयताओं में कमी/(वृद्धि)		(25.60)		(10.51)	
	(2)	**(774.18)**		**(2,062.95)**	
प्रचालन से सृजित रोकड़	(1-2)	**2,933.35**		**269.62**	
पूर्व अवधि व असाधारण मदों से पूर्व रोकड़ प्रवाह		**2,933.35**		**269.62**	
विदेशी मुद्रा उच्चावचन आरक्षित निधि		(147.19)		203.70	
पूर्व अवधि व असाधारण मदें		28.65		(39.60)	
निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह	(क)		**2,814.81**		**433.72**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद		(179.48)		(264.02)	
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री		8.98		5.89	
प्राप्त ब्याज		249.70		366.84	
परिपक्कव निवेश (बिक्री पर लाभ सहित)		1,600.84		271.52	
किया गया निवेश (दीर्घकालीन)		(555.39)		(177.70)	
जेसीई स्थिर परिसम्पत्तियों में कमी (वृद्धि)		4.06		14.39	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ख)		**1,128.71**		**216.92**
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
भुगतान किया गया लाभांश (निगमित कर सहित)		(357.83)		(347.41)	
जेसीई ऋण निधि में (कमी)/वृद्धि		19.88		11.80	
वित्तपोषण गतिवधियों से शुद्ध नगदी	(ग)		**(337.95)**		**(335.61)**
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव			**(307.21)**		**120.86**
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(क+ख+ग)		**3,298.36**		**435.89**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	(घ)		**9,838.67**		**9,402.78**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)	(ड.)		**13,137.03**		**9,838.67**
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(ड.-घ)		**3,298.36**		**435.89**

नोट : 1. नगदी तथा नगदी समतुल्यों में कैश-इन-हैंड तथा बैंकों में शेष शामिल हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रोकड़ के आऊटफ्लो को दशार्ते हैं।

3. पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक हुआ पुनः समूहित किए गए हैं।

4. नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) में **शून्य मिलियन रुपए** (50.19) के एफडीआर शामिल हैं।

5. नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) में **722.50 मिलियन रुपए** (13.76 मिलियन रुपए) की मार्जिन मनी शामिल हैं।

हमारी इसी तारीख को संलग्न रिर्पोट के अनुसार

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 2263एन

निदेशक मंडल व निमित्त और उनकी ओर से

वाई.के. गुप्ता
भागीदार
स.सं.16020

ललिता गुप्ता
कंपनी सचिव

के.के. गर्ग
निदेशक/वित

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06 अगस्त 2010

वाही एंड गुप्ता
सनदी लेखाकार
होटल रेक्स बिल्डिंग, 5, नेताजी सुभाष मार्ग,
दरियागंज, नई दिल्ली-110002
टेली : 23269921, 23252597

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न तुलनपत्र और उसके साथ लगे उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इनके अनुबंधों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित अल्जीरिया, मोजांबिक, इथोपिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, कानपुर तथा जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों की परियोजनाओं के लेखे शामिल हैं, जिनकी लेखापरीक्षा विधिवत रूप से नियुक्त सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों ने की है और जिनकी रिपोर्ट पर विचार करते हुए हमने अपनी रिपोर्ट तैयार की है।

   इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कंपनी प्रबन्धन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा लेखापरीक्षित इन वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करने की है।

2. हमने भारत में सामान्यत स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की ये अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि जिससे हमें वित्तीय विवरणों के संबंध में यह तर्कसंगत आश्वासन मिल सके कि वे सूचना के यथार्थ कथनों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वितीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों को समर्थन देने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबन्धन द्वारा उपयोग में लाए गए लेखाकरण नियमों और किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ ही साथ समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करती है।

3. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227(4क) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश,2003 द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम संलग्नक के रूप में दे रहे हैं।

4. इस अनुसूची 'ध' में लेखा नोटों तथा अनुसूची 'क्यू' में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों पर ध्यान आकर्षित करते हैं।
   (क) नोट सं 12(ख): वर्ष 1995 में भारत सरकार के साथ देयों के विपटन के समय तत्कालीन विनिमय दर पर अग्रशेष तथा एएस (11) के अनुरूप दिनांक 31.3.10 के वर्तमान दरों पर मूल्यांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, अन्य चालू परिसम्पतियां 80.86 मिलियन रुपए तक कम, प्रावधान 38.21 मिलियन रुपए तक कम तथा लाभ 42.65 मिलियन रुपए तक कम हो गए हैं।

5 उपयुक्त पैरा 3 में संदर्भित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त तथा पैरा (4) के खण्ड-(क) के मद्देनजर उल्लेखनीय है कि -
   (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।
   (ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बहीखातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा बहीखातों से मेल खाते हैं।
   (घ) हमारी राय में तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा व रोकड़ प्रवाह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) में दिए गए लेखाकरण मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप है सिवाय अन्यथा उल्लेख किया जाए।
   (ड) सरकारी कंपनी होने के नाते भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 829 (ई) तारीख 21.10.2003 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) खंड (छ) के निबंधन कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
   (च) उपर्युक्त पैरा 6 में और उपयुक्त उल्लिखित संलग्नक के अधीन रहते हुए हम सूचित करते हैं कि हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखे महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां (अनुसूची-द) के साथ गठित कम्पनी अधिनियम 1956 में अपेक्षित ढंग से सूचना प्रदान करते हैं और निम्नलिखित के मामले में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूप सही और उचित अवलोकन प्रस्तुत करते हैं:
      1) तुलनपत्र के मामले में 31.3.2010 को कम्पनी के कार्यकलापों की स्थिति,
      2) लाभ-हानि के मामले में उक्त तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ के बारे में, और
      3) नगदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नगदी प्रवाह के बारे में।

कृते वाही एंड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 2263एन

(वाई.के. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता स. 16020

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 06 अगस्त, 2010

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक

उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट

1. (क) कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किया जाने वाला नियमित सत्यापन उचित है। इस प्रकार के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

(ग) वर्ष के दौरान कम्पनी की किसी स्थिर परिसम्पत्ति का पर्याप्त निपटारा नहीं किया गया है जिससे इसकी प्रगतिशील प्रतिदान स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

2. (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन उचित रुप से किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता उचित है।

(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूचियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के बारे में अपनाई गई प्रक्रिया कम्पनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त और समुचित है।

(ग) हमारी राय में इनवेंटरी अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी इनवेंटरी अभिलेखों का उचित रखरखाव कर रही है। प्रत्यक्ष सत्यापन परिणामों की तुलना बही अभिलेखों से करने पर पाई गई विसंगतियां नगण्य हैं तथा इन्हें उचित रुप में लेखा बहियों में समायोजित कर लिया गया है ।

3. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों फर्मों या अन्य पार्टियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए कम्पनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदेश 2003 के पैरा 4 (iii) (ख) से (घ) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती।

4. हमारी राय में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति इनवेंटरी और स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद और माल की बिक्री को देखते हुए पर्याप्त आंरम्भिक नियंत्रण प्रक्रियाएं है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में कोई ऐसी सतत् चूक नहीं पाई गई है जिसे ठीक करने की आवश्कयता है।

5. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा अभिलेखों की जांच के अनुसार कोई ऐसे लेन-देन नहीं है, जिन्हें कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में दर्ज किये जाने की आवश्यकता हो।

6. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है और इसलिए भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा जारी निर्देश और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58-क और 58कक या कोई अन्य संगत प्रावधान तथा उनके अधीन बनाए गए नियम यहाँ लागू नहीं होते हैं।

7. हमारी आय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप कम्पनी में युक्तियुक्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

8. केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत कम्पनी के लिये लागत अभिलेखों के रखरखाव को विहित नहीं किया है ।

9. क) कम्पनी सामान्यतः उपयकुत प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर बिक्रीकर, सम्पदाकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, उपकर को मिलाकर लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियों और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक दये राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। निवेशक, शिक्षा और संरक्षण निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा कम्पनी पर लागू नहीं होती है । हमारे समक्ष प्रस्तुत रिकार्डों के अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए 31.3.2010 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नहीं है ।

ख) 31.3.2010 को कम्पनी के अभिलेखों और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी जांच के अनुसार बिक्रीकर, आयकर, सीमाशुल्क, संपदाकर, उत्पादशुल्क और उपकर के संबध में देय राशियों का विवरण निम्नप्रकार है, जिन्हें विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है।

राशि का प्रकार	राशि (रूपए मिलियन में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय जहां मामला लम्बित है
बिक्री कर	10.61	1988-90	एसीआईटी, दिल्ली
वैट	203.07	2007-09	आयुक्त, वैट, दिल्ली
बिक्री कर	0.81	1982-83, 1987-88 और 1989-90	डीसी (अपील) झांसी
सीमा शुल्क	58.12	1989-90	उपायुक्त (सीमा शुल्क), मुम्बई
बिक्री कर	19.90	1995-96	महाराष्ट्र बिक्रीकर अधिकरण, मुम्बई
बिक्री कर	15.27	1996-97	
बिक्री कर	0.03	1995-96	तमिलनाडु बिक्री कर अपील अधिकरण, चेन्नई
बिक्री कर	0.26	2000-2001	
बिक्री कर	0.31	2001-2001	
बिक्री कर/ वैट	2.31	1998-1999	अपर आयुक्त (वाणिज्यिक कर), सतना
बिक्री कर/ वैट	0.11	1999-2000	अपर आयुक्त (वाणिज्यिक कर), सतना
रायल्टी	0.19	1984-85 और 1985-86	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
बिक्री कर	9.94	2002-03	आयुक्त, बिक्री कर, उड़ीसा
बिक्री कर	0.35	1993-94	उच्च न्यायालय, म.प्र.
बिक्री कर	0.05	1998-99	अपर आयुक्त, (वाणिज्यिक कर) रायपुर व कोरबा
बिक्री कर	8.63	1997-2002	सहायक आयुक्त(बिक्री कर), बेहला
बिक्री कर	7.13	2003-04 और 2004-05	
बिक्री कर	17.5	1987-88 से 1994-95	बिहार, बिक्री कर अधिकरण
बिक्री कर	360.03	2001-02 से 2005-06	उपायुक्त (बिक्री कर) अपील, जम्मू और कश्मीर
बिक्री कर	11.93	2006-07	उपायुक्त (बिक्री कर) अपील, पंजाब
भविष्य निधि	17.54	2003-04 से 2006-07	भविष्य निधि आयुक्त, जम्मू और कश्मीर
बिक्री कर	2.12	1997-98	राजस्व बोर्ड, ग्वालियर
बिक्री कर	114.64	2001-05	उपायुक्त, नोएडा
बिक्री कर	7.32	2009-10	उपायुक्त अपील, अजमेर
कर	83.50	2001-02	विशेष सचिव, खनन विभाग, राजस्थान
यूपी वैट	4.96	2009-10	संयुक्त आयुक्त (अपील) झांसी
प्रवेश कर	0.71	2007-08	
बिक्री कर	14.52	2006-07	
प्रवेश कर	3.41	2006-07	
प्रवेश कर	0.16	2005-06	
प्रवेश कर	0.33	2009-10	उपायुक्त (बिक्री कर) लखनऊ
बिक्री कर	0.14	2005-06	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
बिक्री कर	2.80	2002-03	
बिक्री कर	1.84	2003-04	
बिक्री कर	4.07	2004-05	

10. हमारी लेखापरीक्षा अवधि और तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान कंपनी को कोई हानियां नहीं हुई हैं न ही इस अवधि में किसी प्रकार की संचित हानियां हुई हैं।

11. कम्पनी ऋण मुक्त कम्पनी है, इसलिए वित्त संस्था, बैंक या डिवेंचेर धारकों को बकाया की अदायगी में चूक का प्रश्न ही नहीं है ।

12. हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा रिकोर्डों की जांच के अनुसार कम्पनी नें शेयरों, डिवेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण और अग्रिमों की अदायगी नहीं की है।

13. हमारी राय में कम्पनी चिट फंड या निधि म्युचुअल हितलाभ फंड/सोसाइटी नहीं है । इसलिए कम्पनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट)आदेश 2003 के खंड 4(13) के उपंबध कम्पनी पर लागू नहीं होते।

14. हमारी राय में कम्पनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिवेंचरों और अन्य निवेशों में लेनदेन या व्यापार नहीं करती है। तदनुसार, कम्पनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट, आदेश 2003 की धारा 4 (14) के उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं होते।

15. हमारी राय में बिक्री या वित्तीय संस्थाओं से अन्य पक्षों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कम्पनी ने जिन निबंधनों और शर्तों पर उनकी गांरटी दी है वे कम्पनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

16. कम्पनी ऋण मुक्त कम्पनी है, इसलिए आवधिक ऋण जिस प्रयोजन के लिए लिया गया था उसका उपयोग कम्पनी ने किया है उसका प्रश्न नहीं उठता।

17. चूंकि कम्पनी ऋण मुक्त कम्पनी है, इसलिए अल्पकालीन निधियों का प्रयोग दीर्धकालीन निवेशों तथा निदान के लिये किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

18. हमे दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने अधिनियम की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध पक्षों और कम्पनियों को शेयरों का अधिमानी आबंटन नहीं किया है।

19. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने कोई डिवेंचर जारी नहीं किया है।

20. वर्ष के दौरान कम्पनी ने पब्लिक इश्यू के जरिए पैसे की उगाही नहीं की है।

21. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी पर या उसके द्वारा किया गया कपट न देखा गया न ही सूचित किया गया है।

कृते वाही एंड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 2263एन

(वाई.के. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 16020

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 06 अगस्त, 2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखों पर कम्पनी अधिनियम के खंड 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक वं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउन्टेट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के अधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 6 अगस्त, 2010 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इनटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों का कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 619 (3) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है। मेरे लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ विशिष्ट नहीं आया है जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखपरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न उठाता हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

एम. के. बिश्वास
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक
और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 7 सितम्बर, 2010

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसरण में सहायक कंपनी (इरकॉन आईएसएल) की वार्षिक रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

इरकॉन आईएसएल के गणमान्य शेयरधारकों,

आपकी कंपनी के निदेशकों को वित्त वर्ष 2009-10 (30.09.2009 से 31.03.2010 की अवधि) के लिए कंपनी की गतिविधियों पर अपनी प्रथम रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है।

आपकी कंपनी का गठन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रुप में 30 सितम्बर, 2009 को 'इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड' (इरकॉन आईएसएल) के नाम से किया गया है। आपकी कंपनी का मुख्य उद्देश्य अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करना; निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (बीओटी), निर्माण-स्वामित्व-प्रचालन-हस्तांतरण (बोओओटी), निर्माण-पट्टा-हस्तांतरण (बीएलटी), आदि पर अवसंरचना निर्माण कार्य करना या अन्यथा या कोई अन्य योजना या अवसंरचनात्मक परियोजनाओं तथा अन्य अनुषंगी क्षेत्रों में निर्माण कार्य; भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं के लिए सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहु-उद्देशीय परिसरों आदि के अवसंरचना के नियोजन, अभिकल्पन तथा विकास का कार्य; रियल इस्टेट तथा संबद्ध क्षेत्र के सभी कार्य करना है। इसमें ग्राहकों को परियोजना प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संबंधी परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है।

आपकी कंपनी, इरकॉन आईएसएल ने 10 नवम्बर, 2009 को व्यवसाय प्रारंभ प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। रेल मंत्रालय ने इस शर्त पर संगम अनुच्छेद की धारा 52 (ii) के अनुसार 18 जनवरी, 2010 को कंपनी को राष्ट्रपति की स्वीकृत से सूचित किया है कि भारतीय रेल की संतुष्टि के स्तर पर परियोजनाओं की मॉनीटरिंग, समीक्षा, निष्पादन तथा समय से पूरा करने का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व इरकॉन का होगा। भारतीय रेल इस परियोजना को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराएगी।

पूर्व में, इरकॉन तथा आरएलडीए (रेल भूमि विकास प्राधिकरण, जो रेल मंत्रालय द्वारा सौंपे गए चिह्नित अतिरिक्त रेलवे भूमि तथा एयर स्पेस के वाणिज्यिक विकास में कार्यरत है) के मध्य 21.08.2009 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये थे जिसमें रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित रेल प्रणाली के चिह्नित स्टेशन परिसरों पर/आसपास के क्षेत्रों में बहुउद्देशीय परिसरों के विकास, प्रचालन, तथा अनुरक्षण के लिए आरएलडीए तथा इरकॉन के उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। यह समझौता ज्ञापन 15वें रेल बजट (2009-10) के प्रावधानों के अनुसरण में है और इसमें भारत में महत्वपूर्ण औद्योगिक पर्यटक तथा धार्मिक स्थलों सहित 50 स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों के विकास का प्रस्ताव है। बहुउद्देशीय परिसरों के विकास का उद्देश्य रेलवे यात्रियों के लाभ के लिए सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इन परिसरों में दुकानें, फूड स्टॉल, रेस्तराँ, बुक स्टाल, पीसीओ/एसटीडी/आईएसडी/फैक्स बूथ, चिकित्सा तथा वैरायटी स्टोर, बजट होटल, अंडर ग्राउंड पार्किंग आदि शामिल हैं।

इरकॉन तथा आरएलडीए को दो चरणों में 24 स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों के विकास का कार्य सौंपा गया है और प्रत्येक चरण में 12 स्टेशनों पर कार्य किया जाएगा। स्टेशनों का चरणवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

चरण-I में

एल्लेप्पी, बर्धवान, दीघा, हरिद्वार, इंदौर, जम्मू तवी, रामपुरहाट, रायपुर, सिलीगुड़ी, मदुरै, मैसूर तथा उदयपुर;

चरण-II में

इलाहाबाद, बिलासपुर, ग्वालियर, हैदराबाद, हुबली, जबलपुर, जोधपुर, कानपुर, खजुराहो, राजगीर, तारापीठ तथा तिरुवल्ला।

आपकी कंपनी द्वारा बहुउद्देशीय परिसरों के निर्माण कार्य के निष्पादन/निर्माण के लिए 03 जून, 2010 को इरकॉन (धारक कंपनी) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

कार्य निष्पादन विशेषताएं

वर्ष 2009-10 (30.09.2009 से 31.03.2010) के दौरान आपकी कंपनी ने देश भर में फैले 24 स्थलों पर 45 वर्षों के लिए आरएलडीए से पट्टा भूमि पर बहुउद्देशीय परिसरों के विकास तथा उनके प्रचालन व अनुरक्षण का कार्य प्राप्त किया है। इन 24 परियोजनाओं के विकास की लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है। इन बहुउद्देशीय परिसरों के निर्माण का कार्य इरकॉन को सौंपा गया है।

चार स्टेशनों यथा मैसूर, मदुरै, सिलीगुड़ी तथा दीघा का कार्य 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान आरंभ हो गया है। अन्य 14 स्टेशनों यथा एल्लेप्पी, बर्धवान, हरिद्वारा, रामपुरहाट, रायपुर, उदयपुर, इलाहाबाद, गुवाहाटी, हुबली, जबलपुर, जोधपुर, कन्नूर, तारापीठ तथा तिरुवल्ला का कार्य भी 31 मार्च, 2010 के पश्चात आरंभ हो गया है। शेष छह स्टेशनों के निर्माण का कार्य इरकॉन द्वारा आगे आरंभ किया जाएगा।

वित्तीय विशेषताएं

30.09.2009 से 31.03.2010 (छह महीने और एक दिन) की अवधि के लिए कंपनी की वित्तीय निष्पादन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतक निम्नानुसार हैं:

वित्तीय कार्यनिष्पादन संकेतक

(रूपयों में)

क्रम सं0	विवरण	2009-10
1	प्राधिकृत शेयर पूंजी	10,00,00,000
2	अंशदायी शेयर पूंजी	40,00,000
3	पूंजी प्रगतिरत कार्य	77,55,901
4	कुल आय/सकल बिक्री	शून्य
5	कुल प्रचालनिक आय	शून्य
6	कर पूर्व लाभ	(1,59,312)
7	सकल मार्जिन	शून्य
8	निवल संपत्ति	38,40,688
9	प्रति शेयर आय	(0.40)

लाभांश

आपकी कंपनी व्यवसाय के प्रारंभिक स्तर पर है, और उसने कोई लाभ अर्जित नहीं किया है। इसलिए, इस समय कंपनी द्वारा किसी लाभांश की घोषणा नहीं की जा सकती है।

प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन, ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास आदि

इरकॉन आईएसएल ने ऊर्जा संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी निर्माणाधीन बहुउद्देशीय परिसरों में ग्रीन बिल्डिंग के व्यवहारिक तत्वों को शामिल करने के लिए इरकॉन से कहा है।

चूंकि कंपनी एक नई कंपनी है और केवल भारत में प्रचालन कर रही है इसलिए, अभी अनुसंधान एवं विकास तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का प्रश्न नहीं उठता।

कार्मिक

31 मार्च, 2010 को कंपनी के कुल श्रमशक्ति संख्या दो थी जिसमें मुख्य प्रचालन अधिकारी (सीओओ) तथा मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) शामिल थे।

31 मार्च, 2010 के पश्चात कुल श्रमशक्ति संख्या 4 (चार) है जिसमें दो महिला कर्मचारी भी हैं।

कार्मिक विकास से संबंधित मुद्दों पर इरकॉन द्वारा धारक कंपनी के रुप में कार्रवाई की जा रही है क्योंकि कंपनी में सभी कर्मचारी इरकॉन से ही हैं।

अनुपालन

राष्ट्रपति के निर्देश

वर्ष के दौरान राष्ट्रपति का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-217 (2क) के अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान किसी भी कर्मचारी ने प्रति वर्ष 24 लाख या अधिक या प्रति माह 2 लाख या अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

इरकॉन आईएसएल ने IrconISL.com नामक एक पृथक ई-मेल डोमेन बनाया है तथा इस ई-मेल आईडी में पत्राचार आरंभ हो गया है।

इरकॉन आईएसएल की वेबसाईट लिंक को इरकॉन की वेबसाईट में डाला गया है। इरकॉन आईएसएल की वेबसाईट निर्माणाधीन है।

निगमित शासन

निगमित शासन के सिद्धांतों तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा 14 मई, 2010 को जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर दिशा-निर्देशों में समाविष्ट उपायों से कार्यान्वयन का कार्य आरंभ कर दिया है जिन्हें वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाएगा।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:-

1. वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो ।
2. ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति तथा 30.09.2009 से 31.03.2010 तक की उक्त अवधि के लिए कंपनी की हानि का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके ।
3. जैसा कि वार्षिक लेखा में घोषित है, परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रख-रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।
4. वार्षिक लेखा-सुनाम-प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया गया है ।

अनुपालन प्रमाण पत्र

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-383क की उपधारा (1) के प्रावधान द्वारा अपेक्षित कंपनी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार विभिन्न आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में प्रैक्टिसकर्ता कंपनी सचिव से अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है और यह प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट में अनुबंध के रुप में प्रस्तुत है।

निदेशक मंडल

अक्तूबर, 2009 से मार्च, 2010 के दौरान निदेशक मंडल की दो बैठकें आयोजित की गईं जिसमें एक बैठक दिसम्बर, 2009 को समाप्त तिमाही में तथा एक बैठक मार्च, 2010 को समाप्त तिमाही में आयोजित की गई।

31 मार्च, 2010 को निम्नलिखित निदेशक अपने पद से कार्यमुक्त हुए :

1	श्री राजीव चंद्रा, निदेशक	इरकॉन (धारक कंपनी) के श्री दीपक सभलोक की नियुक्ति के कारण निदेशक के पद से कार्यमुक्त हुए। 30.09.2009 से 30.04.2010 तक पद पर रहे।

आज की तारीख को पदधारित अधिकारी हैं :

1	श्री मोहन तिवारी, निदेशक	कंपनी के गठन से (30.09.2009 से)
2	श्री मदन लाल, निदेशक	कंपनी के गठन से (30.09.2009 से)
3	श्री के.के. गर्ग, निदेशक	06.04.2010 से आगे
4	श्री दीपक सभलोक, निदेशक	30.04.2010 से आगे

लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखरीक्षक वर्ष 2009-10 (30.09.2009 से 31.03.2010 तक छह महीने और एक दिन के लिए) के लिए कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा हेतु रोहतास एंड हंस, सनदी लेखाकारों को सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति किया गया था।

इस रिपोर्ट में कोई आरक्षण या योग्यता नहीं है।

आभारोक्ति

हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, आपकी धारक कंपनी तथा रेल मंत्रालय, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), तथा अन्य मंत्रालयों का कंपनी को उनके सहयोग के लिए तथा कर्मचारियों को भी कंपनी को प्रगति की ओर अग्रसर ले जाने के लिए प्रशंसा करते हैं एवं धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

मोहन तिवारी
निदेशक

मदन लाल
निदेशक

नई दिल्ली
दिनांक : 29.07. 2010

इरकॉन

अनुबंध

एम. बांगिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

टेली : 91-11-4162 5462
टेली फैक्स : 91-11-2644 9882
मोबाइल : 98102-26246
ई-मेल : m_bangia@hotmail.com
बी-152, दयानन्द कालोनी,
लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110 024

फार्म
(नियम 3 देखें)
अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में
सदस्य,
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड,
प्लॉट सं0-सी-4, डिस्टिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली - 110 017

हमने इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (सीआईएन : यू 45400डीएल2009जीओआई194792; गठन की स्थिति; 30.09.2009; रेल मंत्रालय के अधीन एक सरकारी कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की एक 100% सहायक कंपनी) के रजिस्टरों, रिकॉर्डों, बहियों तथा दस्तावेजों की जांच की है, जिनका कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों, और 31 मार्च, 2010 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के समझौता ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेदों के प्रावधानों के अंतर्गत अनुरक्षण आवश्यक है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार तथा कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि छह महीने और एक दिन (30.09.2009 से 31.03.2010) की अवधि के उपर्युक्त वित्त वर्ष के संबंध में :

1. कंपनी ने अधिनियम तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण पत्र के अनुबंध-क में उल्लिखित अनुसार सभी रजिस्टरों को बनाया है व विधिवत रुप से अनुरक्षित रखा है और इसमें सभी प्रविष्टियों को विधिवत रुप से रिकार्ड किया गया है।
2. कंपनी ने अधिनियम तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष इस प्रमाण पत्र के अनुबंध-ख में उल्लिखित अनुसार फार्म तथा रिटर्न विधिवत रुप से भरे हैं।
3. 31 मार्च, 2010 को कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 40 लाख रुपए है जो अधिनियम की धारा-3 के अनुसार एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के लिए 5 लाख रुपए के न्यूनतम अपेक्षित प्रदत्त शेयर पूंजी के अनुपालन के अंतर्गत है।
4. निदेशक मंडल की बैठक विधिवत रुप से दो बार यथा 23.10.2009 तथा 27.01.2010 को हुई जिसके संबंध में उचित नोटिस दिया गया था। इसकी प्रक्रियाओं को रिकार्ड किया गया था और कार्यसूची बही में इसे हस्ताक्षरित किया गया।
5. कंपनी के लिए 31.03.2010 को समाप्त अवधि के दौरान सदस्यों के लिए अपने रजिस्टर बंद करना आवश्यक नहीं था।
6. यह कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक है।
7. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई असाधारण आम बैठक नहीं हुई है।
8. वर्णित अनुसार तथा हमारे समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 295 में संदर्भित अनुसार व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों को कोई ऋण प्रदान नहीं किया है।
9. वर्णित अनुसार तथा हमारे समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 297 के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी संविदा में प्रवेश नहीं किया है।
10. अधिनियम की धारा 301 के विरुद्ध कोई संविदा/व्यवस्था नहीं की गई है।
11. हमारे विचार से तथा जांच के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जहां कहीं लागू हुआ, निदेशक मंडल तथा सदस्यों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की है।
12. कंपनी ने 31.03.2010 को समाप्त अवधि के दौरान कोई डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है।
13. (क) 31.03.2010 को समाप्त अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए :
    (i) 400000 इक्विटी शेयरों का आवंटन किया गया था। इस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों के हस्तांतरण/प्रसारण का कोई मामला समीक्षाधीन नहीं है।
    (ii) कंपनी ने अधिनियम की धारा 217 की आवश्यकताओं का विधिवत रुप से अनुपालन किया है।

    (ख) निम्नलिखित लागू नहीं थे;
    (i) इस अवधि के दौरान कंपनी के लिए वारंट पोस्ट करना अपेक्षित नहीं था।

(ii) अप्रदत्त लाभांश खाते में राशि धन वापसी के लिए देय आवेदन राशि, परिपक्व डिपॉजिट, परिपक्व डिबेंचर तथा उन पर ब्याज, जो अदावित या अप्रदत्त हैं को निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह लागू नहीं है।

(iii) कंपनी ने इस अवधि के दौरान लाभांश के लिए एक पृथक बैंक खाते में किसी राशि को जमा नहीं कराया है क्योंकि ऐसा करना अपेक्षित नहीं था।

14. कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत रुप से गठन हो गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के निदेशकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

15. कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रबंध निदेशक/पूर्णकालीन निदेशक/प्रबंधक की नियुक्ति नहीं की है।

16. कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी एकाधिकृत-बिक्री एजेंट की नियुक्ति नहीं की है।

17. जांच के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार तथा उनसे संबंधित स्पष्टीकरणों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र सरकार, कंपनी कानून बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशक, रजिस्ट्रारों तथा/या ऐसे अन्य प्राधिकारियों जिन्हें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, से कोई स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

18. निदेशकों ने अधिनियम तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक मंडल के समक्ष अन्य फर्मों/कंपनियों में अपने हितों का प्रकटन किया है।

19. कंपनी ने 400000 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान और कोई डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां जारी नहीं की गई हैं।

20. कंपनी ने 31 मार्च, 2010 को समाप्त अवधि के दौरान कोई शेयर वापस नहीं लिए है।

21. समीक्षाधीन अवधि के दौरान वरीयता शेयरों/डिबेंचरों का कोई रिडैम्पशन नहीं हुआ है।

22. कोई ऐसा समव्यवहार नहीं किया गया था जिसके कारण कंपनी के लिए लाभांश, अधिकार शेयरों; बोनस शेयरों के अंतरण के लंबित पंजीकरण के अधिकार को स्थगित रखना आवश्यक है।

23. कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अनुच्छेद-58क के अंतर्गत आने वाले किसी असंचित ऋणों सहित किसी डिपॉजिट को आमंत्रित/स्वीकार नहीं किया है।

24. हमारे समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों तथा उन पर दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।

25. हमारे विचार से और जांच के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों व उन पर दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार अपने सामान्य व्यवसाय के लिए अपने ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रुप में दी गई राशि के अलावा किसी अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण या अग्रिम या कोई गारंटी नहीं दी है या कोई प्रतिभूति उपलब्ध नहीं कराई है और इसके परिणामस्वरुप, धारा-372क के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए रखे गये रजिस्टर में कोई प्रविष्ट नहीं की गई है।

26. कंपनी को कंपनी के पंजीकरण कार्यालय की स्थिति के संबंध में संगम अनुच्छेद के प्रावधानों में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि संवीक्षाधीन अवधि के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन नहीं किया गया है।

27. कंपनी ने संवीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के उद्देश्यों के संबंध में संगम अनुच्छेद के प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

28. कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के नाम के संबंध में संगम अनुच्छेद के प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

29. कंपनी ने प्राधिकृत शेयर पूंजी के संबंध में संगम अनुच्छेद के प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

30. कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान संगम अनुच्छेद में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

31. कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार कंपनी पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए इस अवधि के दौरान कंपनी के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं किया गया है या कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है और कंपनी पर कोई दंड या जुर्माना या कोई अन्य सजा नहीं दी गई है।

32. कंपनी ने अपनी सेवा के अनुसरण में इस अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों से सिक्योरिटी के रुप में कोई राशि प्राप्त नहीं की है।

33. हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमें उपलब्ध कराए गए कंपनी के रिकार्डों तथा हमारे द्वारा उनकी जांच के अनुसार, कंपनी पर भविष्य निधि अधिनियम लागू नहीं है क्योंकि इनके कर्मचारी इनकी धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के नामिति/सेकेंडमेंट आधार पर हैं तथा उक्त धारक कंपनी के पे-रोल में है। वर्ष 2009-10 के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों के लेखा नोटों के अनुसार नामिति/सेकेंडमेंट आधार पर कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान धारक कंपनी द्वारा अपने भविष्य निधि ट्रस्ट में नियमित रुप से जमा कराया जा रहा है।

कृते एम. बांगिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

मनोज बांगिया
प्रोपराईटर
सीपी सं0-3655

दिनांक 29 जुलाई, 2010 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित

अनुबंध-क

कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कंपनी द्वारा यथाअपेक्षित तथा कार्यात्मकता और सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित रजिस्टर अनुरक्षित रखती है।

1. शेयरों के आवंटन का रजिस्टर।
2. अधिनियम की धारा-303 के अंतर्गत निदेशकों, प्रबंध निदेशकों, प्रबंधक तथा सचिवों का रजिस्टर।
3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-150 के अंतर्गत सदस्यों का रजिस्टर।
4. अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अनुसार सामान्य सील का रजिस्टर।
5. अधिनियम की धारा-307 के अंतर्गत निदेशक की शेयरधारिता का रजिस्टर।
6. अधिनियम की धारा-299 के अंतर्गत निदेशकों द्वारा हित के प्रकटन का रजिस्टर।
7. कंपनी अधिनियम की धारा-193 के अंतर्गत बोर्ड बैठकों की कार्यवृत्त बही।
8. सामान्य बैठकों की कार्यवृत्त बही।
9. अधिनियम की धारा-301 के अंतर्गत ठेकों के विवरण का रजिस्टर जिसमें निदेशक रुचिकर हैं।

अनुबंध-ख

31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कंपनियों के रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्र सरकार या अन्य प्राधिकारियों के समक्ष कंपनी द्वारा फाईल किए गए फॉर्म तथा रिटर्न।

फॉर्म सं0/रिटर्न	उद्देश्य	एसआरएन/फाईल करने की तारीख	क्या निर्धारित समय के भीतर फाईल किया गया-हां/नहीं	यदि विलंब से फाईल किया गया तो क्या अपेक्षित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया गया - हां/नहीं
फॉर्म-18, फॉर्म-1, एमओए, एओए, फॉर्म -32	कंपनी का गठन	ए69920379/25.09.2009	हां	नहीं
फॉर्म-20, फॉर्म-अनुसूची-3	अधिनियम की धारा-149(2(ग) के अंतर्गत प्रोस्पेक्टस संबंधी विवरण	ए71582746/28.10.2009	हां	नहीं

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

तुलन पत्र

31 मार्च 2010 को

(रूपए में)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च 2010 को	
निधियों का स्रोत			
शेयरधारकों की निधियां:			
शेयर पूंजी	क	**4,000,000**	
आरक्षित निधियां और अधिशेष	ख	**(159,312)**	**3,840,688**
कुल			**3,840,688**
निधियों का उपयोग			
स्थिर परिसंपत्तियां:			
पूंजीगत चालू कार्य	ग व ट	**7,755,901**	**7,755,901**
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम:			
रोकड़ और बैंक शेष	घ	**3,192,930**	
ऋण एवं अग्रिम	ड.	**7,500**	
अन्य चालू परिसंपतियां	च	**4,795**	
		3,205,225	
घटाएं - चालू देयताएं प्रावधान :			
देयताएं	ड	**7,712,854**	
प्रावधान	ढ	**44,832**	
		7,757,686	
निवल चालू परिसंपत्तियां			**(4,552,461)**
विविध व्यय (बट्टा खाता न डाले जाने के स्तर तक)	झ	**637,248**	
			637,248
कुल			**3,840,688**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	त		
लेखाओं पर टिप्पणियां	थ		
अनुसूची 'क' से 'थ' लेखाओं के अंग हैं ।			

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते रोहतास एंड हंस
सनदी लेखाकार
एफआरएन 04372एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

हंस कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं 082912

के.एम.सक्सेना	**पराग वर्मा**	**मदन लाल**	**मोहन तिवारी**
सीएफओ	**सीओओ**	**निदेशक**	**प्रबंध निदेशक**

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.07.2010

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

लाभ और हानि लेखा

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(रूपए में)

विवरण	अनुसूची	2009-10
आय :		-
कुल आय		-
व्यय :		
बट्टा खाता-प्रारंभिक व्यय	झ	159,312
कुल व्यय		159,312
वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ		(159,312)
कर के लिए प्रावधान		-
कर पश्चात् लाभ		(159,312)
सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित शेष		(159,312)
आमदनियां प्रति शेयर-आधार (रूपए में)		(0.40)

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते रोहतास एंड हंस
सनदी लेखाकार
एफआरएन 04372एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

हंस कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं 082912

के.एम.सक्सेना	**पराग वर्मा**	**मदन लाल**	**मोहन तिवारी**
सीएफओ	**सीओओ**	**निदेशक**	**प्रबंध निदेशक**

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.07.2010

अनुसूची 'क'

शेयर पूंजी

(रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2010 को
प्राधिकृत 10,000,000 **इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु.**	100,000,000
निगमित, अभिदत्त और प्रदत्त 4,00,000 **इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु.पूर्णत प्रदत्त**	**4,000,000**
कुल	**4,000,000**

अनुसूची 'ख'

आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2010 को
लाभ और हानि लेखा	(159,312)	
(वर्ष के दौरान जोड़)		(159,312)
कुल		**(159,312)**

अनुसूची 'ग'

पूंजीगत चालू कार्य*

(रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2010 को
वर्ष के दौरान जमा:(1)	7,755,901
कुल	**7,755,901**

प्रगतिरत पूंजीगत कार्य का विवरण

(रूपए में)

बहुउद्देशीय परिसर - दीघा परियोजना	**2,191,943**
बहुउद्देशीय परिसर - सिलीगुड़ी परियोजना	**1,194,838**
आबंटन के लिए लंबित सभी एमएनसी हेतु समान व्यय	**4,369,120**
कुल	**7,755,901**

(1) अनुसूची ट पर विवरण

अनुसूची 'घ'

रोकड़ और बैंक शेष

(रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2010 को
अनुसूचित बैंको में शेष		
चालू खातों में	**692,930**	
फ्लैक्सी खातों में (1) और (2)	**2,500,000**	
		3,192,930
कुल		**3,192,930**

(1) शून्य रुपए के इएमडी के प्रति ठेकदारों से प्राप्त एफडीआर।

(2) शून्य रुपए के एफडीआर सहित।

अनुसूची 'ड.'

ऋण और अग्रिम

(रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2010 को
अग्रिम :		
ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता तथा अन्य	7,500	
		7,500
कुल		**7,500**
सुरक्षित वसूली योग्य		-
असुरक्षित वसूली योग्य		7,500
असुरक्षित वसूली योग्य		-
घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान		7,500
कुल		**7,500**

निदेशकों से देय राशि का विवरण :

चालू वर्ष	
वर्ष के अंत में शेष	**वर्ष के दौरान अधिकतम शेष**
शून्य	शून्य

अनुसूची 'च'

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

(रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2010 को
निम्न पर प्रोदभूत ब्याज:		
अनुसूची बैंकों में जमा	4,795	
		4,795
कुल		**4,795**

अनुसूची 'छ'

वर्तमान देयताएँ

(रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2010 को
विविध लेनदार		
इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड को देय राशि	7,519,412	
लघु उद्योग/उपक्रम	-	
अन्य *	-	
बकाया देयताएं	45,280	
अन्य देयताएं	148,162	
		7,712,854
कुल		**7,712,854**

*इसमें शून्य रुपए का खाता ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

टिप्पणी : लघु व मध्यम उपक्रमों को तीस दिन से अधिक दिनों के लिए कोई राशि देय नहीं है।

अनुसूची 'ज'

प्रावधान :

(रूपए में)

विवरण	वर्ष 2009-10 के दौरान			31.3.2010 को
	योग	पश्चलिखित	उपयोग	अंत शेष
प्रावधान :				
उपदान	13,670.00	-	-	**13,670.00**
छुट्टी वेतन	31,162.00	-	-	**31,162.00**
कुल	**44,832.00**	**-**	**-**	**44,832.00**

अनुसूची 'थ'

विविध व्यय (बट्टा खाता न डाले जाने के स्तर तक)

(रूपए में)

विवरण		31 मार्च 2010 को
वर्ष के दौरान किया गया व्यय	**796,560**	
घटाः-बट्टा खाता - प्राथमिक व्यय(1/5)	**159,312**	
		637,248
निवल राशि		**637,248**

प्राथमिक व्यय को 5 वर्ष में बट्टा खाता डाला जाएगा.

इरकॉन

अनुसूची "J"

निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय

(रूपए में)

विवरण	2009-10
1 **व्यय :**	
कार्य व्यय	7,225,571
	-
कार्य व्यय का योग	7,225,571
2 **प्रगतिरत कार्य में कमी (वृद्धि)**	-
3 **कर्मचारियों का पारिश्रमिक और हितलाभ :**	
मजदूरी, बोनस, भते व लाभ	397,970
भविष्य व अन्य निधियों में अंशदान	34,918
सेवानिवृति लाभ	44,832
कर्मचारी पारिश्रमिक और हितलाभ का जोड़	477,720
4 **अन्य व्यय :**	
ट्रेडमार्क पंजीकरण शुल्क	2,500
दर एवं कर	154
विधि एवं व्यावसायिक प्रभार	11,030
बैंक और अन्य वित प्रभाव	356
निदेशक बैठक शुल्क	-
चंदा	-
लेखापरीक्षकों की फीस (1)	37,500
विवित व्यय	5,865
	57,405
घटा: निर्माण अवधि के दौरान ब्याज आय	4,795
कुल	52,610
कुल	7,755,901

*अनुसूची ग में विवरण दिया गया है

(रूपए में)

(1) **सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी:**	2009-10
(i) लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	25,000
(ii) कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	7,500
(iii) प्रमाणीकरण फीस	-
(iv) यात्रा और आउट ऑफ पॉकेट व्यय :	
- स्थानीय	5,000
- विदेशी	-
कुल	37,500

अनुसूची 'ठ'

2009-10 के लेखों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. **तैयार करने के आधार**

क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर प्रोद्भवन आधार पर तथा निरन्तर तथा वस्तुता के आधारभूत लेखाकरण सिद्धान्तों की तर्ज पर तैयार किए जाते हैं।

ख) वित्तीय विवरण भारतीय रूपए में दर्शाए जाते हैं।

2. **अनुपालन विवरण**

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण नियमों तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

3. **विदेशी मुद्रा सौदे**

क) <u>देश के भीतर सौदे :</u>

देश के भीतर मुद्रा सौदों का रूपान्तरण निम्न रीति से किया जाता है:

1) समस्त विदेशी मुद्रा सौदों का भारतीय मुद्रा रूपांतरण सौदे की तारीख पर प्रचलित तार अंतरण (टीटी) क्रय दर पर किया जाता है।

2) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपतियों के मूल्य परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

3) मौद्रिक मदों और आकस्मिक देयताओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य के परिवर्तन प्रचलित बंद तार अंतरण क्रय दर पर किया जाता है।

4) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर अंतरण मूल्य दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

ख) <u>एकीकृत विदेशी प्रचालनों में संव्यवहार</u>

विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता है:

1) राजस्व मदों को भारतीय मुद्रा में प्रारम्भिक और अंतिम तार अंतरण क्रय दर की मासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।

2) मालसूचियों को प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को तार क्रय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

3) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों का मूल्य परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

4) मुद्रित मदें तथा आकस्मिक देयताएं अंतिम क्रय का उपयागे करके परिवतिर्त की जाती हैं।

5) स्थिर परिसम्पत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर क्रय का उपयोगी करके परिवतिर्त किया जाता है।

ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर रूपान्तरणों के परिणामस्वरूप निवल विनिमय अंतरों को वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में लिया गया है।

घ) <u>गैर एकीकृत विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार</u>

गैर-एकीकृत विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया जाता हैं :

1) परिसम्पत्तियों तथा दायित्व, मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों को अंतिम तार अंतरण क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।

2) आय और व्यय मदों को आरंभिक व अंतिम तार अंतरण क्रय दर के मासिक औसत पर रूपांतरित किया जाता है।

3) सभी परिणामी विनियम अंतर को शुद्ध निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि में एकत्र किया जाता है तथा इसे उसी अवधि में आय या व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें निपटान पर लाभ या हानि को पहुंचाया गया है।

4. **स्थिर परिसम्पत्तियाँ**

क) स्थिर परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

ख) मशीनरी स्पेयर्स जो केवल स्थिर परिसंपत्तियों के मद के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग अधिनियमित होने की प्रत्याक्षी है, उन्हें पूंजीगत किया जाता है।

ग) वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख तक किए गए निर्माण अवधि के दौरान प्रासांगिक व्यय को पूंजीगत किया जाता है।

5. निवेश

क. दीर्घकालिक निवेशों का मूल्यांकन लागत पर मूल्य में स्थायी गिरावट के लिए प्रावधान को घटाकर किया जाता है।

ख. चालू निवेशों को लागत पर या उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, आंका जाता है।

6. मालसूचियाँ

क) **प्रगतिरत निर्माण कार्य**

i) प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) **अन्य**

ii) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं है उन्हें नीचे (iv) के अनुसार दर सूची मूल्य के रुप में दर्शाया गया है।

iii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के संबंध में, पूंजीकृत को छोड़कर सभी सामग्रियों के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रभारित किया जाता है।

iv) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

v) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

7. रोकड़ एवं रोकड़ समान

तुलन पत्र में रोकड़ एंव बैंक शेष में बैंक में नकद, उपलब्ध मांग जमा शामिल होते हैं।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

8. प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

i) लागत और नियत लाभ ठेकों के मामलों में अनुरक्षण करने की आवश्यकता है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में खराबी/सुधार के लिए कम्पनी का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान मे रखा जाता है।

iii) अनुरक्षण अवधि के पश्चात् डिजाइन गांरटियों के लिए प्रत्येक ऐसे ठेके के लिए 10 लाख रूपए का सांकेतिक (टोकन) प्रावधान रखा जाता है।

ख) **विनियोजन के लिए प्रावधान**

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) **संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों के लिए प्रावधान**

संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है, जब देयों की अवधि को ध्यान में रखे बिना इनकी वसूली अनिश्चित हो। तीन वर्षो से अधिक अवधि के बकायों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है बशर्ते यह राशि वसूलनीय समझी जाय। ऋणों/अग्रिमों को बट्टे खाते डाल दिया जाता है, जब उनकी अनिश्चितता स्थापित हो जाए।

घ) **अन्य**

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

1) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में कम्पनी का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

2) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और

3) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है।

प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

9. **संविदा राजस्व का लेखांकन**

"संविदा राजस्व" का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है:

(क) लागत और नियत लाभ ठेकों की प्राप्तियों का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदें और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।

(ख) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्वति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है । पूर्ण पद्वति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रूप में किया जाता है ।

इस अवधि में किसी भी हानि के लिए पूर्ण प्रावधान होता है ।

प्राप्तियों की बिक्रीकर आदि, जैसे लागू हो, सम्मिलित है।

10. **संयुक्त उद्यम के अधीन निष्पादित ठेके :**

<u>संयुक्त उद्यम के अधीन निषादित ठेके :</u>

1. संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों में ठेकों का स्वतंत्र ठेके के रूप में लेखाकरण किया जाता है।
2. संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के द्वारा निषादित ठेकों के मामलों में संयुक्त उद्यम में हुए लाभ/हानि को उनके निर्धारण के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

11. **पट्टे**

1. प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों की पट्टा अदायगी अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि लेखा विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।
2. प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पट्टा आय को पट्टा अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।

12. **निर्णीत हर्जाना और वृद्धि**

1) वास्तविक रूप से प्रदत्त/वसूले गये निर्णीत हर्जाने को संविदा राजस्व/संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाएगा । संविदागत बाध्यता से उत्पन्न निर्णीत हर्जाने लेकिन वार्ता अधीन और अदा करने योग्य नहीं है और ग्राहक से वसूला नहीं गया, को प्रासंगिक देयता के रूप में माना जाता है।

2) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

13. **अनुसंधान और विकास व्यय**

अनुसंधान और विकास व्यय आय को प्रभारित किए जाते हैं।

14. **संसाधनों को जुटाने पर व्यय**

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रूप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा ।

15. **मूल्यह्रास**

i) भारत में स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी लाइन विधि (एसएलएम) से कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XVi में विहित रीति और विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है सिवाय निम्न मामलों में जिनके लिए उपर्युक्त अनुसूची में विहित दरों से अधिक दरें प्रदान की गई हैं:-

क.	सामान्य निर्माण उपस्कर	19.00%
ख.	कार्यालय उपस्कर	19.00%
ग.	यूपीएस और इनवर्टर सहित कम्प्यूटर	31.67%
घ.	वाहन (भारी वाहनों सहित)	23.75%
ड.	फर्नीचर और जुड़नार	23.75%
च.	स्पीड बोट्स	19.00%

ii) विदेशों में स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक काल परियोजना की अवधि आदि को ध्यान में रखकर सीधी लाइन विधि पर किया गया है। तथापि मूल्यह्रास की अपनाई गई दर भारत मे स्थिर परिसम्पतियों के लिए अनुसूची xiv में विनिर्दिष्ट दर से कम नहीं है(जैसा कि उपर्युक्त पैरा 15(i)मे बताया गया है)। परियोजना के बंद होने पर परिसम्पत्तियां वास्तविक मूल्य के 5% तक कम हो जाती है तथा शेष को वर्ष की समाप्ति में प्रभारित और/या अन्य परियोजना/संयंत्र मशीनरी विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

iii) 25 लाख रूपए से अधिक प्रत्येक साफ्टवेयर लागत को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा करके साफ्टवेयर को सफलतापूर्वक शुरू करने की तारीख से सीधी लाइन विधि आधार पर 36 माह की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

iv) पट्टे की भूमि के संबंध में मूल्यह्रास पट्टे की अवधि के अनुपात में प्रदान किया जाता है।

v) वर्ष के दौरान अधिग्रहित 5000 रू. तक की लागत वाली परिसम्पत्तियों तथा वर्ष के आरंभ में 5000 रू. तक हासिल मूल्य की परिसम्पत्तियों और वर्ष के दौरान उपार्जित कैंपों/करवेनों/अस्थायी शेडों/साजोसामान, चाहे मूल्य कुछ भी हो, को वर्ष में पूर्णतः हासिल किया जाता है।

16. उधार लागतें

i) सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।

ii) पूँजीगत परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उतरदायी उधार लागतों को पूंजीगत किया जाता है।

17. सेवानिवृति लाभ

i) कंपनी में कार्यरत व्यक्ति नामिति/सेकेंडमेंट के आधार पर तैनात हैं और इसकी धारक कंपनी के रोल पर हैं। इन कर्मचारियों की सेवानिवृत्त के लाभों का प्रावधान जैसे छुट्टी नगदीकरण, उपदान तथा अन्य लाभ वर्ष के अंत में वास्तिविक मूल्यांकन के आधार पर इसकी धारक कंपनी द्वारा किया जाता है। कर्मचारियों के लिए छुट्टी नगदीकरण तथा उपदान के लिए प्रावधान धारक कंपनी द्वारा वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अनुपातित रूप में बहियों में किया जाता है।

ii) इसी प्रकार, नामिति/सेकेंडमेंट पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान को धारक कंपनी द्वारा पीएफ न्यास में प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।

18. पूर्व अवधि समायोजन और अन्य मदें

i) आय/व्यय से संबंधित पूर्व अवधि और पूर्वदत व्यय जो प्रत्येक मामले में 5000 रू से अधिक न हों, उन्हें चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित व्ययों को व्यय-भार के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

19. कर

i) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त करों या दायित्वों, यदि कोई हो, जैसे ही और जब निर्धारण पूरा होता है, उनका प्रबन्ध/अदायगी कर दी जाती है।

ii) आस्थगित आयकर का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख तक बनाई गई या वास्तविक रूप से बनाई गई कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

20. आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

1. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या
2. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो; या
3. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

(घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

अनुसूची 'ड'

प्रकटनों सहित लेखाओं के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. **प्रासंगिक देयताएं जिनका प्रावधान नहीं किया गया है :**

   क) कम्पनी के विरूद्ध वे दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है वे आकस्मिक देयता के लिए प्रावधान की राशि को छोड़कर शून्य रुपए है।

   ख) 17.02.2010 के समझौता ज्ञापन के अनुसार आकलित किए जाने वाले 10529.93 लाख रुपए के ठेकों के कुल अनुमानित मूल्य में से 72.25 लाख रुपए तक के कार्य को प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों में दर्शाया गया है। 10457.68 लाख रुपए की अनुमानित राशि के ठेकों को पूंजीगत लेखों में बनाये रखा गया है और उनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

2. प्रति शेयर मूल आय का परिकलन कर पश्चात निवल आय रुपए (-) 1.59 लाख को पूर्णत प्रदत्त प्रत्येक 10 रूपए के 4,00,000 इक्विटी शेयरों से विभाजित करके किया गया है। प्रति शेयर अवमिश्रित आय लागू नहीं है, क्योंकि इसमें अवमिश्रण शामिल नहीं हैं।

3. कंपनी का गठन 30.09.2002 को हुआ था और लेखापरीक्षा की यह अवधि प्रचालन के प्रथम वर्ष की होने के कारण पिछले वर्ष के समान आंकड़ों के प्रकटन की आवश्यकता लागू नहीं होती।

4. समझौता ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के अनुसार शेयरधारकों को अंशदायी प्रदत्त शेयर पूंजी के रुप में 40,00,000.00 राशि के 10 रुपए प्रत्येक के 4,00,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं।

5. कंपनी के गठन संबंधी व्ययों पर 7,96,560.00 रुपए की राशि को खर्च किया गया है और उन्हें प्रारंभिक व्ययों के रुप में पूंजीकृत किया गया है और इसे 5 वर्षों की अवधि में बट्टा खाता किया जाएगा जिसमें से 1,59,312.00 रुपए की राशि को चालू वित्त वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

6. कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के स्तर तक मध्यम तथा लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रति शून्य राशि देय थी।

7. वर्ष के दौरान आयात तथा विदेशी मुद्रा व्यय के शून्य मामले हैं और इसलिए आयातों तथा विदेशी मुद्रा व्यय के सीआईएसएफ प्रकटन लागू नहीं है।

8. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड में कार्यरत व्यक्ति नामिति/सेकेंडमेंट आधार पर तैनात हैं और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रोल में हैं। इनके वेतन तथा पारिश्रमिक, भविष्य निधि अंशदान को इनकी धारक कंपनी से इनवाईज/डेबिट एडवाइस के आधार पर प्रगतिरत शीर्षों में पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत रेखांकित किया गया है। एएस-15(संशोधित) की शर्तों के अनुसार नामिति कर्मचारियों के सेवानिवृत्त लाभों का प्रावधान लेखांकन नीति सं0-7 के अनुसार उनकी धारक कंपनी द्वारा किया जा रहा है।

   नामिति/सेकेंडमेंट पर तैनात कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान को धारक कंपनी द्वारा अपने भविष्य निधि ट्रस्ट में नियमित रुप से जमा कराया जा रहा है।

9. (i) रेल मंत्रालय ने रेल बजट 2009-10 के तहत चिह्न्ति स्थलों पर बहुउद्देशीय परिसरों के विकास की घोषणा की है जिन्हें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा संयुक्त रुप से विकसित किया जाएगा।

   (ii) तदनुसार इरकॉन तथा आरएलडीए के बीच 21.08.2009 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 21 अगस्त, 2009 को इरकॉन तथा आरएलडीए के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार बहुउद्देशीय परिसरों के विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण का कार्य इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) द्वारा किया जाना है। इसके अतिरिक्त, बहुउद्देशीय परिसरों के लिए आरएलडीए तथा डब्ल्यूओएस यथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के बीच एक पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसे अंतिम रुप दिया जा रहा है।

10. कोई आस्थगित कर देयता का पता नहीं चला है क्योंकि कंपनी द्वारा अपना वाणिज्यिक प्रचालन अभी आरंभ किया जाना है।

11. आईसीएआई द्वारा जारी 'सेगमेंट रिपोर्टिंग' पर लेखांकन मानक-17 लागू नहीं है, क्योंकि वाणिज्यिक प्रचालन अभी आरंभ नहीं किए गए हैं।

12. क. कंपनी की संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी उसकी धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के स्वामित्व में है।

    ख. संबंधित पक्षों के संबंध और नाम निम्नानुसार हैं :

    i. धारक कंपनी : इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड।

    ii. मुख्य प्रबंधन कार्मिक :
    निदेशक : श्री मोहन तिवारी, श्री मदन लाल, श्री राजीव चंद्रा,
    श्री पराग वर्मा, सीसीओ, श्री के.एम. सक्सेना, सीएफओ

ग. संबंधित पक्ष समव्यवहार : (रुपए लाख में)

क्र.सं	विवरण	धारक कंपनी	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
1.	खरीद	72.25	0.00
2.	बिक्री	0.00	0.00
3.	पारिश्रमिक	0.00	4.33
4.	कार्मिकों के पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति	4.33	0.00
5.	आय	0.00	0.00
6.	बकाया देय शेष	75.19	0.00
7.	कंपनी की ओर से बैंक को दी गई प्रति गारंटी	0.00	0.00

13. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक निम्नानुसार है :

(रुपए लाख में)

क्र.सं	विवरण	**2009-10**
1	वेतन एवं भत्ते	3.98
2	भविष्य निधि में अंशदान	0.35
3	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	-
4	बैठक शुल्क	-
5	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	0.45
	कुल	4.78

कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन धारक कंपनी द्वारा की गई है और कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सीओओ तथा सीएफओ का पारिश्रमिक ऊपर दर्शाया गया है।

14. **तुलनपत्र सार तथा कंपनी व्यवसाय ब्यौरा :**

1)	**पंजीकरण ब्यौरा :**			
	पंजीकरण सं0	यू 45400डीएल2009जीओआई194792	राज्य-कोड	55
	तुलनपत्र तारीख	31-03-2010		
				(रुपए लाख में)
II)	**वर्ष के दौरान एकत्र पूंजी**			
	पब्लिक इश्यू	शून्य	राईट इश्यू	शून्य
	बोनस इश्यू	शून्य	प्राईवेट प्लेसमेंट	शून्य
III)	**संसाधन जुटाने की स्थिति तथा निधियों की व्यवस्था**			
	कुल देयताएं	77.58	कुल परिसंपत्तियां	109.61
	निधियों का स्रोत :			
	प्रदत्त पूंजी	40.00	आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	शून्य
	रक्षित ऋण	शून्य	अरक्षित ऋण	शून्य
			आस्थगित कर देयता	शून्य
	निधियों का प्रयोग :			
	निवल स्थिर परिसंपत्तियां	77.56	निवेश	शून्य
	निवल चालू परिसंपत्तियां	(-) 45.52	आस्थगित कर परिसंपत्ति	शून्य
	विविध व्यय	6.37	संचित हानियां	1.59
IV)	**कंपनी का निष्पादन**			
	टर्नओवर	शून्य	कुल व्यय	1.59
	कर पूर्व लाभ	(-)1.59	कर पश्चात लाभ	(-)1.59
	प्रति शेयर आमदनी (रुपए)	-	लाभांश दर	-
V)	**कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों के जातिवाचक नाम (मौद्रिक रूप में)**			
	उत्पाद विवरण	अन्य परियोजनाएं :	टर्नकी निर्माण	

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते रोहतास एंड हंस
सनदी लेखाकार
एफआरएन 04372एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

हंस कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं 082912

के.एम.सक्सेना	**पराग वर्मा**	**मदन लाल**	**मोहन तिवारी**
सीएफओ	**सीओओ**	**निदेशक**	**प्रबंध निदेशक**

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.07.2010

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए में)

		2009-10
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		(159,312)
निम्न के लिए समायोजनः		
मूल्यह्रास		-
बट्टा खाता - प्रारंभिक व्यय		159,312
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(1)**	**-**
निम्न के लिए समायोजन:		
विविध व्यय (बट्टा खाता न डाले जाने के स्तर तक)		(796,560)
	(2)	**(796,560)**
प्रचालन से सृजित रोकड़	**(1-2)**	**(796,560)**
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	**(क)**	**(796,560)**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य		(7,755,901)
चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम		(12,295)
चालू देयताएं		7,757,686
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	**(ख)**	**(10,510)**
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी		
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त		4,000,000
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	**(ग)**	**4,000,000**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)	**(क+ख+ग)**	**3,192,930**

नोट : 1. नगदी तथा नगदी समतुल्यों में कैश-इन-हैंड तथा बैंकों में शेष शामिल हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रोकड़ के आऊटफ्लो को दर्शाते हैं।
3. चूंकि लेखापरीक्षा की अवधि प्रचालन का प्रथम वर्ष है इसलिए पिछले वर्ष के समतुल्य आंकड़ों के प्रकटन की आवश्यकता लागू नहीं है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते रोहतास एंड हंस
सनदी लेखाकार
एफआरएन 04372एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

हंस कुमार जैन
साझेदार
सदस्यता सं 082912

के.एम.सक्सेना	पराग वर्मा	मदन लाल	मोहन तिवारी
सीएफओ	सीओओ	निदेशक	प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.07.2010

इरकॉन

रोहतास एंड हंस
सनदी लेखाकार
ए-15, प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली-110092
टेली : 22418280, 22439060 फैक्स: 22439060
ई-मेल : rohtasandhansca@yahoo.co.in

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न लाभ और हानि खाते तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इनके अनुबंधों की लेखापरीक्षा की है ।

   इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कंपनी प्रबन्धन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा लेखापरीक्षित इन वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करने की है।

   हमने भारत में सामान्यत स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की ये अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि जिससे हमें वित्तीय विवरणों के संबंध में यह तर्कसंगत आश्वासन मिल सके कि वे सूचना के यथार्थ कथनों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वितीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों को समर्थन देने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबन्धन द्वारा उपयोग में लाए लेखाकरण नियमों और किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ ही साथ समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करती है।

2. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227(4क) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम संलग्नक के रूप में दे रहे हैं।

3. हम उल्लेख करते हैं कि :

   (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बहीखातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा बहीखातों से मेल खाते हैं।

   (घ) हमारी राय में तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा व रोकड़ प्रवाह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) में दिए गए लेखाकरण मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं सिवाय अन्यथा उल्लेख किया जाए।

   (ड) सरकारी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर 829 (ई) तारीख 21.10.2003 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) खंड (छ) के निबंधन कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

   (च) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखे महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां (अनुसूची-ठ) तथा लेखों पर नोट (अनुसूची-ड) के साथ गठित कम्पनी अधिनियम 1956 में अपेक्षित ढंग से सूचना प्रदान करते हैं और निम्नलिखित के मामले में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूप सही और उचित अवलोकन प्रस्तुत करते हैं:

      1) तुलनपत्र के मामले में 31.3.2010 को कम्पनी के कार्यकलापों की स्थिति,
      2) लाभ-हानि के मामले में उक्त तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ के बारे में, और
      3) नगदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नगदी प्रवाह के बारे में।

कृते रोहतास एंड हंस
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 04372एन

(हंस कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता सं. 082912

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.07.2010

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक
(उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट)

1. (क) कंपनी के पास प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अतिरिक्त कोई नियत परिसंपत्तियां नहीं हैं।
   (ख) चूंकि कंपनी के पास नियत परिसंपत्तियां नहीं है, इसलिए नियत परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन का प्रश्न नहीं उठता।
   (ग) वर्ष के दौरान कम्पनी की किसी स्थिर परिसम्पत्ति का पर्याप्त निपटारा नहीं किया गया है।

2. (क) कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है।
   (ख) चूंकि कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है, इसलिए उनके वास्तविक सत्यापन का प्रश्न नहीं उठता।
   (ग) चूंकि कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है इसलिए इन्वेंटरी के किसी रिकार्ड के अनुरक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

3. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए कम्पनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदेश 2003 के पैरा 4 (iii) (ख) से (घ) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती हैं।

4. वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई इन्वेंटरी या नियत परिसंपत्तियों की खरीद नहीं की है।

5. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा अभिलेखों की जांच के अनुसार कोई ऐसे लेन-देन नहीं है, जिन्हें कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में दर्ज किये जाने की आवश्यकता हो क्योंकि निदेशकों का नामांकन भारत सरकार के स्वामित्व वाली धारक कंपनी द्वारा किया जाता है और इसमें किसी निदेशक का कोई हित नहीं है।

6. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है और इसलिए भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा जारी निर्देश और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58-क और 58कक या कोई अन्य संगत प्रावधान तथा उनके अधीन बनाए गए नियम यहाँ लागू नहीं होते हैं।

7. कंपनी का गठन 30.09.2009 को हुआ है और वर्ष के दौरान अधिकतर समव्यवहार इसकी धारक कंपनी या धारक कंपनी से संबंधित द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी में कोई इन्वेंटरी या नियत परिसंपत्ति नहीं है और सामानों और सेवाओं की कोई बिक्री नहीं की गई है। अतः आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई हैं।

8. केन्द्र सरकार ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत कम्पनी के लिये लागत अभिलेखों के रखरखाव को विहित नहीं किया है ।

9. क) कम्पनी सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर बिक्रीकर, सम्पदाकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, उपकर को मिलाकर लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियों और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक दये राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। निवेशक, शिक्षा और संरक्षण निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा कम्पनी पर लागू नहीं होती है । हमारे समक्ष प्रस्तुत रिकार्डों के अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए 31.3.2010 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नहीं है ।
   ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार बिक्रीकर, आयकर, सीमाशुल्क, संपदाकर, उत्पादशुल्क और उपकर के संबध में कोई अविवादित देय नहीं है जिसे 31.03.2010 को जमा नहीं कराया गया है।

10. कंपनी को वित्त वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए प्रारंभिक व्ययों के स्तर की हानि हुई है जिसे हमारे लेखापरीक्षा द्वारा शामिल किया गया है और यह कंपनी का पहला वित्त वर्ष है।

11. कम्पनी ऋण मुक्त कम्पनी है, इसलिए वित्त संस्था, बैंक या डिबेंचर धारकों को बकाया की अदायगी में चूक का प्रश्न ही नहीं है ।

12. हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा रिकोर्डों की जांच के अनुसार कम्पनी नें शेयरों, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण और अग्रिमों की अदायगी नहीं की है।

13. हमारी राय में कम्पनी चिट फंड या निधि म्युचुअल हितलाभ फंड/सोसाइटी नहीं है । इसलिए कम्पनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट)आदेश 2003 के खंड 4(13) के उपंबध कम्पनी पर लागू नहीं होते।

14. हमारी राय में कम्पनी शेयरों प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेशों में लेनदेन या व्यापार नहीं करती है। तदनुसार कम्पनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट, आदेश 2003 की धारा 4 (14) के उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं होते।

15. हमारी राय में बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से अन्य पक्षों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कम्पनी ने कोई गांरटी नहीं दी है।

16. कम्पनी ऋण मुक्त कम्पनी है, इसलिए आवधिक ऋण जिस प्रयोजन के लिए लिया गया था उसका उपयोग कम्पनी ने किया है उसका प्रश्न नहीं उठता।

17. चूंकि कम्पनी ऋण मुक्त कम्पनी है, इसलिए अल्पकालीन निधियों का प्रयोग दीर्घकालीन निवेशों तथा निदान के लिये किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

18. हमे दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने अधिनियम की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध पक्षों और कम्पनियों को शेयरों का अधिमानी आबंटन नहीं किया है।

19. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

20. वर्ष के दौरान कम्पनी ने पब्लिक इश्यू के जरिए पैसे की उगाही नहीं की है।

21. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी पर या उसके द्वारा किया गया कपट न देखा गया न ही सूचित किया गया है।

कृते रोहतास एंड हंस
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 04372एन

(हंस कुमार जैन)
भागीदार
सदस्यता सं. 082912

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.07.2010

---

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखों पर कम्पनी अधिनियम के खंड 619 (4) के अंर्तगत भारत के नियंत्र एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउन्टेट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के अधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 29 जुलाई, 2010 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निर्णय लिया है और इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(4) के अंतर्गत कोई टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

(एम.के. बिश्वास)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक
और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-।।।,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 13 अगस्त, 2010

इरकॉन और इरकॉन आईएसएल की धारक कंपनियों के हितों का विवरण तथा समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-212(1) (ड.) के अनुसरण में सहायक कंपनी में धारक कंपनी के हित संबंधी विवरण

सहायक कंपनी का नाम : इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड

1.		सहायक कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति	31-03-2010
2.		सहायक कंपनी के गठन की तारीख	30-09-2009
3.	(क)	सहायक कंपनी के वित्त वर्ष की समाप्ति पर सहायक कंपनी में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा उसके नामितियों द्वारा धारित शेयरों की संख्या	10 रुपए के प्रति शेयर के 4,00,000 शेयर
	(ख)	शेयरधारिता का स्तर	100%
4.		अब तक सहायक कंपनी के लाभ की निवल राशि चूंकि यह धारित कंपनी के सदस्यों से संबंधित है	
	क)	धारित कंपनी खाते से संबंधित नहीं :	
		i) 31.03.2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए (रुपए मिलियन में)	(0.16)
		ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्त वर्ष के लिए क्योंकि यह धारक कंपनी की सहायक कंपनी बन गई है	शून्य
	ख)	धारक कंपनी लेखों से संबंधितः	
		i) 31.03.2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए (रुपए मिलियन में)	शून्य
		ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्त वर्ष के लिए क्योंकि यह धारक कंपनी की सहायक कंपनी बन गई है	शून्य

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ललिता गुप्ता **कंपनी सचिव**	**के.के. गर्ग** **निदेशक/वित**	**मोहन तिवारी** **प्रबन्ध निदेशक**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06 अगस्त 2010

इरकॉन तथा उसकी 100% सहायक कंपनी इरकॉन आईएसएल की समेकित वित्तीय विशेषताएं

(रूपए मिलियन में)

क्र सं0	विव7रण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	कुल आय (अन्य आय सहित)	8110.54	9235.48	8094.05	7922.38	10143.98	11127.90	15432.14	20931.12	27394.65	32161.85
2	व्यय (स्टाक में कमी/ वृद्धि सहित)	7001.83	7562.46	6775.53	7016.92	8924.95	9818.55	14079.81	18914.83	25076.12	29109.90
3	प्रचालन मार्जिन	1108.71	1673.02	1318.52	905.46	1219.03	1309.35	1352.33	2016.29	2318.53	3051.95
4	ब्याज व्यय	16.60	32.10	1.93	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	मूल्यह्रास	108.20	400.88	160.21	117.98	141.45	200.50	242.40	411.65	441.87	412.67
6	करपूर्व लाभ	1000.51	1272.14	1158.31	787.48	1077.58	1108.85	1109.93	1604.64	1876.66	2639.28
7	करपश्चात् लाभ	656.05	1036.97	870.55	616.05	888.31	806.62	756.93	1137.98	1401.82	1821.02
8	लाभांश	148.47	173.22	188.06	188.06	202.91	257.35	257.35	296.94	296.94	366.23
9	विदेशी परियोजना निधि	1509.75	665.75	605.75	575.75	444.75	442.75	331.00	304.00	279.00	29.00
10	सामान्य आरक्षित निधि	3390.54	5329.28	6042.67	6474.58	7211.45	7677.14	8243.34	9031.83	10116.24	11816.80
11	अन्य आरक्षित निधि	—	17.00	22 .00	23.50	71.50	74.12	71.50	54.50	253.20	48.00
12	आरक्षित तथा अधिशेष	4900.29	6012.03	6670.42	7073.83	7727.70	8194.01	8645.84	9390.33	10648.44	11893.80
13	निवल स्थिर परिसंपत्तियाँ	740.07	602.01	622.46	1234.25	1359.63	1601.02	2602.17	2794.57	2600.48	2368.98
14	माल सूचियाँ	594.60	735.99	665.98	589.37	413.73	423.48	894.28	1590.13	4305.20	3733.59
15	विदेशी मुद्रा आय	1539.19	2840.03	1898.83	1137.16	727.87	559.68	510.54	373.51	955.79	2641.40
16	शेयर पूंजी	49.49	49.49	49.49	49.49	49.49	98.98	98.98	98.98	98.98	98.98
17	प्रयुक्त पूँजी	5184.04	6312.01	6719.91	7123.32	7781.67	8295.27	8756.80	9510.54	10780.45	12045.69
18	सरकारी निवेश	4900.29	6012.03	6670.42	7073.83	7727.70	8194.01	8645.84	9390.33	—	—
19	निवल सम्पति	4949.78	6061.52	6719.91	7123.32	7777.19	8292.98	8744.82	9489.31	10747.42	11992.78
20	प्रयुक्त पूंजी पर कर पूर्व लाभ *	19.29	20.15	17.24	11.05	13.85	13.37	12.68	16.87	17.41	21.91
21	प्रयुक्त पूंजी पर प्रचालन मार्जिन *	21.39	26.51	19.62	12.71	15.67	15.78	15.44	21.20	21.51	25.34
22	शेयर पूंजी पर कर पश्चात् लाभ *	1325.62	2095.31	1759.04	1244.80	1794.93	814.93	764.73	1149.71	1416.27	1839.79
23	आय पर व्यय*	86.33	81.88	83.71	88.57	87.98	88.23	91.24	90.37	91.54	90.51
24	कर्मचारियों की संख्या **	1808	1797	1553	1609	1652	1723	1830	1978	1964	1751
25	प्रति कर्मचारी आय	4.49	5.14	5.15	4.92	6.14	6.46	8.43	10.58	13.95	18.37
26	प्रति कर्मचारी विदेशी विनिमय आय	0.85	1.58	1.22	0.71	0.44	0.32	0.28	0.19	0.49	1.51
27	वर्तमान अनुपात **	1.58	1.75	1.94	1.79	1.54	1.41	1.25	1.21	1.24	1.31
28	ऋण/इक्विटी अनुपात**	0.05	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—
29	निवेश	657.28	657.28	655.78	1224.11	2001.11	2132.86	2343.80	2455.69	2344.98	1295.37

टिप्पणी ***20 से 23 प्रतिशत में**

****24, 27 और 28 रूपए में नहीं हैं।**

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च 2010 को

(रूपए मिलियन में)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 को	
निधियों का स्रोत					
शेयरधारकों की निधियां:					
शेयर पूंजी	क	**98.98**		98.98	
आरक्षित निधियां और अधिशेष	ख	**11,893.80**	**11,992.78**	10,648.44	10,747.42
ऋण निधि:					
संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई में ऋण निधि में कंपनी का हिस्सा			**52.91**		33.03
कुल			**12,045.69**		10,780.45
निधियों का उपयोग					
स्थिर परिसंपतियां:					
सकल ब्लाक	ग	**4,841.47**		4,826.21	
घटाएं: मूल्यह्वास अब तक		**2,567.56**		2,255.94	
निवल ब्लाक		**2,273.91**		2,570.27	
पूंजीगत चालू कार्य	घ	**22.60**		6.56	
मार्गस्थ मशीनरी		**52.88**		-	
संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई में कंपनी का शेयर		**19.59**		23.65	
			2,368.98		2,600.48
निवेश	ड.		**1,295.37**		2,344.98
आस्थगित कर (निवल)	ढ़-1व 2		**873.87**		612.60
चालू परिसंपतियां, ऋण एवं अग्रिम:					
माल सूचियां	छ	**3,733.59**		4,305.20	
विविध देनदार	ज	**4,700.08**		3,864.75	
रोकड़ और बैंक शेष	झ	**13,140.22**		9,838.67	
अन्य चालू परिसंपतियां	ट	**873.78**		708.15	
ऋण एवं अग्रिम	ठ	**8,619.10**		7,584.89	
संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई में कपनीं का अनुपातिक शेयर		**465.69**		540.15	
		31,532.46		26,841.81	
घटाएं - चालू देयताएं प्रावधान:					
देयताएं	ट	**17,678.49**		17,030.02	
प्रावधान	ठ	**5,976.37**		4,193.03	
संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई में कम्पनी का आनुपातिक शेयर		**370.77**		396.37	
		24,025.63	**7,506.83**	21,619.42	5,222.39
निवल चालू परिसंपत्तियां					
विविध व्यय (बट्टा खाता न डाले जाने के स्तर तक)	थ		0.64		
कुल			**12,045.69**		10,780.45
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	द				-
लेखाओं पर टिप्पणियां	ध				
अनुसूची 'क' से 'ध' लेखाओं के अंग हैं ।					

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 2263एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

वाई.के. गुप्ता
भागीदार
स.सं.16020

ललिता गुप्ता
कंपनी सचिव

के.के. गर्ग
निदेशक/वित

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06 अगस्त 2010

समेकित लाभ और हानि लेखा

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए

(रूपए मिलियन में)

विवरण	अनुसूची	2009-10	2008-09
आय :			
प्रचालन आय	ण	**31,391.04**	26,276.38
निवल संयुक्त रूप से नियंत्रिक इकाई हेतु निर्माण कार्य में कंपनी का शेयर		**130.55**	266.74
कुल प्रचालन आय		**31,521.59**	26,543.12
अन्य आय	ढ	**640.26**	851.53
कुल आय		**32,161.85**	27,394.65
व्यय :			
प्रचालन व्यय	ण	**27,633.63**	23,823.18
प्रशासनिक और अन्य व्यय	ण	**598.00**	508.17
मूल्यह्रास	ग	**412.67**	441.87
प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	ठ	**799.06**	511.37
निवल संयुक्त रूप से नियंत्रिक इकाई हेतु निर्माण कार्य में कंपनी का शेयर		**107.86**	193.80
कुल व्यय		**29,551.22**	25,478.39
पूर्व अवधि समायोजन/असाधारण मदों के पूर्व लाभ		**2,610.63**	1,916.26
पूर्व अवधि समायोजन और असाधारण मदें	थ	**28.65**	(39.60)
कर-पूर्व लाभ		**2,639.28**	1,876.66
कर के लिए प्रावधान			
वर्तमान कर			
- वर्ष के लिए		**1,087.02**	728.86
- पिछले वर्षों के लिए (निवल)		**(7.49)**	-
फ्रिंज लाभ कर			
- वर्षों के लिए		**-**	8.31
आस्थगित कर (निवल)	ड-1व 2	**(261.27)**	(262.33)
		818.26	474.84
कर पश्चात् लाभ		**1,821.02**	1,401.82
जोड़े : आवासीय परियोजनाएं आरक्षित पश्चलिखित		**1.50**	5.00
जोड़े : पश्चलिखित विदेशी परियोजना आरक्षित		**250.00**	25.00
निधि विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		**2,072.52**	1,431.82
विनियोजन			
अंतरिम लाभांश		**209.84**	200.93
अंतरिम लाभांश पर कर		**35.66**	34.15
प्रस्तावित अंतिम लाभांश		**156.39**	96.01
प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर		**26.58**	16.32
सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित शेष		**1,644.05**	1,084.41
आमदनियां प्रति शेयर-आधार व विलेचित (रूपए में)		**183.98**	141.63

अनुसूची क से प लेखों का अभिन्न अंग है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 2263एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

वाई.के. गुप्ता
भागीदार
स.सं.16020

ललिता गुप्ता
कंपनी सचिव

के.के. गर्ग
निदेशक/वित

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06 अगस्त 2010

अनुसूची 'क'

शेयर पूंजी

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को	31 मार्च 2009 को
प्राधिकृत 25,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु.	**250.00**	250.00
निगमित, अभिदत्त और प्रदत्त 98,98,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु.पूर्णत प्रदत्त	**98.98**	98.98
कुल	**98.98**	98.98

अनुसूची 'ख'

आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 को	
सामान्य आरक्षित निधि :				
अधिशेष	**10,116.24**		9,031.83	
जोड़े : लाभ और हानि लेखे से अंतरित	**1,644.86**		1,084.41	
जोड़े : विदेशी मुद्र उच्चावचन आरक्षित निधि से अंतरित	**56.51**		-	
		11,816.80		10,116.24
विदेशी विनिमय उच्चावन आरक्षित निधि*				
अधिशेष	**203.70**		-	
वर्ष के दौरान जोड़	**-**		203.70	
घटाएँ : सामान्य आरक्षित निधि से अंतरित	**56.51**		-	
शेष विनियोजन लाभ में अंतरित**	**147.19**	**-**	-	203.70
विदेशी परियोजना आरक्षित निधि :				
अधिशेष	**279.00**		304.00	
घटाएँ : लाभ और हानि लेखे से अंतरित	**250.00**		25.00	
		29.00		279.00
आवास परियोजना आरक्षित निधि :				
अधिशेष	**49.50**		54.50	
घटाएँ : लाभ और हानि लेखे से अंतरित	**1.50**		5.00	
		48.00		49.50
कुल		**11,893.80**		10,648.44

*लेखांकन नीति 4(घ)(iii)(अनुसूची- फ)के अनुसार

** अनुसूची फ के नोट सं 22 का संदर्भ लें

अनुसूची 'ग'

31 मार्च, 2010 को स्थित परिसंपत्तियाँ

(रूपए मिलियन में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1.04.2009 को	जमा	बिक्री/ समायोजन	31.03.2010 को	31.03.2009 तक	वर्ष के लिए (नोट-4)	बिक्री/ समायोजन	31.03.2010 तक	31.03.2010 को	31.03.2009 को
पूर्ण स्वामित्व भूमि	34.46	-	-	**34.46**	-	-	-	**-**	34.46	34.46
पट्टे की भूमि (1 व 6)	363.95	-	-	**363.95**	1.22	0.14	-	**1.36**	362.59	362.73
पट्टे के भवन (5)	413.47	-	-	**413.47**	25.84	7.88	-	**33.72**	379.75	387.63
पूर्णस्वामित्व भवन/ फ्लैट आवासीय	131.64	-	(38.69)	**92.95**	25.28	2.15		**27.43**	65.52	106.36
पूर्णस्वामित्व भवन/ फ्लैट आवासीय	67.28	0.58	38.51	**106.37**	1.52	1.10	-	**2.62**	103.75	65.76
संयंत्र और मशीनरी (2 व 3)	3,235.89	68.37	(56.21)	**3,248.05**	1,777.78	317.48	(53.01)	**2,042.25**	1,205.80	1,458.11
सर्वेक्षण संयंत्र	45.02	2.07	(0.35)	**46.74**	35.86	3.59	(0.33)	**39.12**	7.62	9.16
कम्प्यूटर	114.95	20.75	(18.57)	**117.13**	91.12	19.86	(18.24)	**92.74**	24.39	23.83
कार्यालय उपस्कर	84.43	5.32	(11.52)	**78.23**	63.95	9.82	(12.06)	**61.71**	16.52	20.48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फर्नीचर, जुड़नार और फर्निशिंग	89.84	2.73	(10.01)	**82.56**	63.48	14.04	(9.86)	**67.66**	14.90	26.36
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कैरबन, कैम्प और उपस्थायी शैड	73.55	4.12	(0.68)	**76.99**	73.52	4.17	(0.76)	**76.93**	0.06	0.03
वाहन	171.73	13.67	(4.83)	**180.57**	96.37	29.67	(4.02)	**122.02**	58.55	75.36
चालू वर्ष का जोड़	**4,826.21**	**117.61**	**(102.35)**	**4,841.47**	**2,255.94**	**409.90**	**(98.28)**	**2,567.56**	**2,273.91**	**2,570.27**
पिछले वर्ष के आंकड़े	4,720.84	258.98	(153.61)	**4,826.21**	1,965.82	443.64	(153.52)	**2,255.94**	2,570.27	2,755.02

टिप्पणियाँ :-

1. पूर्वस्वामित्व भवन/ फ्लैट आवासीय में वे फ्लैट भवन शामिल हैं जिनके लिए सकल ब्लाक 2.42 मिलियन रूपए (2.26 मिलियन रूपए) तथा निबल ब्लाक 2.42 मिलियन रूपए (2.29 मिलियन रू) के कंवेयेंस डीड का निष्पादन लंबित है। तत्पश्चात् भावी कमी के लिए निम्न आवेदन की तारीख को विद्यमान दर के अनुसार अनन्तिम आधार पंजीकरण प्रभार सहित लागत पर मुल्यहास का आकलन किया जाता है।
2. मरम्मत न किए जाने योग्य व बिकने के लिए तैयार निम्नलिखित परिस्थितियों सहित नियत परिसम्पतियाँ (वास्तविक व बुक मूल्य से कम पर) :-

(रूपए मिलियन में)

परिसंपति ब्लाक	31/03/2010 को		31/03/2009 को	
	सकल ब्लाक	**निवल ब्लाक**	सकल ब्लाक	
संयंत्र मशीनरी	**8.30**	**-**	Nil	Nil
कार्यालय उपकरण	**-**	**-**	1.49	0.04
कम्प्यूटर	**-**	**-**	12.20	0.15
कुल	**8.30**	**-**	13.69	0.19

3. अल्प पट्टा व स्टेंडबाय पर इंजन सहित
4. वर्ष के लिए मूल्यह्रास का आवंटन निम्नानुसार हैः-

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**2009-10**	2008-09
लाभ और खाता		
चालू	412.67	441.87
पिछली अवधि	(2.77)	1.77
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	-	-
कुल	**409.90**	**443.64**

5. 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेल भूमि पर (सकल मूल्य 33.79 मिलियन रूपए) जिसके लिए करार को अंतिम रूप दिया जाना है।
6. पट्टा स्वामित्व भूमि में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास (जी एन आई डी. ए.) की भूमि शामिल है, जिस पर कम्पनी द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय कक्ष (सी आई सी) का निर्माण किया जाएगा (सकल मूल्य 8.01 मिलियन रूपए)। भवन के निर्माण के लिए समयावधि को बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध किया गया है।

अनुसूची 'घ'

पूंजीगत चालू कार्य*

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को	31 मार्च 2009 को
अधिशेष	**6.56**	1.27
वर्ष के दौरान जमा	**-**	
- कार्य संबंधी व्यय	**16.04**	5.29
घटाः वर्ष के दौरान पूंजीकृत	**-**	-
कुल	**22.60**	6.56

***प्रगतिरत पूंजीगत कार्य का विवरण**

केंद्रीय निरीक्षण कक्ष (सीआईसी, नोएडा)	**22.60**	6.56

अनुसूची 'ड'

निवेश

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को संख्या		31 मार्च 2010 को राशि	31 मार्च 2009 को संख्या		31 मार्च 2009 को राशि
दीर्घकालिक निवेश :						
कोट किया गया (व्यापार से इतर):						
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 6.6% कर मुक्त ए.आर.एस.बांड	**16,008,489**	**1,600.94**		16,008,489	1,617.37	
घटाएंः निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम		**0.10**			16.43	
		1,600.84				1,600.94
घटाः यूटीआई एआरएस बॉंड रिडीम व पूर्ण प्राप्त		**1,600.84**	**-**			
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनी के 6.85% कर मुक्त बांड	**1,000**	**101.39**		500	50.00	
घटाएंः निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम		**0.06**	**101.33**			50.00
6.00% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के कर मुक्त बांड	**5,000**	**500.00**				
			500.00			
कोट नहीं किया गया (व्यापार निवेश):						
।एकीकृत संयुक्त उपक्रम में निवेश						
सी.सी. एफ. बी. मोजांबिक(1)						
मैटीशियस 24000 प्रत्येक के	**1,250,000**	**55.34**		1,250,000	55.34	
1,250,000 इक्विटी शयेर (2)						
इरकॉन सोमा टोलवे प्रा. लि (2 क व ख)	**63,870,000**	**638.70**		63,870,000	638.70	
10 रू. प्रत्यके के पूर्णत प्रदत्त 63,878,000						
इक्विटी शेयर			**694.04**			694.04
कुल			**1,295.37**			2,344.98

कोट किए/बिना कोट किए निवेशों का प्रकटनः-

कोट नहीं किए गए निवेश का पूर्ण योग	-	खाता मूल्य	**698.04**	694.04
कोट किए गए निवेश का पूर्ण योग	-	खाता मूल्य	**601.33**	1,650.94
	-	बाजार मूल्य	**602.12**	1,650.85

1 सीसीएफबी के संगम अनुच्छेद के अनुसार कंसेशन की तारीख यथा 9/10 दिसंबर 2005 से 3 वर्षों की अवधि के लिए इन शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध हों

2. मैटीशियस 24000 का एक इक्विटी शेयर 44.27 रुपए के बराबर है ।

2 (क) उन आठ बैंकों के कसोर्टियम के साथ प्रतिबद्धता, जिनसे आई एस टी पी एल ने 4500 मिलियन रूपए का ऋण लिया है।

2 (ख) आई एस टी पी एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद-5) के अनुसार एन एच ए आई के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, तथा उसके पश्चात् तीन वर्षों के दौरान आई एस टी पी एल में कसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51% से अधिक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के मद्देनजर शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे। अन्य शेयर धारकों के प्रीएम्पशन-अधिकार के मद्देनजर तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26% तक कम किया जा सकता है। 4500 मिलियन रूपए के लिए ऋणदाता के साथ दिनांक 7 अगस्त 2006 को आइ एफ टी पी एल के चरण करार में ग्रहण के पुनर्भुगतान तक यथा 30.9.2018 तक 51% की शेयरधारिता का प्रावधान है।

अनुसूची 'च'

मालसूचियाँ

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 को	
सामग्री एवं भंडार:				
- हाथ में	**981.25**		1,457.86	
- तृतीय पक्षों के पास	**93.79**		192.83	
- मार्गस्थ	**350.38**		282.81	
		1,425.42		1,933.50
संविदागत चालू कार्य				
- लागत पर		**807.84**		916.57
- वसूलनीय मूल्य पर		**1,500.33**		1,455.13
कुल		**3,733.59**		4,305.20

अनुसूची 'छ'

विविध देनदार

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 को	
अनारक्षित :				
छह महीने से अधिक समय से बकाया ऋण				
- वसूली योग्य	**181.29**		82.41	
- संदिग्ध समझे गए व प्रावधान किया गया	**89.39**		83.57	
		270.68		165.98
छह महीने से कम समय के बकाया ऋण				
- अन्य, वसूली योग्य	**4,518.79**		3,782.34	
		4,518.79		3,782.34
		4,789.47		3,948.32
- घटाएँ, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**89.39**		83.57
कुल		**4,700.08**		3,864.75

अनुसूची 'ज'

रोकड़ और बैंक शेष

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 को	
हाथ रोकड़ (1)		**2.80**		3.19
हाथ में चैक/ड्राफ्ट		**5.13**		3.11
अनुसूचित बैंकों में शेष				
चालू खातों में	**1,029.29**		796.18	
फ्लैक्सी खातों में	**1,326.59**		2,618.29	
जमा खातों में (2), (3) और (4)	**8,662.28**		3,307.49	
		11,018.16		6,721.96
पारगमन में प्रषण		**8.98**		
अन्य बैंकों में शेष (5)				
चालू खातों में	**143.03**		72.26	
मियादी खातों में			0.36	
फिक्स डिपाजिट में (6)	**1,962.12**		3,037.79	
		2,105.15		3,110.41
कुल		**13,140.22**		9,838.67

(1) **0.01 मिलियन रूपए** (0.005 मिलियन रूपए) के स्टैम्प-इन-हैंड शामिल हैं।
(2) **262.31** (220.51 मिनियन रुपए) के इएमडी के प्रति ठेकदारों से प्राप्त एफडीआर
(3) एफडीआर के अन्तर्गत शून्य रुपए(**50.19 मिलियन रुपए**) शामिल हैं।
(4) ग्रहाकों से अग्रिमों के प्रति **2485.52 मिलियन रूपए** (2194.63 मिलियन रूपए) सहित एफडीआर, जिन पर ब्याज अग्रेषित किया गया है।
(5) विवरण अनुसूची 'ज-1'.
(6) **722.50 मिलियन रूपए** (13.76 मिलियन रूपए) मार्जिन मनी/अंडरलियन सम्मिलित हैं।

अनुसूची 'ज-1'

अन्य बैंकों के साथ शेष का विवरण

(रूपए मिलियन में)

बैंकों का नाम	शेष		अधिकतम शेष	
	31-03-2010	31-03-2009	2009-10	2008-09
चालू खाते				
रशीद बैंक, बगदाद, इराक	**0.001**	0.01	**0.01**	0.03
कामर्शियल बैंक आफ कुवेत	**0.02**	0.03	**0.03**	0.03
नेपाल अरब बैंक लि. काठमांडु		-		0.02
रफीदियन बैंक, इराक	**0.05**	0.05	**0.05**	0.05
बैंक नर्जारा इंडोनेशिया यू एस डी खाता	**-**	0.09	**0.09**	0.10
बैंक नर्जारा इंडोनेशिया	**-**	0.16	**0.16**	0.16
सी आई एम बी बैंक, बेरहाद, मलेशिया	**1.98**	2.53	**20.20**	13.63
सी आई एम बी बैंक, बेरहाद, मलेशिया	**1.81**	0.66	**21.11**	1,220.24
इ ओ एन बैंक, बरहाद, मलेशिया	**0.98**	2.86	**1,175.91**	76.41
स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मलेशिया	**0.12**	0.11	**0.12**	54.78
एच एस बी सी, डर्बी		0.01	**0.01**	0.02
कॉमर्शियल बैंक आफ इथोपिया	**6.84**	12.57	**23.17**	18.82
नेपाल एस बी आई बैंक लि., धरान	**0.56**	0.24	**0.55**	0.71
नेपाल एस बी आई बैंक लि., काठमांडु	**18.65**	0.06	**40.49**	8.60
नेपाल बैंक लि., इताहरी	**1.39**	0.55	**4.06**	5.01
नेपाल बैंक लि., लाहान	**0.07**	0.47	**1.02**	0.56
बी आई एम (मोजांबीक)	**9.97**	5.66	**94.71**	22.21
बी सी आई, फोमैटो, मोजांबीक	**34.31**	46.20	**102.07**	80.06
बीएनपी पारीबस, एल्जीरिया	**63.20**	-	**70.98**	-
बीएनए एल्जीरिया	**0.06**	-	**0.25**	-
काबुल बैंक, मजर-ए-शरीफ	**0.14**	-	**0.14**	-
पीपल्स बैंक, गल्ले	**2.88**	-	**22.73**	-
कुल	**143.03**	72.26		
फ्लैक्सी खाता				
नेशनल बैंक सिलहट, बांग्लादेश		-		6.78
उत्तरा बैंक लि. सिलहट बांग्लादेश		0.36		0.79
नेपाल एस बी आई बैंक लि., धरान				-
नेपाल एस बी आई बैंक लि., काठमांडु				-
कुल	**-**	0.36		
जमा खाते				
नेशनल बैंक सिलहट, बांग्लादेश				7.89
सी आई एम बी, बरहाद, मलेशिया	**76.09**	45.54	**76.09**	57.98
इ ओ एन बैंक, बरहाद, मलेशिया	**1751.08**	2919.67	**5,225.22**	2,919.67
इ ओ एन बैंक, बरहाद, मलेशिया	**12.57**	8.60	**12.57**	8.60
इ ओ एन बैंक, बरहाद, मलेशिया	**23.54**	5.16	**84.41**	5.16
सी आई एम बी बरहाद, मलेशिया	**-**	57.61	**57.61**	114.27
नेपाल एस बी आई बैंक लि., धरान		0.04	**0.04**	0.23
नेपाल एस बी आई बैंक लि., काठमांडु		1.17	**1.17**	8.77
बी सी आई फोमैटो, मोजांबीक	**15.92**	-	**15.92**	59.28
बैनको इंटरनेशनल, मोजांबीक	**78.57**	-	**78.57**	15.87
पीपल्स बैंक, गल्ले	**4.35**	-	**24.02**	-
कुल	**1962.12**	3037.79		

अनुसूची 'ण'

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 को	
निम्न पर प्रोदभूत ब्याज :				
कार्मिकों को ऋण (रक्षित)		**13.47**		13.21
स्टाफ ऋण और अग्रिम (अरक्षित)		**3.43**		4.30
स्थगित देयताएँ (इराक परियोजनाएँ)		**318.21**		318.21
भारतीय रेल कल्याण संगठन को ऋण		**10.10**		9.87
निम्न पर जमा व अग्रिम :				
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता एवं अन्य		**394.67**		287.59
अनुसूचित बैंकों में जमा	**131.00**		19.53	
गैर-अनुसूचित बैंकों में जमा	**0.17**		1.97	
		131.17		21.50
बांड		**2.73**		53.47
कुल		**873.78**		708.15

अनुसूची 'झ'

ऋण और अग्रिम

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को		31 मार्च 2009 को	
रक्षित (वसूली योग्य):				
कर्मचारियों को ऋण	**25.90**		23.67	
सामग्री और मशीनरी के लिए ठेकेदारों को अग्रिम	**648.35**		1,089.34	
		674.25		1,113.01
आरक्षित:				
ब्याज धारित ऋण :				
भारतीय रेल कल्याण संगठन	**2.00**		4.00	
संयुक्त उद्यम:				
सी. सी. एफ. एन.	**749.16**		893.63	
आईएसपीएल	**100.00**			
		851.16		897.63
प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए रोकड़ पर प्रकार में वसूलनीय मूल्य:				
कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट तथा अन्य प्राधिकरणों में जमा :				
- बिक्री कर	**131.44**		12.20	
- सीमा शुल्क विभाग तथा अन्य	**98.63**		96.12	
		230.07		108.32
जमा एंव प्रतिधारण राशि		**1,709.75**		1,525.39
संयुक्त उद्यमों से वसूल की जाने वाली राशि :				
सीसीएफबी	**15.64**		14.53	
इरकॉन सोमा टोलवे प्रा. लि.से वसूलनीय राशि	**0.08**		0.56	
		15.72		15.09
अग्रिम :				
- ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता तथा अन्य	**1,434.52**		1,064.38	
- स्टाफ	**18.96**		21.48	
- बिक्रीकर (टीडीएस सहित)	**399.09**		421.52	
- मूल्य संवर्धित कर (शुद्ध)	**207.70**		92.91	
	3,017.41		2,225.11	
1.16 मि रु (1.15 मि. रु. के सम्पति कर सहित)		**5,077.68**		3,825.40
पूर्ववर्ती व्यय		**225.36**		181.49
कुल		**8,783.99**		7,666.33
रक्षित वसूली योग्य		**674.25**		1,113.01
अरक्षित वसूली योग्य		**7,944.85**		6,471.88
अरक्षित वसूली योग्य		**164.89**		81.44
		8,783.99		7,666.33
घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान		**164.89**		81.44
कुल		**8,619.10**		7,584.89

निदेशकों से देय राशि का विवरण:

चालू वर्ष		गत वर्ष	
वर्ष के अंत में शेष	वर्ष के दौरान शेष	वर्ष के अंत में शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष
शून्य	**0.32**	शून्य	0.88

अनुसूची 'ट'

वर्तमान देयताएँ

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2010 को	31 मार्च 2009 को
विविध लेनदार		
-लघु उद्योग व मध्यम उपक्रम	-	-
-अन्य (1)	**5,101.03**	4,702.11
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम (2)	**9,364.94**	6,679.59
प्राप्त अग्रिम कार्य	**175.31**	2,725.17
जमा व प्रतिधारण राशि (3)	**2,589.00**	2,410.37
रिकॉन को देय राशि	**34.81**	4.89
अन्य देयताएं	**413.40**	507.89
कुल	**17,678.49**	**17,030.02**

1 इसमें **11.91 मिलियन रूपए** (67.04 मिलियन रुपए) का खाता ओवरड्राफ्ट शामिल है।

2. ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज के **619.78 मिलियन रूपए** (552.66 मिलियन रुपए) शामिल हैं

3 इसमें **262.31 मिलियन रूपए** (220.51 मिलियन रुपए) के ईमडी के प्रति ठेकेदारों से प्राप्त एफडीआर शामिल हैं।

टिप्पणी : लघु व मध्यम उपक्रमों को तीस दिन से अधिक दिनों के लिए कोई राशि देय नहीं है। (देखें अनुसूची 'ध' टिप्पणी, संख्या 18(ii))

अनुसूची 'ठ'

प्रावधान

(रूपए मिलियन में)

विवरण	1.4.2009 को अधिशेष	वर्ष 2009-10 के दौरान			31.3.2010 को अंत शेष
		योग	पश्चलिखित	उपयोग	
प्रावधान :					
उपदान	295.65	97.74	-	16.78	**376.61**
घटा : एल आई सी उपदान के दावे	37.77	-	-	-	**41.08**
	257.88	97.74	-	16.78	**335.53**
छुट्टी वेतन के लिए	298.03	101.42	-	17.64	**381.81**
सेवानिवृत्ति पर भुगतान भत्तों के लिए	25.34	-	12.42	-	**12.92**
संदिग्ध ऋण के लिए	83.57	34.12	28.30	-	**89.39**
संदिग्ध अग्रिम के लिए	81.44	87.93	4.45	0.03	**164.89**
विसंग्रहण के लिए	56.83	44.60	2.63	2.69	**96.11**
अनुरक्षण के लिए	148.43	96.78	7.97	16.60	**220.64**
भावी आकस्मिकताओं के लिए (संविदा)	130.77	240.50	33.94	38.25	**299.08**
देयताएं (विधि मामले)	188.07	82.71	16.17	9.75	**244.86**
अन्य व्यय	708.31	337.49	31.61	192.27	**821.92**
अन्य कर, फ्रिंज लाभों व सम्पति कर के लिए	2,267.04	1,155.11*	7.49	34.13	**3,380.53**
प्रस्तावित व अन्तिम लाभांश के लिए	96.01	366.23	-	305.85	**156.39**
प्रस्तवित व अन्तिम लभांश पर कर के लिए	16.32	62.24	-	51.98	**26.58**
कुल (क)	**4,358.04**	**2,706.87**	**144.98**	**685.97**	**6,230.65**
समायोजन:					
अनुसूची 'छ' में विचारित संदिग्ध ऋण के लिए	83.57				**89.39**
अनुसूची 'झ' में विचारित संदिग्ध अग्रिम के लिए	81.44				**164.89**
कर्मचारी पारिश्रमिक और हितलाभ सहित छुट्टी वेतन, उपदान, निपटान भत्ते अनुसूची ठ		199.16	12.42	34.42	
आयकर के लिए अलग से प्रदत्त/विचारित लाभांश *		1,155.11	7.49	34.13	
अलग से प्रदत्त/विचारित लाभाशं		366.23	-	305.85	
अलग से प्रदत्त/विचारित लाभाशं पर निगमित कर		62.24	-	51.98	
कुल (ख)	**165.01**	**1,782.74**	**19.91**	**426.38**	**254.28**
निवल : चालू वर्ष (क-ख)	**4,193.03**	**924.13**	**125.07**	**259.59**	**5,976.37**
पूर्व वर्ष	3,202.23	596.00	84.63	237.13	4,193.03

नोट :

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सकल प्रावधान(जमा/पश्चलिखित)लाभ व हानि लेखे में शामिल किये गए	**799.06**	511.37
प्रावधान(उपयोग) अनुसूची ठ के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति लाभ	**152.32**	218.44
अनुसूची ठ से लिए गए प्रावधान (उपयोग)	**259.59**	237.13

*1087.02 मिलियन रुपए के चलू वर्ष के प्रावधान सहित जमा और पूर्ववर्ती वर्ष के 68.09 मिलियन रुपए का आशोधन।

अनुसूची 'ड-1'

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ

(रूपए मिलियन में)

विवरण	01-04-2009 को	2009-10 के दौरान योग (लोप)	31-03-2010 को
	कुल	कुल	**कुल**
परिसम्पत्तियाँ			
प्रावधान :			
- अनुरक्षण और विसंग्रहण के लिए	43.71	32.45	76.16
- भावी हानियां	44.45	54.90	99.35
- संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए	48.72	32.27	80.99
- उपदान के लिए	87.66	37.45	125.11
- विधिक मामलों के लिए	29.42	21.10	50.52
- अन्य आकस्मिकताओं के लिए	212.20	60.83	273.03
व्यय			
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर	1.42	(0.30)	1.12
- कर प्रयोजन के लिए अनुमत, जब प्रदत्त हो	109.91	28.04	137.95
- कर प्रयोजन के लिए पूंजीगत	25.48	(25.46)	0.02
- निवेशों पर हानि पर	-	-	-
जोड़	**602.97**	**241.28**	**844.25**
पिछले वर्ष	353.74	249.24	602.97

अनुसूची 'ड-2'

आस्थगित कर परिसम्पत्तियां

(रूपए मिलियन में)

विवरण	01-04-2009 को	2009-10 के दौरान योग (लोप)	31-03-2010 को
	कुल	कुल	**कुल**
मूल्यह्रास	(9.63)	(19.99)	(29.62)
कुल	**(9.63)**	**(19.99)**	**(29.62)**
पिछले वर्ष	3.46	(13.09)	(9.63)
आस्थगित कर(सकल)		**(261.27)**	**873.87**

अनुसूची 'ढ'

आय

(रूपए मिलियन में)

विवरण		2009-10			2008-09	
प्रचालन आय						
संविदा प्राप्तियाँ		**31,087.85**			26,027.27	
लोको पट्टा		**236.55**			214.32	
मशीनरी किराया प्रभार		**66.64**			34.79	
			31,391.04			26,276.38
अन्य आय						
बांडों पर ब्याज (सकल) (दीर्घकालीन) (1)		**5.99**			109.36	
बैंक ब्याज सकल (2)	**477.85**			544.67		
घटाः ग्राहकों को वापस किया गया ब्याज	**180.66**	**297.19**		400.86	143.81	
आयकर की प्राप्त वापसी पर ब्याज		**9.62**			-	
अग्रिमों पर ब्याज		**99.12**			171.49	
स्टाफ को अग्रिमों पर ब्याज		**3.41**			4.27	
विनिमय उच्चावचन लाभ	**-**			201.39		
घटाः विनिमय उच्चावचन हानि	**-**			80.53		
निवल विनिमय उच्चावचन लाभ		**-**			120.86	
परिसम्पतियों की बिक्री से लाभ		**5.03**			6.48	
विविध प्राप्तियाँ (3)		**219.90**			295.26	
			640.26			851.53
कुल			**32,031.30**			27,127.91

(1) स्त्रोत पर काटा गया **0.01मिलियन रूपए** (पिछले वर्ष के शून्य रूपए शामिल हैं।)

(2) स्त्रोत पर काटा गया **50.76 मिलियन रूपए** (पिछले वर्ष के 86.12 रूपए शामिल हैं।)

(3) दावा न किए गए बट्टा खाते के **13.20 मिलियन** (18.59 मिलियन रुपए) शामिल हैं।

अनुसूची 'ण'

व्यय

(रूपए मिलियन में)

विवरण		प्रचालनिक व्यय		प्रशासनिक व्यय	
		2009-10	2008-09	**2009-10**	2008-09
1 **व्यय:**					
कार्य व्यय		**18,032.69**	15,223.16	**-**	-
कार्य व्यय का योग		**18,032.69**	15,223.16	-	-
2 **प्रगतिरत कार्य में कमी/(वृद्धि)**		**108.74**	(467.57)	**-**	-
3 **उपयोग की गई समग्री व भंडार:**					
आरम्भिक शेष		**1,650.68**	619.58	**-**	-
जोड़े : वर्ष के दौरान खरीदें		**5,882.28**	7,404.51	**-**	-
		7,532.96	8,024.09	**-**	-
घटाएं : रोकड़ बाकी		**1,075.04**	1,650.69	**-**	-
सामग्री व भंडार उपयोग का जोड़		**6,457.92**	6,373.40	**-**	-
4 **कर्मचारियों का पारिश्रमिक और हितलाभ (1):**					
वेतन, मजदूरी, बोनस एवं भते		**919.73**	795.18	**275.24**	158.81
भविष्य व अन्य निधियों में अंशदान		**68.63**	37.79	**24.27**	12.68
विदेश सेवा अंशदान		**5.17**	1.78	**5.34**	0.45
सेवानिवृत्ति लाभ		**152.27**	218.44	**-**	-
वी आर एस व्यय		**-**	-	**0.96**	1.05
स्टाफ कल्याण		**28.16**	33.61	**5.51**	5.31
कर्मचारी पारिश्रमिक और हितलाभ का जोड़		**1,173.96**	1,086.80	**311.32**	178.30
5 **अन्य व्यय:**					
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार		**619.75**	355.51	**-**	-
निरीक्षण, भू तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		**15.51**	26.27	**-**	-
विनिमय उच्चावचन हानि	523.27	**-**	**-**	**-**	
घटा :विनिमय उच्चावचन लाभ	216.06	**-**	**-**	**-**	
निवल विनिमय उच्चावचन हानि		**307.21**	-	**-**	
किराया-गैर आवासीय		**30.72**	38.68	**2.21**	0.07
दर एवं कर		**181.00**	256.97	**1.91**	4.69
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		**163.65**	167.98	**7.09**	7.89
मरम्मत और रखरखाव					
- मशीन		**227.33**	374.47	**-**	-
- भवन		**3.21**	5.39	**3.87**	1.89
- कार्यालय व अन्य		**34.26**	30.83	**15.11**	14.90
बिजली, विद्युत व जल प्रसार		**24.18**	26.12	**10.32**	11.07
मशीनरी का किराया प्रभार		**150.26**	233.72	**-**	-
बीमा		**88.58**	97.58	**0.22**	0.86
यात्रा और वाहन		**85.10**	90.85	**24.36**	28.95
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		**21.66**	23.48	**10.48**	7.92
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स		**26.49**	27.03	**6.22**	6.72
विधिक और व्यावसायिक प्रसार		**35.56**	36.70	**23.80**	15.33
सुरक्षा सेवाएं		**34.25**	23.61	**2.10**	1.88
व्यवसाय संर्वधन		**6.31**	4.75	**2.36**	2.00
बट्टे खाते डाले गए :		**-**		**-**	
- अशोध्य ऋण		**-**	6.22	**-**	-
- अशोध्य अग्रिम		**0.03**	1.34	**-**	-
- अशोध्य परिसंम्पति		**0.15**	0.11	**-**	-
प्राथमिक व्यय बट्टा खाता		-	-	**0.16**	-
परिसम्पतियों की बिक्री से हानि		**-**	-	**0.12**	0.68
निवेश पर प्रदत प्रीमियम का परिशोथन		**-**	-	**0.16**	16.89
बैंक और अन्य वित प्रभाव		**-**	-	**124.26**	88.71
लेखापरीक्षकों की फीस		**-**	-	**0.27**	0.22
चंदा		**-**	-	**1.52**	51.90
लेखापरीक्षकों की फीस (2)		**-**	-	**4.24**	4.28
विज्ञापन और प्रसार		**-**	-	**34.38**	43.80
प्रशिक्षण और भर्ती		**-**	-	**1.73**	5.94
विविध व्यय		**64.71**	16.91	**9.85**	13.28
		2,119.91	1,844.52	**286.68**	329.87
घटाएं-उपयोग किए गए प्रावधान (3)		**259.59**	237.13	**-**	-
अन्य व्यय का जोड़		**1,860.32**	1,607.39	**286.68**	329.87
कुल		**27,633.63**	23,823.18	**598.00**	508.17

(1) 4.19 मिलियन रूपए (3.52) मिलियन रूपए अनुलब्धियों पर आयकर शामिल है।

(2)

सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी :	**2009-10**	2008-09
(i) लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	**1.93**	1.79
(ii) कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	**0.50**	0.49
(iii) प्रमाणीकरण फीस	**0.56**	0.45
(iv) यात्रा और तुरन्त देय व्यय:		
- स्थानीय	**0.74**	1.00
- विदेशी	**0.51**	0.55
जोड़	**4.24**	4.28

(3) अनुसूची ण में विवरण दिया गया है।

अनुसूची 'त'

पूर्व अवधि समायोजन और असाधारण मदें

(रूपए मिलियन में)

विवरण	2009-10		2008-09	
पूर्व अवधि मदें :				
आय :				
कार्य प्राप्तियाँ	**(1.59)**		(5.53)	
जमा/ऋण पर ब्याज आय	**41.44**		0.02	
विविध प्राप्तियाँ	**0.45**		3.07	
		40.30		(2.44)
व्यय :				
कार्य व्यय	**1.79**		(5.22)	
प्रशासनिक व्यय	**0.47**		0.01	
मूल्यह्रास	**(2.77)**		1.77	
अन्य	**12.16**		40.60	
		11.65		37.16
कुल		**28.65**		(39.60)

अनुसूची 'थ'

विविध व्यय (बट्टा खाता न डाले जाने के स्तर तक)

(रूपए मिलियन में)

विवरण	2009-10		2008-09	
वर्ष के दौरान किया गया व्यय	**0.80**		-	
घटाः-बट्टा खाता प्राथमिक व्यय(1/5)	0.16	**0.64**	-	-
कुल		**0.64**		**-**

प्राथमिक व्यय को 5 वर्ष में बट्टा खाता डाला जाएगा।

विषय-सूची

अनुसूची 'ध' (समेकित)

2009-10 के लेखों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. **तैयार करने के आधार**

   क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर प्रोद्भवन आधार पर तथा निरन्तर तथा वस्तुता के आधारभूत लेखाकरण सिद्धान्तों की तर्ज पर तैयार किए जाते हैं।

   ख) वित्तीय विवरण भारतीय रूपए में दर्शाए जाते हैं तथा सभी मूल्य मिलियन के निकटवर्ती रूप में होते हैं बशर्ते अन्यथा दर्शाया गया हो।

2. **समेकित वित्तीय विवरण**

   इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को अंतर-समूह शेषों तथा अंतर-समूह समव्यवहारों पर अवास्तविक लाभ/हानि को समाप्त करने के पश्चात, परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय जैसे समान मदों की बही मूल्य को जोड़कर रेखा-दर-रेखा आधार पर समेकित किया जाता है, और यथासंभव कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के समान ही प्रस्तुत किया जाता है।

3. **अनुपालन विवरण**

   वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण नियमों तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

4. **विदेशी मुद्रा सौदे**

   क) <u>देश के भीतर सौदे</u>

   देश के भीतर मुद्रा सौदों का रूपान्तरण निम्न रीति से किया जाता हैः

   1) समस्त विदेशी मुद्रा सौदों का भारतीय मुद्रा रूपांतरण सौदे की तारीख पर प्रचलित तार अंतरण (टीटी) क्रय दर पर किया जाता है।
   2) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपतियों के मूल्य परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।
   3) मौद्रिक मदों और आकस्मिक देयताओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य के परिवर्तन प्रचलित बंद तार अंतरण क्रय दर पर किया जाता है।
   4) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर अंतरण मूल्य दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

   ख) <u>एकीकृत विदेशी प्रचालनों में संव्यवहार</u>

   विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता हैः

   1) राजस्व मदों को भारतीय मुद्रा में प्रारम्भिक और अंतिम तार अंतरण क्रय दर की मासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।
   2) मालसूचियों को प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को तार क्रय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
   3) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों का मूल्य परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।
   4) मुद्रित मदें तथा आकस्मिक देयताएं अंतिम क्रय का उपयागे करके परिवर्तित की जाती हैं।
   5) स्थिर परिसम्पत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर क्रय का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

   ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर रूपान्तरणों के परिणामस्वरूप निवल विनिमय अंतरों को वर्ष के लिए आय या व्यय के रुप में लिया गया है।

   घ) <u>गैर एकीकृत विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार</u>

   गैर-एकीकृत विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया जाता हैं -

   1) परिसम्पत्तियों तथा दायित्व, मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों को अंतिम तार अंतरण क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।
   2) आय और व्यय मदों को आरंभिक व अंतिम तार अंतरण क्रय दर के औसत पर रूपांतरित किया जाता है।
   3) सभी परिणामी विनियम अंतर को शुद्ध निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि में एकत्र किया जाता है तथा इसे उसी अवधि में आय या व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें निपटान पर लाभ या हानि को पहुंचाया गया है।

5. **स्थिर परिसम्पत्तियाँ**

क) स्थिर परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

ख) मशीनरी स्पेयर्स जो केवल स्थिर परिसंपत्तियों के मद के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग अधिनियमित होने की प्रत्याक्षी है, उन्हें पूंजीगत किया जाता है।

ग) वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख तक किए गए निर्माण अवधि के दौरान प्रासांगिक व्यय को पूंजीगत किया जाता है।

6. **निवेश**

क. दीर्घकालिक निवेशों का मूल्यांकन लागत पर मूल्य में स्थायी गिरावट के लिए प्रावधान को घटाकर किया जाता है।

ख. चालू निवेशों को लागत पर या उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, आंका जाता है।

7. **मालसूचियाँ**

क) **प्रगतिरत निर्माण कार्य**

i) प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसानीयता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) **अन्य**

i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं है उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त ठेकों के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रभारित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

8. **रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य**

तुलन पत्र में रोकड़ एंव बैंक शेष में बैंक में नकद, उपलब्ध मांग जमा शामिल होते हैं।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समतुल्य परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

9. **प्रावधान**

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

i) लागत और नियत लाभ ठेकों के मामलों में अनुरक्षण करने की आवश्यकता है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में खराबी/सुधार के लिए कम्पनी का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान मे रखा जाता है।

iii) अनुरक्षण अवधि के पश्चात् डिजाइन गांरटियों के लिए प्रत्येक ऐसे ठेके के लिए 10 लाख रूपए का सांकेतिक (टोकन) प्रावधान रखा जाता है।

ख) **विनियोजना के लिए प्रावधान**

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) **संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों के लिए प्रावधान**

संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है, जब देयों की अवधि को ध्यान में रखे बिना इनकी वसूली अनिश्चित हो। तीन वर्षों से अधिक अवधि के बकायों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है बशर्ते यह राशि वसूलनीय समझी जाय। ऋणों/अग्रिमों को बट्टे खाते डाल दिया जाता है, जब उनकी अनिश्चितता स्थापित हो जाए।

घ) **अन्य**

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

1) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में कम्पनी का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

2) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और

3) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है।

प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

10. संविदा राजस्व का लेखांकन

"संविदा राजस्व" का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है।

(क) लागत और नियत लाभ ठेकों की प्राप्तियों का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदें और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।

(ख) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है । पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रुप में किया जाता है ।

इस अवधि में किसी भी हानि के लिए पूर्ण प्रावधान होता है ।

प्राप्तियों की बिक्रीकर आदि, जैसे लागू हो, सम्मिलित है।

11. संयुक्त उद्यम के अधीन निष्पादित ठेके

संयुक्त उद्यम के अधीन निषादित ठेके :

1. संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों में ठेकों को स्वतंत्र ठेके के रूप में लेखाकरण किया जाता है।
2. संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के द्वारा निषादित ठेकों के मामलों में संयुक्त उद्यम में हुए लाभ/हानि को उनके निर्धारण के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

12. पट्टे

1. प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों की पट्टा अदायगी अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि लेखा विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।
2. प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पट्टा आय को पट्टा अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।

13. निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

1) वास्तविक रूप से प्रदत्त/वसूले गये निर्णीत हर्जाने को संविदा राजस्व/संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाएगा । संविदागत बाध्यता से उत्पन्न निर्णीत हर्जाने लेकिन वार्ता अधीन और अदा करने योग्य नहीं और ग्राहक से वसूला नहीं गया, को प्रासंगिक देयता के रूप में माना जाता है।

2) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

14. अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान और विकास व्यय आय को प्रभारित किए जाते हैं।

15. संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रुप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा ।

16. मूल्यह्रास

i) भारत में स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी लाइन विधि (एसएलएम) से कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XVi में विहित रीति और विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है सिवाय निम्न मामलों में जिनके लिए उपर्युक्त अनुसूची में विहित दरों से अधिक दरें प्रदान की गई है :-

क.	सामान्य निर्माण उपस्कर	19.00%
ख.	कार्यालय उपस्कर	19.00%
ग.	यूपीएस और इनवर्टर सहित कम्प्यूटर	31.67%
घ.	वाहन (भारी वाहनों सहित)	23.75%
ड.	फर्नीचर और जुड़नार	23.75%
च.	स्पीड बोट्स	19.00%

ii) विदेशों में स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक काल परियोजना की अवधि आदि को ध्यान में रखकर सीधी लाइन विधि पर किया गया है। तथापि मूल्यह्रास की अपनाई गई दर भारत मे स्थिर परिसम्पतियों के लिए अनुसूची xiv में विनिर्दिष्ट दर से कम नहीं है(जैसा कि उपर्युक्त पैरा 15(i)मे बताया गया है)। परियोजना के बंद होने पर परिसम्पत्तियां वास्तविक मूल्य के 5% तक कम हो जाती हैं तथा शेष को वर्ष की समाप्ति में प्रभारित और/या अन्य परियोजना/संयंत्र मशीनरी विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

iii) 25 लाख रूपए से अधिक प्रत्येक साफ्टवेयर लागत को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा करके साफ्टवेयर को सफलतापूर्वक शुरू करने की तारीख से सीधी लाइन विधि आधार पर 36 माह की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

iv) पट्टे की भूमि (निरंतर पट्टे से इतर) के संबंध में मूल्यह्रास पट्टे की अवधि के अनुपात में प्रदान किया जाता है।

v) वर्ष के दौरान अधिग्रहित 5000 रू. तक की लागत वाली परिसम्पत्तियों तथा वर्ष के आरंभ में 5000 रू. तक हासिल मूल्य की परिसम्पत्तियों और वर्ष के दौरान उपार्जित कैंपों/करवेनों/अस्थायी शेडों/साजोसामान, चाहे मूल्य कुछ भी हो, को वर्ष में पूर्णतः हासिल किया जाता है।

17. उधार लागतें

i) सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रूप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।

ii) पूँजीगत परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उतरदायी उधार लागतों को पूंजीगत किया जाता है।

18. सेवानिवृति लाभ

i) छुट्टी नकदीकरण, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है।

ii) भविष्य निधि अंशदान को पीएफ न्यास में प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।

19. पूर्व अवधि समायोजन और अन्य मदें

i) आय/व्यय से संबंधित पूर्व अवधि और पूर्वदत व्यय जो प्रत्येक मामले में 5000 रू से अधिक न हों, उन्हें चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित व्ययों को व्यय-भार के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

20. कर

i) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त करों या दायित्वों, यदि कोई हो, जैसे ही और जब निर्धारण पूरा होता है, उनका प्रबन्ध/अदायगी कर दी जाती है।

ii) आस्थगित आयकर का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख तक बनाई गई या वास्तविक रूप से बनाई गई कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

21. खण्ड रिपोर्टिंग

कंपनी ने परियोजना की भौगोलिक अवस्थिति यथा, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दो प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्डों की और निर्माण व्यवसाय और परिसम्पतियों को पट्टे पर देने और इसके प्रचालनों को पट्टे पर और प्रचालन के आधार पर दो द्वितीयक रिपोर्टिंग खंडों की पहचान की है पट्टा व प्रचालन।

22. आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

1. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या
2. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो; या
3. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख). आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

अनुसूची 'न' (समेकित)

प्रकटनों सहित लेखाओं के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. प्रासंगिक देयताएं जिनका प्रावधान नहीं किया गया है :

क) कम्पनी के विरूद्ध वे दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है 2736.49 मिलियन रूपए (4603.43 मिलियन रूपए) हैं। इसके विपरीत, कम्पनी ने 1014.16 मिलियन रूपए (889.64 मि. रू.) का प्रति दावा किया है। यदि कम्पनी के विरूद्ध दावे कार्यान्वित होते हैं तो 1028.93 मिलियन रूपए (3224.66 मिलियन रूपए) की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की जाएगी। निश्चित न किए जाने वाले दावों पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा।

ख) कम्पनी के विरूद्ध अदालत में कर्मचारियों/अन्यों से सबंधित कुछ मामले लम्बित हैं, जिसकी देयता निश्चित नहीं है।

ग) विवादास्पद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है 1320.26 मिलियन रूपए (937.04 मिलियन रूपए) हैं। जिनमें से 314.44 मिलियन रूपए (252.40 मिलियन रूपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की जानी है और शून्य रूपए (शून्य रूपए) उप-ठेकेदारों से वसूल किए जाने हैं।

घ. ग्राहकों द्वारा समय बढ़ाने हेतु आवेदन के लम्बित मामलों के निपटान के लिए कंपनी 61.10 मिलियन रूपए (8.81 मिलियन रूपए) के स्तर तक निर्णीत व्यक्तियों को भुगतान किए जाने के लिए आकस्मिक रूप से बाध्य है।

ड) फ्लैटों के लिए सी आई डी सी ओ को बकाया बैंक गारण्टी के 1.45 मिलियन रूपए (1.45 मिलियन रूपए) हैं।

च) भविष्य निधि आयुक्त, जम्मू और कश्मीर द्वारा 17.55 मिलियन रुपए (17.55 मिलियन रुपए) के दावे।

छ) 6060.40 मिलियन रूपए (6060.40 मिलियन रुपए) की अनुमानित लागत पर निर्माण, प्रचालन व हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर महाराष्ट्र राज्य में 20 वर्ष की अवधि (3 वर्ष निर्माण के लिए तथा 17 वर्ष टोल एकत्रण हेतु) राष्ट्रीय राजमार्ग-3 (पिंपलगांव-धुले खण्ड) पर मौजूदा 2 लेन वाली सड़क को सुधारने, प्रचालन तथा अनुरक्षण, पुनर्वासन तथ सुदृढ़िकरण व उसे 4 लेन का बनाने के लिए दिनांक 28 सिंतबर 2005 को एन एच ए आई तथा आई एस टी पी एल के मध्य रियायत करार की शर्तों के अनुसार एन एच ए आई द्वारा आई एस टी पी एल (उसके निगमित होने के पश्चात्)को राजमार्ग परियोजना के निष्पादन के लिए दिनांक 19-04-2005 को इरकॉन इंटरनेशनल लि. कम्पनी तथा सोमा इंटरप्राइजेज लि., प्रत्येक की 50% शेयरधारिता सहित, संयुक्त उद्यम साझेदार ने इरकॉन-सोमा टालवे प्राइवेट लि. आई. एस. टी. पी. एल नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी का गठन किया।

आईएसटीपीएल में कम्पनी का इक्विटी निवेश 638.70 मिलियन रूपए (638.70 मिलियन रूपए) है। परियोजना के ऋण भाग के वित्तपोषण के लिए आईएसटीपीएल ने भारतीय स्टेट बैंक के प्रमुख ऋणदाता बैंक सहित आठ बैंकों के कंसार्टियम से 4500 मिलियन रूपए का अवधि ऋण लिया है। इस ऋण को प्राप्त करने के लिए अपने संयुक्त उद्यम साझेदार सहित कम्पनी ने प्रमोटरों के सहयोग के माध्यम से दिनांक 07 अगस्त 2006 को भारतीय स्टेट बैंक (सुरक्षा ट्रस्टी तथा ऋणदाता एजेंट) के पक्ष में एक स्पांसर स्पोर्ट अंडरटेकिंग तथा एक करार सहमति निष्पादित किये हैं जिसमें दोनों ही साझेदारों ने संयुक्त व पृथक रूप से शपथ ली है कि वे किसी प्रकार की लागत में वृद्धि सहमत ऋण सेवा अनुपात में कमी, अनुदान की प्राप्ति में विलम्ब के कारण अस्थायी कमी तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के भुगतान के स्थगन के लिए अतिरिक्त इक्विटी उपलब्ध कराएंगे। चालू वर्ष में कंपनी तथा सोमा ने बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए ऋण के रुप में प्रत्येक ने 100 मिलियन रुपए का अंशदान किया है। 25 अक्तूबर, 2009 को चंदवार में स्थित 99 कि.मी. लम्बे टोल प्लाजा को प्रचालनिक कर दिया गया है और टोल एकत्रण आरंभ हो गया है। शेष 19.158 कि.मी. के भाग को अनंतिम रुप से 30 मार्च, 2010 को पूरा घोषित कर दिया गया है तथा धूले प्लाजा पर टोल एकत्रण का कार्य भी 19 अप्रैल, 2010 को आरंभ हो गया है।

2.(क) पूंजी लेखे पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि 5.66 मिलियन रूपए (254.70 मिलियन रूपए)है।

(ख) सहायक कंपनी (इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड) के मामले में, 1045.77 मिलियन रुपए की अनुमानित राशि के ठेकों को पूर्ण लेखे पर निष्पादित किया जाना शेष है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

3. प्रति शेयर मूल्य आय का परिकलन कर पश्चात आय 1821.05 मिलियन रूपए (1401.82 मिलियन रूपए) को पूर्णत प्रदत प्रत्येक 10/रू के 98,98,000 इक्विटी शेयरों से विभाजित करके किया गया है। प्रति शेयर अवमिश्रित आय लागू नहीं है, क्योंकि इसमें अवमिश्रण शामिल नहीं हैं।

4. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों तथा सामग्री के अन्तर्गत तीसरे पक्षों के साथ दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टिकरण/समायोजन के मद्देनजर हैं। कम्पनी ऊपर शामिल कम्पनियों की पुष्टि के लिए पत्र भेज रही है।

ख) प्रबन्धन के मतानुसार वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है और इसे उस मूल्य से कम नहीं होना चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

5. क. विदेशी मुद्रा में आय :

(रूपए मिलियन में)

विवरण	2009-10	2008-09
कार्य प्राप्तियाँ और लोको पट्टा	**12255.88**	7702.48
बैंक ब्याज	**101.34**	68.63
अन्य ब्याज	**0.71**	67.55
विदेशी मुद्रा घट/बढ़ लाभ	**216.06**	201.39
अन्य	**36.36**	43.06
कुल	**12610.35**	8083.11

ख. विदेशी मुद्रा में आय :

(रूपए मिलियन में)

विवरण	2009-10	2008-09
प्रचालन व्यय	**7820.72**	6405.55
परामर्शदात्री प्रभार	**149.38**	101.42
विदेशी मुद्रा उच्चावचन हानि	**523.27**	80.53
प्रशासनिक और अन्य व्यय	**1475.58**	539.82
कुल	**9968.95**	7127.32

ग. आयातों का सीआईएफ मूल्य :

(रूपए मिलियन में)

विवरण	2009-10	2008-09
पूंजीगत माल	-	3.28
सामग्री	**117.56**	91.26
उपभोज्य, अवयव तथा पुर्जे	-	-
कुल	**117.56**	94.54

6. **पट्टे संबंधित प्रकटन**

1. **<u>इंजनों के लिए प्रचालन पट्टे</u>**

क. कंपनी इंजनों को पट्टे पर देने का कार्य कर रही है। 31.03.2010 को विदेशी क्लाइंट को 25 इंजनों को पट्टे पर दिया गया है। पट्टा वैधता को 31.12.2010 तक बढ़ाया गया है।

ख. निम्नलिखित अवधियों के दौरान प्रचालन पट्टा के अधीन भावी निम्नतम पट्टा किराया देय/प्राप्य निम्न प्रकार है :-

(रूपए मिलियन में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
प्राप्य	130 (**119.20**)	**शून्य** (शून्य)	**शून्य** (शून्य)
देय	**शून्य** (शून्य)	**शून्य** (शून्य)	**शून्य** (शून्य)

ग. वर्ष के दौरान प्राप्त पट्टा व्यवसाय परिसम्पति पर मूल्यह्रास का प्रकटन :-

परिसंपतियों का विवरण	31.03.2010 को	31.03.2009 को
परिसंपतियों की सकल राशि	**248.17**	**248.09**
संचित मूल्यह्रास	**63.96**	**51.32**

(रूपए मिलियन में)

विवरण	2009-10	2008-09
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	12.64	**8.91**

2. **हल्के वाहनों के लिए प्रचालन पट्टा**

कम्पनी ने पांच (सात) हल्के वाहनों को प्रयोग के लिए पट्टादाता से खरीदने के दायित्व के बिना प्रचालन पट्टे पर लिए है। भावी न्यूनतम पट्टा किराया देय निम्नानुसार है:

(रूपए मिलियन में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक से पांच वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
देय	**0.72** (0.72)	**0.98** (1.67)	**(शून्य)** (शून्य)

3. **परिसरों के लिए प्रचालन पट्टे**

कम्पनी की पट्टा व्यवस्थाएं कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, गैस्ट हाऊस तथा ट्रांजिट कैंपों के लिए परिसरों के प्रचालन पट्टों के संबंध में है। ये पट्टा व्यवस्थाएं, जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है, एक वर्ष के लिए है तथा समान्यतः आपसी सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसरों के संबंध मे शुद्ध पट्टा भुगतानों के प्रति कर्मचारी वेतन एवं लाभों के अन्तर्गत व्यय अनुसूची में 63.10 मिलियन रुपए(77.60 मिलियर रुपए) शामिल हैं। कार्यालय परिसरों, गेस्ट हाऊसों, ट्रांजिट कैम्पों के संबंध में पट्टा भुगतान 32.93 मिलियन रुपए (38.75 मिलियन रुपए) को अनुसूची 'ठ' में दर्शाया गया है।

4. **इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के मामले में पट्टा संबंधी प्रकटन**

(i) रेल मंत्रालय ने रेल बजट 2009-10 के तहत चिह्नित स्थलों पर बहुउद्देशीय परिसरों के विकास की घोषणा की है जिन्हें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा।

(ii) तदनुसार इरकॉन तथा आरएलडीए के बीच 21.08.2009 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 21 अगस्त, 2009 को इरकॉन तथा आरएलडीए के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार बहुउद्देशीय परिसरों के विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण का कार्य इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) द्वारा किया जाना है। इसके अतिरिक्त, बहुउद्देशीय परिसरों के लिए आरएलडीए तथा डब्ल्यूओएस यथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के बीच एक पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

7. **खण्ड रिपोर्टिंग :**

प्राथमिक खण्ड सूचना (भौगोलिक):

(रूपए मिलियन में)

	अंतर्राष्ट्रीय		घरेलू		अन्य*		कुल	
	09-10	08-09	**09-10**	08-09	**09-10**	08-09	**09-10**	08-09
क. आवर्त्त								
प्रचालन आय	**11962.47**	8027.02	**19522.55**	18476.77	**36.57**	39.33	**31521.59**	26543.12
अन्य आय	**205.56**	283.02	**148.20**	187.87	**286.50**	380.64	**640.26**	851.53
अंत खण्ड								
कुल राजस्व	**12168.03**	8310.04	**19670.75**	18664.64	**323.07**	419.97	**32161.85**	27394.65
ख. परिणाम								
प्रावधान मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	**2400.23**	924.13	**1196.27**	1678.29	**254.51**	227.48	**3851.01**	2829.90
घटाएँ-प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	**89.32**	65.16	**536.07**	141.24	**173.67**	304.97	**799.06**	511.37
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	**168.16**	196.71	**195.14**	202.23	**49.37**	42.93	**412.67**	441.87
ब्याज	Nil	Nil	**Nil**	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
कर पूर्व लाभ	**2142.75**	662.26	**465.06**	1334.82	**31.47**	(120.42)	**2639.28**	1876.66
कर के प्रावधान	**574.50**	244.30	**227.95**	253.42	**15.81**	(22.88)	**818.26**	474.84
कर पश्चात् लाभ	**1568.25**	417.96	**237.11**	1081.40	**15.66**	(97.54)	**1821.02**	1401.82
ग. अन्य सूचना								
परिसंपत्तियां	**11581.38**	8992.59	**10211.63**	11738.21	**14278.31**	11669.07	**36071.32**	32399.87
स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं (निवल ब्लाक)	**658.75**	751.39	**852.70**	976.73	**857.53**	872.36	**2368.98**	2600.48
देयताएं	**9738.70**	7971.76	**9587.41**	10250.41	**4699.52**	3397.25	**24025.63**	21619.42
पूंजीगत व्यय : स्थिर परिसंपत्तियों में बढ़ौतरी	**33.92**	220.64	**65.01**	35.17	**18.68**	3.18	**117.61**	258.99

*अन्यों में गैर-आवंटित राजस्व, व्यय, परिसम्पतियां तथा देयताएं शामिल हैं।

गौण खण्ड सूचना (व्यवसाय):

(रूपए मिलियन में)

	प्रचालन आय		खण्ड परिसम्पतियां		स्थिर परिसंपतियों में बढ़ौतरी	
	2009-10	2008-09	**2009-10**	2008-09	**2009-10**	2008-09
निर्माण आदि	**31285.04**	26328.80	**35648.69**	31896.02	**115.07**	171.54
पट्टा और प्रचालन	**236.55**	214.32	**422.63**	503.85	**2.54**	87.44
जोड़	**31521.59**	26543.12	**36071.32**	32399.87	**117.61**	258.98

8. **संबंधित पक्ष प्रकटन**

क. उद्यम जहां नियंत्रण विद्यमान है :

गैरनिगमित संयुक्त उद्यम : इरकॉन- कोबरा-ईएलआईओपी, इरकॉन, लॉयन पैसेफिक, एसडीएन, बीएचडी, इरकान-श्री भवानी बिल्डर, इरकॉन-गन्नौन डंकरली, इरकॉन- आरसीएस-फ्लीडरर, इरकॉन- एसएसजे परियोजना, एसएमजे-इरकॉन, इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर (आईएमसीसी), मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एसटीजी), रीकॉन (इरकॉन व राइट्स का कंसोर्टियम), रिकॉन-सीटा एसएआरएल।

संयुक्त उद्यम कम्पनियां-इरकॉन, राइट्स तथा सी एफ एम (मोजांबीक रेलवे) की सी सी एफ बी (कॉम्पनिया डोस कैमीनोस डी फेरो डा बइरा एस ए आर एल) नामक कम्पनी तथा इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी।

ख. प्रमुख प्रबन्ध निदेशक:

निदेशक : सर्वश्री मोहन तिवारी, मदन लाल, के.के. गर्ग तथा दीपक सभलोक।

ग. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देनों का प्रकटीकरण

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**लेन-देन**		**बकाया राशि**	
	2009-10	2008-09	**31-3-2010 को**	31-3-2009 को
प्रमुख प्रबंधक कार्मिकों को परिश्रमिक (उपर्युक्त 'ख') तथा अन्य स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क	नोट सं0-9 के अनुसार		शून्य	शून्य
उन उद्यमों से सेवाएं जहां निदेशकों का हित विद्यमान है	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
सीसीएफबी/आईएसटीपीएल/आईआईएसएल में निवेश	**4.00**	127.70	**698.04**	694.04
सीसीएफबी/आईएसटीपीएल को ऋण	**(44.47)**	311.30	**849.16**	893.63
सीसीएफबी/आईआईएसएल/आईएसटीपीएल/रिकॉन से वसूली जाने वाली अग्रिम राशि	**3.36**	(7.91)	**19.56**	15.09
रिकॉन को देय राशि	**29.92**	4.89	**34.81**	4.89
सीसीएफबी/रिकॉन/आईएसटीपीएल/ आईआईएसएल से आय	**763.80**	1262.38	**589.54**	277.32

9. **निदेशकों का पारिश्रमिक निम्न प्रकार है :-**

(रूपए मिलियन में)

क्र. सं.	**विवरण**	**2009-10**	2008-09
I	वेतन और भत्ते	**5.34**	4.54
II	भविष्य निधि और अंशदान	**0.62**	0.36
III	सेवानिवृति सहित अधिवार्षिता लाभ	**3.36**	1.38
IV	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.15**	0.63
V	बैठक फीस	**0.27**	0.22
VI	अन्य हित लाभ	**1.36**	0.17
	जोड़	**11.1**	7.30

निदेशकों को कंपनी की ओर से आवास और कार भी प्रदान की गई है जिसकी वसूली लागू नियमानुसार की गई है।

10) संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटन

क) संयुक्त उद्यमों की सूची

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2010	2009
1	इरकॉन कोबरा- इलियोप#	इरकॉन, भारत कोबरा, स्पेन इलियोप, स्पेन	**61.22** **34.35** **4.43**	61.22 34.35 4.43
2	इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स ##	इरकॉन, भारत श्री भवानी बिल्डर्स, भारत	**24.21** **75.79**	24.21 75.79
3	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कंट्रेक्टर (आइएमसीसी)###	दाईविदेग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्परेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
4	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एम टी जी)	दाईविदेग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि., भारत सेमसंग कार्परेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
5	रीकॉन	इरकॉन, भारत राइटस, भारत	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
6	एसएमजे-इरकॉन@	इरकॉन, भारत संबर मित्रा जाया,इंडोनेशिया	**25.00** **75.00**	25.00 75.00
7	इरकॉन-गन्नौन डंकर्ली	इरकॉन, भारत गन्नौन डंकर्ली	**55.70** **44.30**	55.70 44.30
8	इरकॉन आरसीएस- फ्लीडरर	इरकॉन, भारत रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर प्रा. लि., भारत फ्लीडरर इनफ्रास्ट्रकचर टैकनीकजी एम बी एच एण्ड क., जर्मनी	**65.08** **21.87** **13.05**	65.08 21.87 13.05
9	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम	इरकॉन , भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	**55.00** **45.00**	55.00 45.00
10	रीकॉन-सीटा एस ए आर एल@@	रीकान, भारत सी इ टी ए, मोजांबिक	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
11	इरकॉन-आस्का कंसार्टियम@@@	इरकॉन, भारत एस ए आर एल आरका, अल्जीरिया एएसकेए, टर्की	**100.00** - -	70.00 15.00 15.00

ख) संयुक्त उद्यमों की सूची

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को स्वामित्व हित का अनुपात प्रतिशत	
			2010 को	2009 को
1	सीसीएफबी (कम्पनिया डोस कैमिनोस डे फैरा डा बेरा एस एआरएल) मोजाम्बिक	इरकॉन, भारत राइट्स, भारत सीएफएम, मोजाम्बिक	25.00 26.00 49.00	25.00 26.00 49.00
2	इरकॉन-सोना टोलवे प्रा. लि.	इरकॉन, भारत सोना इंटरप्राइजेज़ लि., भारत	50.00 50.00	50.00 50.00

15.6.2007 को कार्य समाप्त ।

##परियोजना बन्द, भुगतान अभी प्राप्त किया जाना है।

###5.3.2006 को कार्य पूरा हो गया ।

@परियोजना बन्द, अभी अन्तिम निपटान बाकी है।

@@दिनांक 01.05.2008 से संयुक्त उद्यम साझेदारों ने संयुक्त उद्यम प्रचालन की प्रकृति में परिवर्तन किया है जिसके अनुसार शेष कार्य के स्कोप को पूर्ववर्ती संयुक्त नियंत्रण के विपरीत आपस मे विघटित कर लिया गया है। इसके परिणामस्वरुप संयुक्त उद्यम की प्रकृति संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई (जेईसी) से परिवर्तित होकर अब संयुक्त नियंत्रित प्रचालन (जेसीओ) हो गई है। लेखाकरण नीति संख्या 10(ii) के अनुसार 30.04.2008 तक अनुपातिक समेकन पद्धति का अनुसरण किया गया है और तत्पश्चात जेसीओ के संबंध में कंपनी की अनुसूची फ के लेखाकरण नीति संख्या 10 (ii) के अनुसार स्वतंत्र ठेकों के रुप में लेखांकित किया गया है।

@@@क्लाइंट के निर्देशों के अनुसार इरकॉन ने अन्य दो साझेदारों सर्ल आस्का, एल्जीरिया (15%) तथा आस्का, तुर्की (15%) को कंसोर्टियम से अलग कर दिया है। क्लाइंट ने बाद में ठेके को बंद करने के लिए 'कार्य रोकने का आदेश' जारी किया था। चूंकि क्लाइंट ने संविदा बंद करने के आदेश को वापस ले लिये हैं और 23.05.2010 को यह परियोजना इरकॉन के नाम से पुनः आरंभ हुई है।

ग) जेसीई के आय, व्यय, लाभ, परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का विवरण

क्रम सं.	विवरण	रिकॉन-सीटा-एसएआरएल		रिकॉन		आईएमसीसी		एमटीजी		कुल	
		2009-10	2008-09	**2009-10**	2008-09	**2009-10**	2008-09	**2009-10**	2008-09	**2009-10**	2008-09
1	आय	**-**	7.24	**39.98**	39.33	**0.24**	2.19	**90.33**	217.98	**130.55**	266.74
2	व्यय	**-**	(45.64)	**22.66**	19.46	**0.19**	5.27	**85.01**	214.71	**107.86**	193.8
3	नियत परिसंपत्तियां	**17.92**	17.92	**-**	-	**-**	-	**1.67**	5.73	**19.59**	23.65
4	चालू परिसंपत्तियां	**229.79**	288.82	**124.35**	83.56	**46.07**	45.89	**65.48**	121.88	**465.69**	540.15
5	चालू देयताएं	**247.71**	253.86	**54.12**	30.65	**13.95**	14.02	**54.99**	97.84	**370.77**	396.37
6	ऋण निधि	**-**	-	**52.91**	33.03	**-**	-	**-**	-	**52.91**	33.03

ग) 31.3.2010 को आई एम सी सी के मामले में आकस्मिक दयेता के प्रति बैंक गारंटी में कम्पनी का शेयर शून्य रूपए (21.18 मिलियन रूपए) है।

घ) 31.3.2010 को आई एम सी सी के मामले में बिक्री कर देयता का समानुपातिक शेयर 42.52 मिलियन रूपए (42.52 मिलियन रूपए) है।

ड.) 31.3.2010 को एम टी जी के मामले में बैंक गारन्टी के कम्पनी के भाग के प्रति आकस्मिक देयता 46.91 मिलियन रूपए (46.71 रूपए) है।

च) 31.3.2010 को एम टी जी के मामले में सेंट्रल एक्साइज को निगमित गारन्टी के भाग के प्रति आकस्मिक देयता 15.36 मिलियन रुपए (15.36 मिलियन रुपए) है ।

छ) 31.03.2010 को इरकॉन- आरसीएस-पीफ्लिडेरर के मामले में बैक गारंटी के कम्पनी के शेयर के प्रति आकस्मिक देयता 9.10 मिलियन रुपए (9.10 मिलियन रुपए) है।

ज) कम्पनी ने ब्रिज वित्तपोषण के रुप में सी सी एफ बी में 10 मिलियन अमरीकी डालर तक के शर्तशुदा शेयरधारक ऋण की प्रतिबद्वता की है, किन्तु केवल 7.5 मिलियन अमरीकी डालरों के लिए शेयरधारक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। 7.5 मिलियन अमरीकी डालरों में से कंपनी ने 2008-09 के दौरान एक मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान किया था और 2009-10 के दौरान एक मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान किया था। कंपनी को सीसीएफबी से 2.00 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की संपूर्ण राशि 29.01.2010 को वापस प्राप्त हो गई थी। बहरहाल, 2 मिलियन अमरीकी डालर की राशि पर 0.17 मिलियन अमरीकी डालर के ब्याज की राशि सीसीएफबी से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

झ) वर्ष के दौरान कंपनी ने आईएसटीपीएल संयुक्त उद्यम को 100 मिलियन रुपए का ऋण प्रदान किया है।

ट) 0.98 मिलियन (शून्य) की मांग करने के लिए वर्ष के दौरान सेवा कर आयुक्त ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आईएमसीसी ने मांग का विरोध किया है और यह मामला न्यायाधीन है।

ठ) वित्त वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के लिए राजस्व प्राधिकारियों द्वारा आकलन के परिणामस्वरुप दिनांक 31.03.2010 को 32.49 मिलियन (शून्य) की सकल मांग उत्पन्न हुई है। आईएमसीसी ने इस आकलन का विरोध किया है तथा विभिन्न स्तरों पर अपील दायर की है, जो न्यायाधीन है।

11) कंपनी ने इंस्टीटयूट आफॅ चार्टेड एकाउंटेंटस् आफ इंडिया द्वारा जारी एएस 28 परियोजना के अनुसार वर्ष के दौरान उगाई की जाने वाली शुद्ध राशि या लागत से कम के आधार पर वसूल की जाने वाली राशि के आकलन द्वारा वैयक्तिक परिसपंत्तियों के ह्रास का अनुमान निकाला है। कोई ह्रास हानि (शून्य रुपए) नहीं हुई है।

12 क) खाड़ी युद्ध के कारण जब क्लाइंटों (इराक में निष्पादित समावा तथा अल-मुथाना परियोजनाओं सहित) से भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा था उस समय भारत सरकार ने आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकॉल (डीपीए) के अंतर्गत इरकॉन सहित ईरान में निर्यातकों की परियोजनाओं को बेलआउट किया था।

आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकाल के तहत सितम्बर, 1995 तक सेंट्रल बैंक और इराक द्वारा प्रमाणितानुसार एक्जिम बैंक को देय बकाया शेष राशियों का निपटान भारत सरकार द्वारा 2 चरणों में बांड जारी करके किया गया था। दूसरे चरण के परिणामस्वरुप सेंट्रल बैंक ऑफ इराक ने इक्जिम बैंक को 8.89 मिलियन रुपए (एक अमरीकी डालर = 35.802 रुपए की अंतिम सहमत दर पर परिवर्तित 318.21 मिलियन रुपए के बराबर) की राशि को प्रमाणित (मई, 2000 में एक्जिम बैंक द्वारा पुष्ट) किया था, तथा भारत सरकार द्वारा इसका निपटान प्रतीक्षाधीन है, जिसके लिए कंपनी ने दिनांक 26.05.2005 के अपने पत्र के तहत रेल मंत्रालय को अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। इन देयों के परिणामस्वरुप बैक-टू-बैक आधार पर उप ठेकेदारों को देय 4.20 अमरीकी डालर (एक अमरीकी डालर = 35.802 रुपए की अंतिम सहमत दर पर परिवर्तित 150.37 मिलियन रुपए के बराबर) की ब्याज की राशि का प्रावधान लेखा बहियों में किया गया है।

ख) आस्थगित इराकी बकाया और उस पर ब्याज व बैक-टू-बैक आधार पर उप ठकेदारों को देय ब्याज के प्रावधान (आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकॉल) को भारत सरकार के साथ तय अंतिम निपटान दर यथा 1 अमरीकी डालर = 35.802 रूपए पर परिवर्तित किया जाता है। यदि बकायों को एस-11 के अनुसार 31.3.2010 को बंद होने वाली विनिमय दर से रूपांतरित किया जाता है तो अन्य चालू परिसम्पत्तियां 954.64 मिलियन रूपए (80.86 मिलियन रूपए की वृद्धि) तथा प्रावधान 6014.58 (38.21 मिलियन रुपए की वृद्धि) और कर पूर्व लाभ 2682.74 मिलियन रूपए (42.65 मिलियन रूपए की वृद्धि) होती ।

13) कंपनी ने स्वैच्छिक कल्याण उपाय के रूप में कंपनी से अधिवर्षिता प्राप्त/नौकरी के दौरान मृत्यु प्राप्त तथा वित्त वर्ष 2000-01 के दौरान उक्त ट्रस्ट में 120 मिलियन रूपए का अंशदान किया था, उन पात्र कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक स्थायी ट्रस्ट की स्थापना की है । यह ट्रस्ट आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अंतर्गत स्थापित की गई है । ट्रस्ट की आय, ट्रस्ट डीड में निधारित लाभों को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त हैं। बहरहाल, कम्पनी अपने कर्मचारियों को इस प्रकार के लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है ।

14) कंपनी ने सामूहिक उपदान योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा (एल आई सी) से एक पॉलिसी ली थी तथा एक उपदान ट्रस्ट की स्थापना की थी। भारतीय जीवन बीमा को वित्त वर्ष 2003-04 तक अंशदान किया गया था। तत्पश्चात अंशदान नहीं किया जा सका था, क्योंकि एल आई सी की मांग पर निर्णय नहीं लिया जा सका था। भारतीय जीवन बीमा द्वारा दिनांक 31.3.2010 को निर्धारित 41.07 मिलियन रूपए (37.77 मिलियन रूपए) की निधि के ब्याज सहित समेकित शेष को एल आई सी से वसूली जाने वाली राशि के रूप में चालू सम्पतियों के अंतर्गत दर्शाया गया है । लेखांकन नीति सं 17 (i) अनुसूची-ठ की शर्तों के अनुसार उपदान के लिए कंपनी के दायित्व और पूर्ण प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया गया था।

15 क) कम्पनी ने अपने आयकर रिटर्न में आकलन वर्ष 2000-2001 से पात्र निर्णय परियोजनाओं के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 801 ए के अन्तर्गत छूट का दावा किया है । चूंकि कुछ दावों को सी आई टी (अपीन) स्तर पर नामंजूर कर दिया गया है, छूट के बिना कर प्रदान किया गया है । बहरहाल, सीआईटी (ए) आकलन वर्ष 2004-05 के लिए हमारे दावे पर विचार किया है, किन्तु विभाग सीआईटी (ए) के आदेशों के विरुद्ध अधिकरण में गया। आकलन वर्ष 2009-2010 तक कटौती 4434.44 मिलियन रुपए (3220.53 मिलियन रुपए) है । यह मामला अधिकरण के समक्ष लम्बित है ।

ख) कम्पनी ने अपने आयकर रिटर्न में आकलन वर्ष 2007-2008 से आवासीय परियोजनाओं के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की घारा 80 आईबी के अन्तर्गत छूट का दावा किया है । बिना कटौती कर प्रदान किया गया है । आकलन वर्ष 2009-10 तक अनुमानित कटौती 13.28 मिलियन रुपए (68.46 मिलियन रुपए) है ।

16) एएस-15 के अंतर्गत प्रकटन

भविष्य निधि

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है, इसलिए किसी और प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

उपदान

प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है वह अधिवर्षिता, त्यागपत्र, निलंबन, अपंगता या मृत्यु पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक उसकी सेवाकाल के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन का उपदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

विषय-सूची

यह दायित्व वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा

कंपनी में सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है जिसके अंतर्गत कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए कंपनी ने एक चिकित्सा ट्रस्ट निधि का सृजन किया है। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी के दायित्व से अधिक है, इसलिए इसके लिए आगे और प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

छुट्टी नगदीकरण

कंपनी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्द्धवेतन, छुट्टी प्रदान करता है जो वार्षिक अधार पर क्रमशः 30 दिन तथा 20 दिन है। सेवा के दौरान 50% अर्जित अवकाशों का नगदीकरण किया जा सकता है तथा अधिवर्षिता पर अधिकतम 300 दिनों का नगदीकरण किया जा सकता है। कंपनी के नियमों के अनुसार अर्द्धवेतन अवकाश का नगदीकरण केवल अधिवर्षिता पर ही किया जा सकता है तथा अधिकतम 240 दिनों का ही नगदीकरण किया जा सकता है। यह देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ही मान्य है।

i) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रुपए मिलियन में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
अवधि के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	295.66 (162.60)	298.03 (216.35)	101.96 (68.43)
ब्याज लागत	22.17 (13.01)	22.35 (17.31)	7.65 (5.47)
चालू सेवा लागत	23.07 (20.60)	33.73 (27.49)	7.24 (5.96)
पूर्व सेवा लागत	- (63.21)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	(17.05) ((6.09))	(16.17) ((10.43))	(2.16) ((1.03))
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	52.76 (42.32)	43.87 (47.30)	54.93 (23.13)
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	376.61 (295.65)	381.81 (298.03)	169.62 (101.96)

ii) योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ*
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	37.77 (35.17)	- (-)	236.98 (-)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	3.30 (3.08)	- (-)	20.74 (-)
अंशदान	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	- ((0.44))	- (-)	- (-)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	- ((0.03))	- (-)	18.81 (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	41.07 (37.77)	- (-)	238.91 (-)

iii) योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ*
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	37.77 (35.17)	- (-)	236.98 (-)
योजना परिसम्पतियों पर वास्तविक लाभ	3.30 (3.04)	- (-)	1.93 (-)
प्रदत्त लाभ	- ((0.44))	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	41.07 (37.77)	- (-)	238.91 (-)
वित्तपोषित स्थिति	(335.53) ((257.88))	(381.81) ((298.03))	69.29 ((101.96))
योजना परिसम्पतियों पर सम्भावित लाभ की तुलना में वास्तविक अधिक	- ((0.03))	- (-)	(18.81) (-)

*इरकॉन चिकित्सा ट्रस्ट की समेकित निधि 238.91 मिलियन रुपए है।

iv) अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि-दायित्व	(52.76) ((42.32))	(43.87) ((47.30))	(54.93) ((23.13))
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि योजना परिसंपत्ति	- (0.03)	- (-)	(18.81) (-)
अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	52.76 (42.35)	43.87 (47.30)	73.74 (23.13)
अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि	52.76 (42.35)	43.87 (47.30)	73.74 (23.13)

v) तुलन पत्र में मान्य राशि

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	376.61 (295.66)	381.81 (298.03)	169.62 (101.96)
31.03.2010 को योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	41.07 (37.77)	- (-)	238.91 (-)
वित्तपोषण स्थिति	(335.53) ((257.88))	(381.81) ((298.03))	69.29 ((101.96))
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता	335.53 (257.88)	381.81 (298.03)	69.29 (101.96)

vi) लाभ हानि खाते में मान्य व्यय

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
चालू सेवा लागत	23.07 (20.60)	33.73 (27.49)	7.24 (5.96)
विगत सेवा लागत	- (63.21)	- (-)	- (-)
ब्याज लागत	22.17 (13.01)	22.35 (17.31)	7.65 (5.47)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	(3.31) ((3.08))	- (-)	(20.74) (-)
वर्ष में निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	52.76 (42.35)	43.87 (47.30)	73.74 (23.13)
लाभ हानि खाते में मान्य व्यय	94.70 (136.10)	99.95 (92.10)	67.89 (34.56)

vii) चालू अवधि के लिए राशि

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	376.61 (295.66)	381.81 (298.03)	169.62 (101.96)
योजना परिसम्पतियां	41.07 (37.77)	- (-)	238.91 (-)
सरप्लस (डैफिसेट)	(335.53) ((257.88))	(381.81) ((298.03))	69.29 ((101.96))
योजना देयतओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	(52.76) (69.82)	(43.87) ((42.97))	(54.93) ((17.26))
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	- ((0.03))	- (-)	(18.81) (-)

viii) वास्तविक अनुमान

I)	प्रयुक्त पद्धति	प्रत्याशित इकाई ऋण पद्धति
II)	रियायत दर	7.50%
III)	उपभोग स्तर मे वृद्धि की दर	7.50%
IV)	योजना परिसम्पत्तियों पर लाभ की दर-उपदान	8.75%
V)	सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की औसत उत्कृष्ट सेवा	16 years
VI)	लाभ दायित्वों की अनुमानित अवधि	16 years

17) प्रगतिरत संविदा के संबंध में प्रकटन*

(रुपए मिलियन में)

विवरण		**31.3.10 तक**
क	लगाई गई लागत व निर्धारित लाभों की सम्पूर्ण राशि (घटाः निर्धारित हानियां)	84169.98
		31.3.10 को
ख	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	8239.37
ग	धारण की राशि (ग्राहकों द्वारा)	1488.55

*31.3.2010 तक पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर ।

18(i) कम्पनी का 31.3.2010 को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006(एमएसएमईडी अधिमियम) के अधीन आपूर्तिकर्ताओं के प्रति देय राशि शून्य रुपए (शून्य) है ।

(ii) कम्पनी को अपने किसी भी आपूर्तिकर्ता से इस आशय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वह लघु औधौगिक इकाई भी है । इस सूचना के आधार पर 31 मार्च 2010 को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए लघु औधौगिक इकाई उपक्रम के प्रति देय राशि शून्य रुपए (शून्य) है।

19) कम्पनी कार्य विभाग पत्र सं. 46/298/2001 सीएल-3 तारीख 13.3.02 के अनुमोदन से तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा और अन्य अनुसूचियों में आंकड़े मिलियन रूपयों में दर्शाए गए हैं ।

20) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है जिसके अंतर्गत राजस्व मदों पर विदेशी मुद्रा का अंतरण वार्षिक औसत के स्थान पर मासिक औसत रुप में किया गया है। इस परिवर्तन के कारण विदेशी मुद्रा हानि (निवल) में 52.98 मिलियन रुपए की वृद्धि हुई है। अन्य आय में 1.78 मिलियन रुपए की कमी, प्रचालन आय में 73.03 मिलियन रुपए की कमी तथा कुल व्यय (विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को छोड़कर) में 127.79 मिलियन की कमी हुई है। बहरहाल, कंपनी पर लाभ/हानि का निवल प्रभाव शून्य है।

21) कंपनी ने 30 सितम्बर, 2009 को इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल) नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया है और 30 जुलाई, 2009 को 184वें निदेशक मंडल की स्वीकृति से शेयरधारक इक्विटी के रुप में 4 मिलियन रुपए (इरकॉन के नामिति के माध्यम से 0.006 मिलियन रुपए सहित) निवेश किए हैं। 10 नवम्बर, 2009 को आरओसी द्वारा व्यवसाय आरंभ प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

22) वर्ष के दौरान कंपनी ने सीसीएफबी, मोजाम्बिक को दिए गए लेखांकन उपचार में परिवर्तन किया है जिसके अंतर्गत इसे गैर एकीकृत प्रचालन के स्थान पर एकीकृत विदेशी प्रचालन माना गया है। इसके परिणामस्वरुप पूर्ववर्ती वर्षों में सृजित विदेशी मुद्रा उच्चावचन आरक्षित निधि समायोजित की गई है। इससे विनिमय उतार-चढ़ाव लाभ में 35.08 मिलियन रुपए की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरुप वर्ष के लिए लाभ 35.08 मिलियन रुपए अधिक हो गया है।

23) पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरुप करने के लिए, जहाँ कहीं आवश्यक है, उन्हें पुनः वर्गीकृत तथा पुनः निर्मित किया गया है ।

1.	**पंजीकरण विवरण**			
	पंजीकरण संख्या	8171	राज्य कोड	55
	तुलन पत्र तारीख	31-03-2010		
				(मिलियन रूपयों में)
2.	**वर्ष के दौरान एकत्र की गई पूंजी :**			
	पब्लिक इशु	शून्य	राइट इशु	शून्य
	बोनस इशु	शून्य	निजी स्थानन	शून्य
3.	**निधियों के जुटाव और उपयोग की स्थिति :**			
	कुल देयताएं	36070.53	कुल परिसंपतियाँ	36070.53
	निधियों के स्त्रोत :			
	प्रदत्त पूंजी	98.98	रिजर्व और अधिशेष	11892.81
	रक्षित ऋण	शून्य	गैर आरक्षित ऋण	52.91
			अस्थगित कर देयता	शून्य
	निधियों का उपयोग :			
	निवल स्थिर परिसंपतियाँ	2368.98	निवेश	1295.37
	निवल चालू परिसंपत्तियां	7506.83	आस्थगित कर परिसंपतियाँ	873.87
	विविध व्यय	0.64	संचित हानियां	शून्य
4.	**कंपनी का निष्पादन**			
	आवर्त्त	32161.85	कुल व्यय	29551.19
	कर पूर्व लाभ	2639.31	कर पश्चात् लाभ	1821.05
	प्रति शेयर आय रू.	183.98	लाभांश दर	370%
5.	**कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों के जातिवाचक नाम (मौद्रिक रूप में)**			
	उत्पाद विवरण	अन्य परियोजनाएं : टर्नकी निर्माण		

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 2263एन

वाई.के. गुप्ता **भागीदार** **स.सं.16020**	**ललिता गुप्ता** **कंपनी सचिव**	**के.के. गर्ग** **निदेशक/वित**	**मोहन तिवारी** **प्रबन्ध निदेशक**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06 अगस्त 2010

समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए **(रुपए मिलियन में)**

		2009-10	2008-09
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		2,610.63	1,916.26
निम्न के लिए समायोजनः			
मूल्यह्रास		409.90	443.64
निवेश की किश्तों पर छूट		0.16	16.89
आरंभिक व्यय बट्टा खाता		0.16	
परिसपंत्तियों (निवल) की बिक्री पर हानि/(लाभ)		(4.91)	(5.80)
ब्याज आय		(415.33)	(428.93)
प्रावधान - जमा (पश्चलिखित) निवल		799.06	511.37
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		307.21	(120.86)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(1)**	**3,706.88**	**2,332.57**
निम्न के लिए समायोजनः			
व्यापार प्राप्यों/ऋण और अग्रिम में कमी (वृद्धि)		(1,869.54)	(1,127.50)
मालसूचियों में कमी (वृद्धि)		571.61	(2,715.07)
विविध देनदारों में (कमी)/वृद्धि		482.58	1,969.83
जेसीई चालू परिसम्पतियों में कमी/(वृद्धि)		74.46	(179.70)
जेसीई चालू देयताओं में कमी/(वृद्धि)		(25.60)	(10.51)
विविध व्यय (वर्ष के दौरान प्रारंभिक व्यय)		(0.80)	
	(2)	**(767.29)**	**(2,062.95)**
प्रचालन से सृजित रोकड़	**(1-2)**	**2,939.59**	**269.62**
पूर्व अवधि व असाधारण मदों से पूर्व रोकड़ प्रवाह		**2,939.59**	**269.62**
विदेशी मुद्रा उच्चावचन आरक्षित निधि		(147.19)	203.70
पूर्व अवधि व असाधारण मदें		28.65	(39.60)
निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह	**(क)**	**2,821.05**	**433.72**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद		(186.53)	(264.02)
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री		8.98	5.89
प्राप्त ब्याज		249.70	366.84
परिपक्कव निवेश (बिक्री पर लाभ सहित)		1,600.84	271.52
किया गया निवेश (दीर्घकालीन)		(551.39)	(177.70)
जेसीई स्थिर परिसम्पत्तियों में कमी (वृद्धि)		4.06	14.39
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	**(ख)**	**1,125.66**	**216.92**
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
भुगतान किया गया लाभांश (निगमित कर सहित)		(357.83)	(347.41)
जेसीई ऋण निधि में (कमी)/वृद्धि		19.88	11.80
वित्तपोषण गतिवधियों से शुद्ध नगदी	**(ग)**	**(337.95)**	**(335.61)**
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		**(307.21)**	**120.86**
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	**(क+ख+ग)**	**3,301.55**	**435.89**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	**(घ)**	**9,838.67**	**9,402.78**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)	**(ड.)**	**13,140.22**	**9,838.67**
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	**(ड.-घ)**	**3,301.55**	**435.89**

नोट : 1. नगदी तथा नगदी समतुल्यों में कैश-इन-हैंड तथा बैंकों में शेष शामिल हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रोकड़ के आऊटफ्लो को दशार्ते हैं।
3. पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक हुआ पुनः समूहित किए गए हैं।
4. नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) में शून्य मिलियन रुपए (50.19) के एफडीआर शामिल हैं।
5. नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम में 722.50 मिलियन रुपए (13.76 मिलियन रुपए) की मार्जिन मनी शामिल हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 2263एन

निदेशक मंडल व निमित्त और उनकी ओर से

वाई.के. गुप्ता
भागीदार
स.सं.16020

ललिता गुप्ता
कंपनी सचिव

के.के. गर्ग
निदेशक/वित

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06 अगस्त 2010

वाही एंड गुप्ता
सनदी लेखाकार
होटल रेक्स बिल्डिंग, (ओ बी सी बिल्डिंग)
5, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
टेली (कार्यालय) : 23269921, 23252597, फैक्स:91-11-23283272
ई-मेल: wahi_gupta@yahoo.com

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनी के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न समेकित तुलनपत्र और उसके साथ लगे उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और समेकित हानि लेखा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इनके अनुबंधों की लेखापरीक्षा की है, जिन्हें हमने इस रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षर किए हैं। इन समेकित वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कंपनी प्रबन्धन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा लेखापरीक्षित इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करने की है।

2. हमने भारत में सामान्यत स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की ये अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि जिससे हमें वित्तीय विवरणों के संबंध में यह तर्कसंगत आश्वासन मिल सके कि वे सूचना के यथार्थ कथनों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों को समर्थन देने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबन्धन द्वारा उपयोग में लाए गए लेखाकरण नियमों और किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ ही साथ समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करती है।

3. हमने कंपनी की सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण दर्शाते हैं कि 31 मार्च, 2010 को कुल परिसंपत्तियां 10.96 मिलियन रुपए की हैं तथा इस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कुल राजस्व शून्य रुपए है तथा निवल रोकड़ प्रवाह 3.19 मिलियन रुपए है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय में रिपोर्ट में दर्शाई गई राशियां संबंधित विषयों सहित पूर्ण रुप से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

4. हम यह प्रस्तुत करते हैं कि कंपनी द्वारा समेकित वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 21, समेकित वित्तीय विवरणों की आवश्यकता के अनुसार तैयार किए गये हैं और समेकित वित्तीय विवरणों में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी के पृथक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर है।

5. इस अनुसूची 'थ' में लेखा नोटों तथा अनुसूची 'न' में महत्वपूर्ण लेखाकरण नितियों पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

   नोट सं 12(ख) आस्थगित इराकी बकाया और उस पर ब्याज व बैक-टू-बैक आधार पर उप ठकेदारों को देय ब्याज के प्रावधान (आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकॉल) को भारत सरकार के साथ तय अंतिम निपटान दर यथा 1 अमरीकी डालर = 35.802 रूपए पर परिवर्तित किया जाता है। यदि बकायों को एस-11 के अनुसार 31.3.2010 को बंद होने वाली विनिमय दर से रूपांतरित किया जाता है तो अन्य चालू परिसम्पत्तियां 954.64 मिलियन रूपए (80.86 मिलियन रूपए की वृद्धि) तथा प्रावधान 6014.58 (38.21 मिलियन रुपए की वृद्धि) और कर पूर्व लाभ 2682.74 मिलियन रूपए (42.65 मिलियन रूपए की वृद्धि) होती ।

6 उपयुक्त पैरा 5 में हमारी टिप्पणियों तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर तथा पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के दृष्टिगत तथा घटकों के अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप सही व उचित विवरण प्रस्तुत करते हैं :

   1) 31 मार्च, 2010 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी के कार्यकलापों के समेकित तुलनपत्र के मामले में,
   2) इस तिथि को समाप्त अवधि के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी के प्रचालनों के समेकित लाभ और हानि खाता, समेकित प्रचालन परिणामों के मामले में,
   3) इस तिथि को समाप्त अवधि के लिए समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते वाही एंड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 2263एन

(वाई.के. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 16020

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 06 अगस्त, 2010